PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

मई-2019 | अंक-2

भारत में मेडिकल टूरिज़्म

विकास का नया वाहक

- खालिस्तान विवाद और भारत-कनाडा संबंध
- बीएस-VI मानक : हरित परिवहन की ओर बढ़ता कदम
- पेप्सिको बनाम किसान : एक विश्लेषण
- अरब स्प्रिंग 2.0 : अरब क्रांति का पुनर्संस्करण
- छोटे बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाकलाप की अनिवार्यता
- माउण्ट एवरेस्ट पर अपशिष्ट पदार्थों का बढ़ता जाल

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITIONS
A unit of ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Comprehensive UPPCS Prelims Test Series Programme 2019

[ONLINE MODE]

मुख्य विशेषताएँ

- प्रश्नों की बदलती प्रकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश सिविल सेवा प्रतियोगियों को उनके अध्ययन की रणनीति एवं स्रोत को पुनः आकार देने की आवश्यकता है। अतः हमारा प्रयास प्रतियोगियों के दृष्टिकोण को प्रारम्भिक परीक्षा के प्रति विस्तृत करना है।
- टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस की परीक्षा के समरूप होगी।
- टेस्ट सीरीज में प्रतियोगियों को अधिक संख्या में सम्मिलित विद्यार्थियों के कारण उचित प्रतियोगी वातावरण प्राप्त होगा, क्योंकि यह हमारे सभी केन्द्रों पर आयोजित होगी।
- सीसैट पेपर–II के अंक मूल्यांकन में नहीं जोड़े जाते बल्कि केवल इसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है। अतः हमने आवश्यकता के अनुरूप 3 सीसैट टेस्ट को सम्पूर्ण सामान्य अध्ययन टेस्ट के साथ कराने की योजना बनायी है।
- कुल 18 टेस्ट (15 सामान्य अध्ययन के एवं 3 सीसैट के) आयोजित करायें जाएंगे।
- प्रत्येक टेस्ट के बाद व्याख्यात्मक उत्तर हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में दिये जायेंगे।

Main Characteristics

- According to changing nature of questions the candidate of UP Civil Services have to reshape their strategy and source. So our efforts to diversify the view of candidates regarding the preliminary examinations.
- Test series will be completely based on UPPCS Pattern.
- Student will get highly competitive environment because the test series will be conducted among a large number of candidates appearing in all our centers.
- Marks obtained in CSAT Paper-II or not added in the evaluation only passing mark are required in this paper. So we have planned to organise 3 tests of CSAT according to the needs with General Studies Tests.
- Total 18 tests will be conducted (15 of General Studies-I and 3 of CSAT)
- After every test explanation of the test paper will be provided in both English and Hindi medium.

कार्यक्रम विवरण

कुल टेस्ट–18 (15–सामान्य अध्ययन, 3–सीसैट)

शुल्क विवरण

ध्येय/डीएससी विद्यार्थी– Rs. 2500/-

अन्य विद्यार्थी– Rs. 4000/-

Program Details

Total Test-18 (15-GS-I, 3-CSAT)

Fee Detail

Dhyeya/DSC Students- Rs. 2500/-

Outsider Students- Rs. 4000/-

How to buy ?

Dhyeyaias.com Portal Login Prelims Test Test Series UPPCS (Prelims) Test Series-2019

For Any Query — Write to StudentPortal@Dhyeyaias.com

or Call @ 01149274400

For detailed schedule — See the last page

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

मई-2019 | अंक-2

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-18

- भारत में मेडिकल टूरिज़्म : विकास का नया वाहक
- खालिस्तान विवाद और भारत-कनाडा संबंध
- बीएस-VI मानक : हरित परिवहन की ओर बढ़ता कदम
- पेप्सिको बनाम किसान : एक विश्लेषण
- अरब स्प्रिंग 2.0 : अरब क्रांति का पुनर्संस्करण
- छोटे बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाकलाप की अनिवार्यता
- माउण्ट एवरेस्ट पर अपशिष्ट पदार्थों का बढ़ता जाल

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19-23

सात महत्वपूर्ण खबरें 24-26

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 27-35

सात महत्वपूर्ण तथ्य 36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

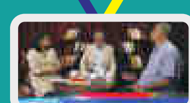

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारत में मेडिकल टूरिज़्म : विकास का नया वाहक

चर्चा का कारण

प्रमुख व्यापारिक संगठन एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में वैश्विक चिकित्सा बाजार में भारत का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा है जो 2020 तक 20% अर्थात् 9 बिलियन डॉलर की राशि तक हो सकता है।

मेडिकल टूरिज़्म क्या है?

जब व्यक्ति अपने चिकित्सा या उपचार के लिये अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करता है तो यह चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज़्म) कहलाता है। वर्तमान में चिकित्सा पर्यटन, पर्यटन की एक नवीन और सबसे अधिक विकसित होती शाखा मानी जा रही है।

कुछ दशकों पहले प्राय: विकासशील देशों के लोग, विकसित देशों के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सा पर्यटन करते थे। परन्तु, हाल के वर्षों में विकसित देशों के नागरिक सस्ते लेकिन गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिये भारत जैसे विकासशील देशों की यात्रा करने लगे हैं।

मेडिकल टूरिज़्म क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार में भारत का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि भारत का चिकित्सा पर्यटन कारोबार 2017 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के पास पहुँच गया था। पर्यटन मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 के जून माह तक 96856 विदेशियों ने भारत की यात्रा की। 2013 में मेडिकल वीजा पर 56129 विदेशी भारत आये थे। 2014 में इनकी संख्या 75671 रही, जबकि 2015 में यह बढ़कर 134344 हो गई। इनमें से सबसे अधिक संख्या बांग्लादेश से आने वाले मरीजों की थी।
- विदित हो कि भारत मेडिकल पर्यटन के मामले में मलेशिया, थाईलैंड एवं सिंगापुर जैसे देशों को पीछे छोड़ चुका है। भारत को मेडिकल पर्यटन बाजार से प्रतिवर्ष दो अरब से अधिक अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति हो रही है। उल्लेखनीय है कि भारत के अलावा क्यूबा, हंगरी, इजरायल, जॉर्डन, लिथुआनिया, मलेशिया और थाईलैंड भी मेडिकल टूरिज़्म के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं।
- फिक्की-आइएमएस की रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर साल पांच लाख से अधिक विदेशी मरीज भारत में इलाज के लिए आते हैं।
- भारत में दिल्ली एनसीआर के अलावा चंडीगढ़, मुंबई, बंगलुरू, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई के अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्रों को मेडिकल टूरिज्म से अच्छी-खासी आय हुई है।
- हर साल इन शहरों में हजार से ज्यादा एनआरआई और विदेशी पर्यटक चिकित्सा सुविधा के लिए आते हैं।
- भारत में 75-80 फीसदी हेल्थ केयर सेवाएँ और निवेश गैर-सरकारी माध्यम से ही मुहैय्या करायी जाती हैं।
- देश में मेडिकल टूरिज़्म के बढ़ते कारोबार ने हेल्थ सेक्टर में आज स्टार्टअप्स को मौका भुनाने का अवसर दिया है।
- पिछले एक साल के दौरान ऐसे कई स्टार्टअप्स आगे आए हैं जो विदेश से आने वाले मरीजों को उनकी बीमारी के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद करते हैं।
- इसके अतरिक पर्यटन मंत्रालय जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है 'अतुल्य भारत' अभियान के माध्यम से इस क्षेत्र को बलवती करने के लिए कार्य कर रहा है।
- दुनिया के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद, होम्योपैथ, नैचुरोपैथी, यूनानी आदि भारत की खास उपलब्धियाँ बन कर सामने आयी हैं।
- विदित हो कि बड़ी संख्या में मरीज अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इराक और अफगानिस्तान से आ रहे हैं, चूँकि इलाज पर होने वाला कुल खर्च अमेरिका एवं अन्य देशों की तुलना में काफी कम है।
- खास तौर से खाड़ी के देश भारत के चिकित्सा पर्यटन उद्योग के लिए प्रमुख बाजार बनते जा रहे हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए भारत आ रहे हैं।
- उपयुक्त विवरण से पता चलता है कि भारत में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्र में अद्‌भुत वृद्धि हुई है और विदेशियों में भारतीय चिकित्सकों के प्रति विश्वास बढ़ा है।

भारत में मेडिकल टूरिज़्म बढ़ने के कारण

निम्नलिखित लाभों के कारण भारत वैश्विक स्वास्थ्य पर्यटन का प्रमुख गन्तव्य बनने की प्रक्रिया में है-

- चिकित्सा पर्यटन के लिए आज भारत को सही जगह माना जा रहा है, जहाँ स्वास्थ्य लाभ के अलावा खूबसूरत जगहों का भ्रमण भी किया जा सकता है।
- भारत में तकनीकी रूप से उन्नत अस्पताल, विशेषज्ञ डॉक्टर और ई-मेडिकल वीजा जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो इसे एशिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे चिकित्सा पर्यटन स्थलों में से एक बनने में मदद कर रही हैं।
- भारत में बोनमैरो प्रत्यारोपण, बाइपास सर्जरी, घुटने की सर्जरी तथा लीवर प्रत्यारोपण जैसी सर्जरी पर पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहद कम खर्च आता है। इसके साथ ही देश में

लाखों कुशल डॉक्टर्स व लाखों की संख्या में प्रशिक्षित नर्स हैं।

- भारत में चिकित्सा सेवा की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम है जो दक्षिण-पूर्व एशिया से भी सस्ता है।
- तत्काल सेवा तक पहुंच विदेशी पर्यटकों को और आकर्षित करती है।
- भाषा मुख्य कारक है जो चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए बहुत अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। भारत में अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले डाक्टरों, मार्गदर्शकों और चिकित्सा स्टाफ की बड़ी संख्या है। यह विदेशियों को भारतीय डाक्टरों के साथ बेहतर संपर्क बनाने में सुविधा प्रदान करता है।
- भारतीय अस्पताल कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरासिस सर्जरी, जोड़ प्रतिस्थापन, ट्रॉंसप्लांट, सौंदर्य उपचार, दन्त चिकित्सा, हड्डियों की सर्जरी इत्यादि में दक्षता प्राप्त कर रहे हैं।
- भारत में चिकित्सा सेवाओं में पूर्ण काया रोग विज्ञान, विस्तृत शारीरिक और जननविज्ञानी जाँच, ऑडियोमेट्री, स्पिरोमेट्री, सीने का एक्सरे, 12 लीड ईसीजी, 2-डी ईको कलर डोपलर, गोल्ड स्टेंडर्ड की एक्सरे, बोन डेंसीटोमेट्री, काया वसा विश्लेषण, कोरोनरी रिस्की मार्कर्स तथा उच्च क्षमता वाली एमआरआई आदि शामिल हैं।
- सभी चिकित्सीय उपचार और जाँच अद्यतन प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित नैदानिक (डायग्नोस्टिक) उपकरणों का उपयोग करके किए जाते हैं।
- भारतीय डाक्टरों को सफल कार्डियक सर्जरी, अस्थि-मज्जा ट्रॉंसप्लांट, लीवर ट्रॉंसप्लांटस, ऑर्थोपैडिक सर्जरी और अन्य चिकित्सा उपचार करने में विशेषज्ञता हासिल है।
- भारत में बाँझपन के उपचार की लागत विकसित राष्ट्रों की तुलना में लगभग एक चौथाई है। आधुनिक प्रजनन तकनीकों जैसे कि इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (आईवीएफ) और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) सेवाओं ने भारत को बाँझपन के उपचार के लिए पहली पसंद बना दिया है।

मेडिकल टूरिज़्म के लाभ

- चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से भारत सरकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर अपना व्यापार घाटा नियंत्रित कर सकती है।
- इसके अलावा चिकित्सा पर्यटन से नये रोजगारों का सृजन भी किया जा सकता है।
- कम प्रतीक्षा समय, रोगी को इलाज के लिए कतार में न लगना और आगमन के तुरंत बाद उपचार मिलना आदि चिकित्सा पर्यटन के सकारात्मक पहलू को बताते हैं।
- इससे कम लागत पर अग्रणी स्वास्थ्य सुविधाओं की नैदानिक परिणामों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उपचार प्राप्त किया जा सकता है।
- इस प्रक्रिया में एक नई संस्कृति का अनुभव करने की संभावना है
- आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, तिब्बती चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध आदि जैसे समग्र उपचार की उपलब्धता का मिलना संभव होता है।
- अत्यधिक कुशल और अनुभवी चिकित्सा पेशेवरों द्वारा इलाज किया जाता है।
- स्वास्थ्य पर्यटक कम लागत पर परिष्कृत तकनीक का लाभ उठा सकते हैं।
- चिकित्सा पर्यटन के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य और विश्राम का आनंद लिया जा सकता है। जिससे स्थानीय व्यापारियों एवं लोगों की आमदनी होती है।
- स्वास्थ्य पर्यटन पैकेज के लाभों का आनंद ले सकते हैं जिसमें एक व्यापक स्वास्थ्य निकाय जाँच शामिल होता है।

भारत में मेडिकल टूरिज़्म की चुनौतियाँ

भारतीय चिकित्सा पर्यटन उद्योग के सामने मौजूदा चुनौतियों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है-

- भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई मजबूत सरकारी सहायता पहल नहीं की गई है जिस कारण चिकित्सा पर्यटकों को काफी समस्या झेलनी पड़ती है।
- भारत के संदर्भ में सार्वजनिक स्वच्छता/स्वच्छता मानकों या संक्रामक रोगों के प्रसार को लेकर अन्य देशों में नकारात्मक धारणाएँ हैं जो चिकित्सा पर्यटन को प्रभावित कर रही है।
- अस्पतालों के लिए कोई उचित मान्यता और विनियमन प्रणाली नहीं है।
- अस्पतालों में समान मूल्य निर्धारण नीति का भी अभाव है।
- भारत के चिकत्सा पर्यटन क्षेत्र में बीमा पॉलिसियों का अभाव देखा जाता है।
- वहीं स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे में कम निवेश किया जाता है।
- आधारभूत सुविधाओं के अभाव में यहां चिकित्सा पर्यटन का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, जितना होना चाहिए। नीतिगत प्रश्न भी इसके विकास में बाधा डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, देश में बड़ी जनसंख्या तक आज भी मूलभूत चिकित्सा सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं।
- चिकित्सा को उद्योग बना देने से इस पेशे में आंतरिक रूप से निहित सेवा भाव के खत्म हो जाने की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।
- मानव अंगों की तस्करी इस उद्योग का एक और स्याह पक्ष है। विकसित देशों में मानव अंग आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, जबकि भारत जैसे गरीब देशों में पैसों के लालच अथवा ताकत के प्रभाव का प्रयोग कर गरीबों के उत्पीड़न की आशंका बराबर बनी रहती है। इतना ही नहीं, चिकित्सा पर्यटकों की बेहतर क्रय क्षमता सरकारी अस्पतालों से बेहतर डॉक्टरों को दूर कर देगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएँ नहीं मिल पाएंगी। पर्यटन का यह क्षेत्र निजी अस्पतालों को बढ़ावा देगा, जिससे आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में पहले से ही मौजूद विसंगतियाँ और बढ़ेंगी।
- आज भारत तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश में हर साल 27,000 डॉक्टर स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं लेकिन वे शहरों में काम करना चाहते हैं जिससे ग्रामीण व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ता है।
- निजी और सार्वजनिक प्रणालियों के बीच स्वास्थ्य सेवा की असमानता में वृद्धि चिंता का एक अन्य कारण है।
- भारत को प्राथमिक चिकित्सा पर्यटन स्थल

बनाने के लिए भारत सरकार का अभियान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों से ध्यान हटा रहा है जो संभावित भविष्य में काफी चुनौती पेश कर सकती है।

- अन्य देशों की तुलना में भारत में होटल के कमरों की उपलब्धता अधिक कठिन मानी जाती है। इसके अलावा, आवास की लागत भारत आने वाले मध्यम स्तर के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक और बाधा बन रही है।
- कई बार विदेशी लोगों को भारत में निवास के दौरान समय-समय पर पुलिस के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है।
- विभिन्न देशों के संभावित स्वास्थ्य साधकों को आकर्षित करने तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता होती है लेकिन इसको लेकर तत्परता में कमी देखी गई है, नतीजन चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में भारत उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने की संभावनाओं के बाद भी हासिल नही कर पा रहा है।

मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के प्रयास

चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रयास 2002 के अंत में शुरू हुआ, जब मैकिन्से-सीआईआई (2002) ने इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं का अध्ययन किया। उसी वर्ष, पर्यटन मंत्रालय ने 'अतुल्य भारत' को शुरू किया। अगले वर्ष में, तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने चिकित्सा पर्यटकों के आगमन और प्रस्थान को सुचारू बनाने के लिए हवाई अड्डे के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए प्रयास किया। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के इन प्रयासों को निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- देश में हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विस्तार, सड़क संपर्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार के प्रयास किए गए। भारत सरकार ने अपने पर्यटन विवरणिका में 45 निजी अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बढ़ावा दिया।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अस्पतालों के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का गठन किया है।
- सरकार ने चिकित्सा पर्यटन को सेवाओं के निर्यात के रूप में घोषित किया, ताकि यह क्षेत्र कर रियायतों का लाभ उठा सके।
- कुछ राज्य सरकारें विदेशों में स्वास्थ्य सेवा पर्यटन में भाग ले रही हैं जैसे केरल में आयुर्वेद का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य सेवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
- महाराष्ट्र ने पर्यटन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दिया है, ताकि इस क्षेत्र को अन्य सभी उद्योगों को दिए जाने वाले लाभ को प्रोत्साहन मिल सके। वहीं, गुजरात ने चिकित्सा पर्यटन के लिए एक अलग नीति की घोषणा की है।
- हेल्थकेयर केंद्रों ने अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तर के बुनियादी ढाँचे की स्थापना की है। उन्होंने व्यापक नैदानिक केंद्र, इमेजिंग केंद्र और विश्व स्तरीय ब्लड बैंक स्थापित किए हैं।
- अस्पताल लगातार प्रौद्योगिकी का उन्नयन कर रहे हैं। कुछ अस्पतालों ने अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए विशेष वार्ड स्थापित किए हैं तो कुछ अस्पताल सेवा पैकेज के रूप में स्वास्थ्य सेवा पर्यटन की पेशकश करने के लिए यात्रा/टूर ऑपरेटरों के साथ संबंध बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अस्पताल ग्राहकों को बेहतर मूल्य देने के लिए उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं के निरंतर नवाचार की प्रक्रिया में हैं।
- ऐसा करते समय, कुछ अस्पताल लागत प्रभावी-ग्राहक उन्मुख तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई स्वास्थ्य केंद्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग ले रहे हैं।
- भारतीय स्वास्थ्य संस्थान तेजी से अस्पतालों और नैदानिक प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे रहे हैं, ताकि चिकित्सा पर्यटन का तेजी से विकास हो।

अन्य प्रयास

- सरकार की नई नीति के अनुसार भारत को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा नियमन, प्रत्यय और विपणन को लेकर तीन उप समितियों का गठन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन प्रोत्साहन बोर्ड के तहत काम करेंगी।
- देश के चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के बारे में एक डाटा बैंक तैयार किया जाएगा, ताकि संबंधित सूचनाओं का दायरा बढ़ाने के लिए कार्य-पद्धति तैयार किया जा सके।
- वीजा कानूनों में सुधार किया जाएगा ताकि सेवा प्रदाताओं तथा लाभार्थियों के बीच संपर्क बढ़ाया जा सके।
- चिकित्सा पर्यटकों को भारतीय हवाई अड्डों पर एक स्वागत किट भी दिया जाएगा, जिसमें फोन रिचार्ज जैसी सुविधाएँ भी शामिल होंगी।
- मंत्रालय ने एक समर्पित वेब पोर्टल स्थापित करने की योजना बनाई है जो अस्पतालों, स्वास्थ्य और योग केन्द्रों की सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी देगा।

आगे की राह

इस प्रकार स्पष्टत: कहा जा सकता है कि चिकित्सा पर्यटन विदेशी मुद्रा के साथ-साथ देश के बाहर भारत की प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, साथ ही यह क्षेत्र इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे भारत वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग से मुनाफा कमा रहा है। अत: आवश्यकता इस क्षेत्र में सुधारात्मक पहल को और सशक्त बनाने की है। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है, जैसे-

- विशेषज्ञों के मुताबिक चिकित्सा पर्यटन को तेजी से विकसित करने की जरूरत है। विदेशी मरीजों की बढ़ती संख्या भारतीय मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में सरकार को समय रहते इस उद्योग को विकसित करना चाहिए।
- सरकार को समय रहते इस उद्योग को विकसित करने पर विचार करना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा का भी अर्जन हो सके।
- चिकित्सा पर्यटन से हुए फायदे का लाभ आम भारतीय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने में किया जा सकता है। इसके लिए दीर्घकालीन नीति बनाया जाए।
- इस क्षेत्र के व्यापक आकार और इसकी तेज वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

2. खालिस्तान विवाद और भारत–कनाडा संबंध

चर्चा का करण

हाल ही में कनाडा ने अपनी ताजा रिपोर्ट 'रिपोर्ट ऑन टेररिज्म थ्रेट टू कनाडा' में सिख चरमपंथ और खालिस्तान से जुड़े संदर्भों को हटा दिया है। इसके पहले कनाडा सरकार ने देश के शीर्ष पाँच आतंकवादी खतरों में से एक के तौर पर सिख चरमपंथ का उल्लेख किया था। इस संदर्भ में भारत सरकार ने कहा है कि इस प्रकार के कदम से भारत–कनाडा रिश्तों पर गहरा असर पड़ सकता है।

परिचय

सिखों के कनाडा जाने और वहाँ बसने का सिलसिला दरअसल बीसवीं शताब्दी में शुरू हुआ, उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। हालाँकि सिखों का कनाडा में बसना इतना आसान नहीं रहा है। इनको लेकर वहाँ विरोध भी हुआ। यहाँ तक कि 1907 तक आते–आते भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हमले भी शुरू हो गए। इसके कुछ साल बाद ही भारत से प्रवासियों के आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून भी बनाया गया, लेकिन 1960 के दशक में कनाडा की संघीय सरकार ने प्रवासी नियमों में बदलाव किया और विविधता को स्वीकार किया। इसका असर यह हुआ कि भारतीय मूल के लोगों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई।

वर्तमान में कनाडा में हर स्तर पर भारतीयों की मौजूदगी देखी जा सकती है। कनाडा में सिख ना सिर्फ एक समुदाय के रूप में बेहद मजबूत हैं बल्कि देश की राजनीति की दिशा भी तय कर रहे हैं। लेकिन कनाडा के सिख समुदाय का एक और पहलू भी है, जो उन्हें अलग खालिस्तान की अवधारणा से जोड़ता है।

खालिस्तान विवाद क्या है?

पंजाब में क्षेत्रवादी आंदोलन पंजाबी सूबा आंदोलन के रूप में सामने आया। पंजाबी सूबा आंदोलन मूलतः अकाली दल द्वारा चलाया गया था। पंजाब के पुनर्गठन के बाद शिरोमणी अकाली दल ने 1967 और 1977 में अपनी सरकार बनाई, लेकिन अकाली दल की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। अकाली दल को पंजाब के हिन्दुओं से खास समर्थन हासिल नहीं था।

साथ ही सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह ही जाति और वर्ग में बँटा हुआ था। इन्हीं परिस्थितियों के कारण 1970 के दशक में अकालियों ने पंजाब की स्वतंत्रता की माँग उठाई। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में क्षेत्रीय स्वतंत्रता की बात उठाई गई। सन् 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित करके कहा कि भारत की केन्द्र सरकार का पंजाब में केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, जबकि अन्य सभी विषयों पर राज्य का पूर्ण अधिकार हो।

इस प्रस्ताव में अलग सिख राष्ट्र की मांग की गई, लेकिन कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। इन तबकों में खालसा पन्थ प्रमुख थे। उनका मानना था कि सिखों को धोखाधड़ी से भारतीय गणतंत्र में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। भारत में हिन्दू बहुमत ने एकजुट होकर सिख धर्म को हिन्दू धर्म का अंग बताया। सिख धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की गई, साथ ही पंजाबी भाषा को एक बोली मात्र घोषित किया गया।

कालांतर में आन्दोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। इस आंदोलन को विदेशों में रहने वाले सिखों खासकर कनाडा के सिखों का बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त हुआ। उग्रवादियों ने अमृतसर में स्थित सिखों के तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया।

अन्य मुद्दे

- 1984 के जून महीने में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस सैन्य अभियान में सरकार ने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी।
- ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख दंगे भारत समेत पूरी दुनिया में सिखों के लिए मुद्दे हैं, अतः यह कनाडा में रह रहे सिखों के लिए भी यह बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
- कनिष्क विमान दुर्घटना, जिसमें मॉंट्रियाल से नई दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान को 23 जून 1985 को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया था। इस हमले में 329 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे।

खालिस्तान को लेकर भारत-कनाडा की वर्तमान स्थिति

कनाडा, खालिस्तान आतंक को लेकर भारत के अप्रत्यक्ष निशाने पर रहा है। स्मरणीय हो कि 80 के दशक से यह मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में खटास का कारण रहा है। इतना ही नहीं जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मुद्दा और खटास के रूप में बदलता जा रहा है। मामला तब और गंभीर हो गया, जब कनाडा के 16 गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस पर भी ट्रूडो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं 2015 में खालसा दिवस परेड में उन्होंने हिस्सा लेकर मामले को और गंभीर बना दिया। असल में इस दिवस में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जनरैल सिंह भिंडरावाला को नायक की तरह प्रस्तुत किया गया था। यहां ट्रूडो के दौरे के समय एक और मामला जो प्रधानमंत्री के साथ आए दो मंत्रियों का है, जो खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं। इनमें से एक हैं हरजीत सिंह सज्जन जो पिछले साल भी भारत आए थे लेकिन पंजाब के सीएम ने उन्हें खालिस्तान का समर्थक बताकर मिलने से इंकार कर दिया था। उपर्युक्त घटनाक्रम वर्तमान में भारत और कनाडा संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं, बाजवूद भारत के लिए कनाडा काफी महत्त्व रखता है।

भारत के लिए कनाडा महत्वपूर्ण क्यों है?

भारत–कनाडा लोकतंत्र और बहुलवाद के साझा मूल्यों पर विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय वार्ता लंबे समय से चल रही है। भारत के लिए कनाडा के महत्त्व को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है–

- भारत और कनाडा के बीच कई मुद्दों पर तमाम मंत्रिस्तरीय वार्ता के जरिए रणनीतिक साझेदारी कायम की गई है। साथ ही दोनों देशों के बीच आतंकवाद सुरक्षा, क्षेत्र में भी सहयोग कायम किया जा रहा है।
- दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित कार्यक्रम के लिए इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है।
- रेल परिवहन में तकनीकी सहयोग पर कनाडा के रेल मंत्रालय और परिवहन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है।

- नागरिक उड्डयन के विकास के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और कनाडा के परिवहन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है।
- रोग उन्मूलन और सेविंग ब्रेन इनीशिएटिव में सहयोग के कार्यान्वयन के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा ग्रैंड चैलेंज कनाडा के बीच आशय पत्र पर समझौता हुआ है।
- भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा के केमेको के बीच एक समझौता भी हुआ है।

व्यापार और अर्थव्यवस्था

- कनाडा के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा अभी महज 1.95 फीसदी है। भारत से कनाडा को हीरे-जवाहरात, बहूमूल्य रत्न, दवाओं, रेडीमेड कपड़ों, ऑर्गेनिक रसायन, हल्के इंजीनियरिंग सामान, लोहा एवं स्टील आदि का निर्यात किया जाता है।
- भारत और कनाडा के बीच साल 2016 में सिर्फ 6.05 अरब डॉलर का ही व्यापार हुआ, लेकिन यह साल 2010 के 3.21 अरब डॉलर के करीब दोगुने के बराबर है।
- कनाडा में साल 2016 में भारत से 209.35 करोड़ डॉलर का एफडीआई गया था, जबकि इसी दौरान कनाडा से भारत में 90.11 करोड़ डॉलर का एफडीआई आया।
- कनाडा से भारत में दालों, अखबारी कागज, वुड पल्प, एस्बेस्टस, पोटाश, लौह कबाड़, तांबा, धातुओं और औद्योगिक रसायन का आयात किया जाता है। कनाडा की दालों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है। साल 2016 में कनाडा के कुल दाल निर्यात का 27.5 फीसदी हिस्सा भारत में आया था।
- नवंबर, 2017 में भारत ने पीली मटर की दाल आयात पर अंकुश लगाने के लिए इस पर टैरिफ बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया।
- इस प्रतिबंध का कनाडा के किसानों पर काफी बुरा असर पड़ा, क्योंकि उनकी खेती की आय काफी हद तक भारत पर निर्भर करती है। इससे कनाडा के किसानों को अपनी पैदावार कम कीमत पर पाकिस्तान को भेजनी पड़ी। अब जस्टिन ट्रूडो यह उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सरकार इसमें कुछ रियायत देगी।
- भारतीय कंपनियों ने विशेष रूप से आईटी, सॉफ्टवेयर, स्टील और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में निवेश किया है।
- दोनों देशों ने एक प्रगतिशील, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) को समाप्त करने के लिए रोड मैप पर समझौते का भी स्वागत किया। सीईपीए वार्ता नवंबर 2010 में शुरू हुई थी।
- दोनों देशो ने व्यापार और निवेश पर मंत्रिस्तरीय वार्ता सहित द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि भारत-कनाडा सीईओ फोरम का गठन 2013 में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह में सुधार के लिए किया गया था।

ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग

- कनाडा विश्व के लिए ऊर्जा का सुरक्षित, विश्वसनीय उत्पादक और आपूर्तिकर्त्ता देश है जो भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की अपेक्षित संसाधन और विशेषज्ञता रखता है।
- हाल ही में भारत और कनाडा कौशल विकास बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर सहमत हुए हैं।
- ज्ञातव्य है कि भारत और कनाडा ने ऊर्जा की पूरकता में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है जो द्विपक्षीय ऊर्जा संबंधों का निर्माण करने में सहायक साबित हो रहा है, जैसे-
  - परमाणु सहयोग समझौता (NCA), जिसको जून 2010 में हस्ताक्षरित किया तथा जो सितंबर 2013 में लागू हुआ।
  - 2013 में अलबर्टा पेट्रोलियम मार्केटिंग कमीशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मध्य सहयोग के लिए हस्ताक्षर।
  - 15 अप्रैल, 2015 को कनाडा ने विद्युत उत्पादन के लिए अगले पाँच वर्षों के लिए भारत को सात मिलियन पाउण्ड से भी अधिक यूरेनियम की आपूर्ति करने का समझौता किया।
  - इसके अलावा कनाडा 44 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की महत्वपूर्ण आपूर्ति भारत को कर सकता है।

शिक्षा क्षेत्र

- शिक्षा दोनों देशों के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। उच्च शिक्षा में सहयोग से संबधित समझौता ज्ञापन पर जून 2010 में हस्ताक्षर किए गए। इनमें अनुसंधान और पाठ्यक्रम विकास, उच्च शिक्षा के संस्थानों के बीच जुड़ाव, शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता की सुविधा तथा नीति संवाद के क्षेत्रों को शामिल किया गया।
- IC-IMPACTS (भारत-कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनर्स टू एक्सेलेरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी), कनाडा-भारत रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सिलेंस है जो कनाडा और भारत के बीच शोध सहयोग के विकास के लिए समर्पित है।
- उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के सामुदायिक नेताओं, सरकारी एजेंसियों और भारत तथा कनाडा के सामुदायिक संगठनों ने मिलकर समुदायों के सामने प्रमुख चुनौतियों का समाधान खोजने का काम किया।
- गंगा नदी की सफाई के लिए नवीन तकनीकी समाधान खोजने के लिए IC-IMPACTS क्लीन गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के साथ काम कर रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष में सहयोग

- भारत और कनाडा अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष अभियानों के लिए 1990 के दशक से ही मिलकर कार्य कर रहे हैं।
- इसरो और सीएसए (कैनेडियन स्पेस एजेंसी) ने बाह्य अंतरिक्ष की खोज में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो विशेष रूप से उपग्रह ट्रैकिंग और अंतरिक्ष खगोल विज्ञान को संबोधित करने से जुड़ा हुआ है।
- इसरो की वाणिज्यिक शाखा ANTRIX ने टोरंटो विश्वविद्यालय - इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस स्टडीज (UTIAS) के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत नौ नैनो सेटेलाइट लॉन्च किए हैं। ANTRIX ने फरवरी 2013 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C20) पर सहायक उपग्रहों के रूप में एक माइक्रो सेटेलाइट SAPPHIRE भी लॉन्च किया।
- PSLV-C23, जिसे जून 2014 में लॉन्च किया गया था, टोरंटो विश्वविद्यालय के एयरोस्पेस स्टडीज स्पेस फ्लाइट लेबोरेटरी के विश्वविद्यालय से दो कनाडाई उपग्रहों, कैनएक्स -4 और कैनएक्स -5 को ले गया।

भारतीय प्रवासी

- वर्तमान में कनाडा में भारतीय मूल के लगभग 12 लाख लोग रहते हैं जो भारतीय डायस्पोरा के लिहाज से काफी महत्त्व रखते हैं।
- उच्च शिक्षित, संपन्न और मेहनती PIOs, कनाडा में मुख्यधारा के साथ एकीकृत हैं और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं।
- प्रमुख इंडो-कनाडाई संगठनों में कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल (CIBC), कनाडा इंडिया फाउंडेशन (CIF), इंडो-कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स (I-CCC) और अन्य स्थानीय चैम्बर और एसोसिएशन शामिल हैं।

आगे की राह

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कनाडा भारत का एक प्रमुख सहयोगी देश है दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण करार किए हैं, लेकिन वर्तमान में कनाडा में खालिस्तान विद्रोही ग्रुप काफी सक्रिय हुए हैं तथा सरकार की ऐसे समूहों के प्रति सहानुभूति भी है, जिस कारण तनाव बढ़ा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए आपसी सहयोग और वार्ता पर बल देना चाहिए तथा विश्वास बहाली के उपाय को अपनाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

3. बीएस-VI मानक : हरित परिवहन की ओर बढ़ता कदम

चर्चा का कारण

हाल ही में देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि वह अगले साल 1 अप्रैल से डीजल गाड़ियाँ बनाना बंद कर देगी। गौरतलब है कि मारुति का करीब 51 फीसदी कार बाजार पर कब्जा है। कंपनी ने 2018-19 में करीब 4 लाख डीजल गाड़ियाँ (कुल घरेलू बिक्री का 23 फीसदी) बेची हैं। कंपनी डीजल कारें बनाना इसलिए बंद कर रही है क्योंकि अगले साल से लागू होने वाले बीएस-VI एमिशन नॉर्म्स से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होने की वजह से डीजल इंजन को बीएस-VI नॉर्म्स के मुताबिक अपग्रेड करने में काफी लागत आती है।

परिचय

बीएस-VI लागू करने की अधिसूचना 2017 में ही जारी कर दी गई थी। इसके मुताबिक 1 अप्रैल, 2020 से सिर्फ बीएस-VI उत्सर्जन मानक के वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। वाहन निर्माता कंपनियों को बीएस-IV वाहनों को इस तिथि से पहले बेचने होंगे।

गौरतलब है कि वाहन निर्माता कंपनियों के आपत्तियों के बावजूद दिल्ली सहित देश भर में प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाहन निर्माता कंपनियों को बीएस-VI मानक लागू करने में छूट देने से साफ मना कर दिया है। इस प्रकार एक अप्रैल 2020 से सिर्फ बीएस-VI मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। हालाँकि, पहले से दौड़ रहे बीएस-IV वाहनों को सड़कों से नहीं हटाया जाएगा।

प्रथम चरण में चारों महानगरों सहित जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिमी यूपी सहित कुछ शहरों में बीएस-VI मानक लागू होंगे। इसके बाद उत्सर्जन के नए नियम देश भर में लागू किए जाएंगे।

क्या होता है बीएस?

भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्स (बीएस-VI) को भारत स्टेज (BS) के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्सर्जन मानक होते हैं, जिनके जरिये इंजन और मोटर व्हीकल्स से निकलने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाहनों के लिए तय करता है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत की थी। इसका नाम भले ही भारत स्टेज हो, लेकिन यह स्टैंडर्ड यूरोपीय मानदंडों पर आधारित है।

बीएस-VI, बीएस-IV के मुकाबले कैसे अलग

बीएस-IV के मुकाबले बीएस-VI में प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ काफी कम होंगे। बीएस-IV और बीएस-III ईंधन में सल्फर की मात्रा 50 पीपीएम होती है। बीएस-VI मानकों में यह घटकर 10 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) रह जाएगी, जिससे प्रदूषण कम होगा।

भारत में बीएस-V क्यों नहीं लागू किया गया?

बीएस-V और बीएस-VI ईंधन में जहरीले सल्फर की मात्रा बराबर होती है। जहां बीएस-IV ईंधन में 50 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) सल्फर होता है, वहीं बीएस-V व बीएस-VI दोनों तरह के ईंधनों में सल्फर की मात्रा 10 पीपीएम ही होती है, इसलिए सरकार ने बीएस-IV के बाद सीधे बीएस-VI लाने का फैसला किया।

बीएस-VI के लाभ

बीएस-VI, बीएस मानक का नवीनतम चरण है। इसके लागू होने पर प्रदूषण नियंत्रण के मानक कड़े हो जाएंगे। बीएस-VI ईंधन वाले वाहनों को नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन 68 फीसदी से कम करना होगा। उन्हें पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) के उत्सर्जन को भी मौजूदा मानक से 5 गुना ज्यादा कम करना होगा। बीएस-VI वाहनों में खास फिल्टर लगेंगे, जिससे 80-90% पीएम 2.5 जैसे कण रोके जा सकेंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर नियंत्रण किया जा सकेगा। बीएस-IV के मुकाबले में बीएस-VI आने से वायु प्रदूषण फैलाने वाले तत्त्वों में कमी आएगी और हवा में जहरीले तत्व कम होने से साँस लेने में परेशानी नहीं होगी।

बीएस-VI ग्रेड लागू होने से नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक तत्त्वों का उत्सर्जन काफी कम होगा, बीएस-IV और बीएस-III फ्यूल में सल्फर की मात्रा 50 PPM होती है। यह बीएस-VI स्टैंडर्ड आने के बाद घटकर 10 PPM रह जाएगा। यानी अभी के स्तर से 80% कम। बीएस-VI के लागू होने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों पर काफी हद तक रोक लगेगी। यह प्रणाली (बीएस-VI) हरित भारत अभियान के अनुकूल है और एक स्थायी तरीके से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सक्षम है। यह परियोजना बहुत ही महत्त्वाकांक्षी है और सरकार की सबसे सकारात्मक योजनाओं में से एक है, जो परिवहन और पर्यावरण सुरक्षा के बीच में एक सन्तुलन बनायेगा। इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर भारत में कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी।

उन्नत मोटर ईंधन तकनीक सहयोग कार्यक्रम (AMF TCP)

भारत सरकार का पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 9 मई, 2018 को उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम से 16वें सदस्य के रूप में जुड़ा है। उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम के अन्य सदस्यों में अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, चिली, इजरायल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्पेन, कोरिया गणराज्य, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड शामिल हैं।

एएमएफ-टीसीपी स्वच्छ एवं अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा दक्ष ईंधनों एवं वाहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म (मंच) है। इस कार्यक्रम की गतिविधियां अनुसंधान एवं विकास, उन्नत मोटर ईंधनों के उपयोग एवं प्रचार-प्रसार की जुड़ी हुई हैं। इसके तहत उत्पादन, वितरण और संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित ढंग से परिवहन ईंधन से जुड़े मुद्दों पर गौर किया जाता है। एएमएफ टीसीपी की सदस्यता के फलस्वरूप भारत को मोटर वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखत लाभ मिल सकेगा-

- भारत को मोटर वाहनों से संबंधित विदेशी तकनीक एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग मिलेगा।
- उन्नत मोटर ईंधन प्रोद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम से जुड़ने से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को परिवहन क्षेत्र के लिए उच्च दक्षता एवं कम उत्सर्जन वाले उपयुक्त ईंधनों की पहचान तथा उपयोग करने में मदद मिलेगी।
- सदस्यता के फलस्वरूप भारत को परिवहन क्षेत्र में उपयोग के लिए अनुकूल उन्नत जैव ईंधनों की अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्नत जैव ईंधनों का उपयोग करने वाले सदस्य देशों के अनुभव भी काम आएँगे।

हरित परिवहन ईंधन की महत्ता

ऐसा ईंधन जिससे कम-से-कम प्रदूषण हो और पर्यावरण के अनुकूल, हो। हरित परिवहन ईंधन की श्रेणी में रखा जा सकता है। उसमें ये सारी विशेषताएँ हों, यथा- इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन, पूरी तरह बिजली से चलने वाली गाड़ी तथा प्राकृतिक गैस या बायो ईंधन आदि।

वैकल्पिक ईंधन ना केवल देश के कच्चे तेल के आयात को कम करने में मदद कर सकते हैं बल्कि यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया भी बन सकते हैं। वैकल्पिक ईंधन सस्ता और स्वच्छ हैं। इथेनॉल, मेथेनॉल, जैविक संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), डिमेथाइल ईथर और बिजली का उपयोग कच्चे तेल के विकल्प के तौर पर बढ़ा है। अभी 70% कच्चा तेल आयात होता है जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है।

वैकल्पिक ईंधन का लाभ यह है कि इसके लिए कच्चा माल देश में उपलब्ध है और इसका अधिकतर हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। यह किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करेगा, जो देश की आधी से ज्यादा आबादी का मुख्य व्यवसाय है।

बीएस-VI मानक लागू होने से वैकल्पिक ईंधन को प्राथमिकता हासिल हो सकेगी, साथ ही इससे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ज्ञातव्य है कि विश्व के कई विकसित देश जैसे- फ्रांस, स्पेन ने 2025 तक डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुके हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से भारत को उन्नत जैव ईंधन जैसे- एथेनॉल, जैव-मेथेनॉल इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर बल देने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 को अधिसूचित किया है।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- सरकार जैव ईंधन के विपणन को प्रोत्साहित करेगी एवं उसके विषय में जागरूकता का प्रसार करेगी।
- नीति में जैव ईंधनों को 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) जैव इथेनॉल और जैव डीजल तथा 'विकसित जैव ईंधनों', दूसरी पीढ़ी (2जी) इथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
- इस नीति में इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की परिभाषा को व्यापक विस्तार देते हुए इसमें इन सामग्रियों को भी जोड़ा गया है- गन्ना रस, चुकंदर जैसे मीठे पदार्थ, मीठा बाजरा, मंडयुक्त अनाज जैसे मकई, कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूँ, टूटा चावल और अखाद्य सड़ा आलू आदि।
- इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथेनॉल उत्पादन के लिए (पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिए) अधिशेष अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
- जैव ईंधनों के लिये, नीति में 2जी इथेनॉल जैव रिफाइनरी के लिये 1जी जैव ईंधनों की तुलना में अतिरिक्त कर प्रोत्साहनों, उच्च खरीद मूल्य के अलावा 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए की निधियन योजना के लिये व्यावहारिकता अन्तर का संकेत दिया गया है।
- नीति गैर-खाद्य तिलहनों, इस्तेमाल किये जा चुके खाना पकाने के तेल आदि से जैव डीजल उत्पादन के लिये आपूर्ति शृंखला तंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया गया।
- इन प्रयासों के लिये नीति दस्तावेज में जैव ईंधनों के सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अधिग्रहण किया गया है।
- इस नीति का लक्ष्य बाजार में जैव ईंधन की उपलब्धता को सुगम बनाना है। वर्तमान में पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण प्रतिशत लगभग 2.0% है और डीजल में बायोडीजल मिश्रण प्रतिशत 0.1% से कम है। 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण और डीजल में बायोडीजल का 5% मिश्रण का प्रस्ताव है।

चुनौतियाँ

- भारतीय सन्दर्भ में पिछले दो दशकों से खासतौर पर महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं और जिसमें अर्थव्यवस्था कृषि से हटकर सेवाओं की तरफ जा रही है और इसी बीच भारत के शहरों का भी विस्तार हो रहा है। इस प्रगति के परिणामस्वरूप वाहनों के स्वामित्व में भी पिछले दो दशकों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
- सड़क व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 1991 में देश में पंजीकृत वाहनों की संख्या केवल दो करोड़ 10 लाख थी जो 2012 में बढ़कर 15 करोड़ 90 लाख हो गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान यह गगनचुम्बी ऊँचाईयों तक बढ़ी है।
- उच्च प्रगति दर के परिणामस्वरूप, नए वाहन पंजीकरण में वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत ने दो दशकों में वाहन उत्सर्जन को कम करने में बहुत ही लम्बा सफर तय किया है फिर भी वायु की खराब गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या कायम है।
- परिवहन क्षेत्र की प्रगति आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकती है, पर इसने भारत की वायु प्रदूषण की समस्या में वृद्धि की है। कई भारतीय शहरों को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया है। अधिकतर वाहन हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोक्साइड (सीओ) के उत्सर्जन के लिये जिम्मेदार हैं।
- क्लीन एअर इनिशिएटिव (सीएआई) एशिया ऑफ पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) ने भारत में 130 शहरों पर अध्ययन किया और उन्होंने

पहचाना कि अधिकतर शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर कानूनी सीमा से अधिक है और निकट भविष्य में वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये कोई प्रभावी योजना नहीं है।

- यातायात से संबंधी वायु प्रदूषण, खासतौर पर पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के कारण लोगों में असमय बीमारी और मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी हुई है।
- परिवहन क्षेत्र के द्वारा 2007 में जारी कुल 142 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 87 प्रतिशत सड़क आधारित गतिविधियों से संबंधित था। अगर कोई कदम जल्द ही नहीं उठाया जाता है तो कुल परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2030 तक 1000 मी. टन तक हो जाएगा। भारत ईंधन की गुणवत्ता और वाहन उत्सर्जन मानकों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही पीछे है।
- यहाँ सल्फर का स्तर ईंधन में 10 पीपीएम से अधिक है जबकि इसके विपरीत अमेरिका, यूरोप, दक्षिण कोरिया और जापान में कई वर्षों से 10 पीपीएम सल्फर ईंधन का प्रयोग हो रहा है।
- बीएस-VI मानक के लागू करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढेगा क्योंकि भारत में तकनीकी एवं अनुसंधान की कमी है। तेल कंपनियों को कम सल्फर वाली मोटर वाहन ईंधनों का उत्पादन करना चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए कंपनी को विदेशों से महंगे तकनीक को आयात करना होगा।
- बीएस-VI लागू होने से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की संभावना है, इसका वहन आम जनता को करना होगा।

आगे की राह

- परिवहन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यह जीवाश्म ईंधन के दहन से विश्व भर में होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 23 प्रतिशत है और यह दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। अत: इस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में बीएस-VI मानक कारगर सिद्ध होगा।
- परिवहन व्यवस्था का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल और जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर करना चाहिए।
- हरित परिवहन ईंधन (जैव ईंधन) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके क्योंकि जीवाश्म ईंधन ही वायु में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख कारक हैं।
- भारत में ईंधन की गुणवत्ता और वाहन उत्सर्जन मानको को सुनिश्चित करना चाहिए, साथ ही ईंधन में सल्फर की मात्रा को सीमित करना जरूरी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानक (10 PPM) को पूरा किया जा सके।
- प्रदूषण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है। पर्यावरण में मौजूद मोटर वाहनों से उत्पन्न पार्टिकुलेट मैटर (PM) ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा की हैं जिसका खामियाजा भारतीय जीडीपी को भुगतान पड़ रहा है। वायु प्रदुषण से निपटने के लिए इन उपायों पर अमल करना जरूरी है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव का सामना किया जा सके।
- यदि 2020 से बीएस-VI इंजन के वाहनों का उत्पादन जरूरी हो जाएगा तो सरकार को इस पर एक पॉलिसी भी बनानी होगी, खासकर पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

4. पेप्सिको बनाम किसान : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में फूड एंड बेवरेज दिग्गज कंपनी पेप्सिको इंडिया ने घोषणा की है कि वह गुजरात के 11 किसानों के खिलाफ दायर मुकदमे वापस लेगी। इन किसानों के खिलाफ कथित रूप से आलू की उस खास किस्म को उपजाने को लेकर मुकदमा दायर किया गया था, जिस पर कंपनी पौधा किस्म संरक्षण (प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन-पीवीपी) तथा कृषक अधिकार कानून, 2001 के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का दावा कर रही थी।

क्या था मामला?

पेप्सिको ने अप्रैल में कुछ किसानों पर आलू की उस किस्म की खेती करने को लेकर मुकदमा दायर किया जिसे विशेष रूप से कंपनी के लेज (Lays) आलू चिप्स के लिए उगाया जाता है। कंपनी ने इसके लिए 20 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग किसानों से की थी। कंपनी के इस निर्णय को लेकर सार्वजनिक स्तर पर काफी विरोध हुआ था।

परिचय

आलू के इस किस्म को अमेरिका में 2003 में विकसित किया गया था। भारत में इसे एफसी-5 के नाम से जाना जाता है। पेप्सिको कंपनी किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग करती है, जिसके तहत वो किसानों को खास प्रकार के बीज देती है और उनसे 40 से 45 मिलीमीटर के व्यास वाला आलू लेती है। गूगल पेटेंट्स के मुताबिक एफसी-5 (FC-5) किस्म के आविष्कारक रॉबर्ट हूप्स हैं और अमेरिका में 2003 में फ्रीटोले नॉर्थ अमेरिका इंक नामक कंपनी से इसका पेटेंट करवाया गया था। भारत में इसका पेटेंट 2023 तक के लिए है। विश्लेषकों के अनुसार जब भी किसी बीज की रजिस्ट्री की जाती है तो उस पर विशेष अधिकार 20 सालों के लिए मिलता है और इस समयावधि के बाद कोई भी बिना इजाजत या रॉयल्टी के बगैर इस बीज का इस्तेमाल कर सकता है।

कृषि में बौद्धिक संपदा कानून की उत्पत्ति

पेरिस समझौता 1883, जो कि आईपी कानून के लिए प्रथम बहुपक्षीय समझौता है, इसने औद्योगिक संपत्ति को संरक्षण प्रदान किया। यूरोप के कई देशों ने बौद्धिक संपदा कानून को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया है।

पौध प्रजनकों के बौद्धिक संपदा अधिकार को मान्यता देने का सर्वप्रथम प्रयास 1930 में अमेरिका द्वारा प्लांट पेटेंट अधिनियम (Plant Patent Act) पारित कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य अलैंगिक प्रजनन (ऐसी प्रक्रिया जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है) से उत्पन्न पौधों का पेटेंट करना था।

भारत में कृषि से संबंधित बौद्धिक संपदा के कई मुद्दे हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा बीजों तक

पहुँच से जुड़ा है। ट्रिप्स समझौते के तहत देशों को पौधों और पशुओं के पेटेन्ट की अनुमति नहीं दी गई है, किन्तु पौधे की किस्म (पौधे की श्रेणियाँ, आमतौर पर कोई भी संकर किस्म का बीज) के पेटेंट की इजाजत है।

भारत अपने पौधा किस्म सुरक्षा (पीवीए) अधिनियम 2001 में पारित किया ताकि उत्पादकों के बौद्धिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।

भारत मे कृषकों के अधिकार

जिस किसान ने कोई नई किस्म खोजी या विकसित की हो, उसे उसी प्रकार अपनी किस्म को सुरक्षा प्रदान करने और पंजीकृत करने का अधिकार है जिस प्रकार प्रजनक अपनी किस्म को पंजीकृत कराकर सुरक्षा प्रदान करता है। कृषक किस्म को विद्यमान किस्म के रूप में भी पंजीकृत करा सकता है। कोई भी किसान पीपीवी एंड एफआर (Plant Protection and Farmer Rights) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत संरक्षित किस्म के बीज सहित अपने उत्पाद को उसी प्रकार बचाकर रख सकता है, उपयोग में ला सकता है, बो सकता है, पुन: बो सकता है, उसका विनिमय कर सकता है, साझेदारी कर सकता है या बेच सकता है। जैसे कि वह अधिनियम के लागू होने से पूर्व कर सकता था लेकिन इसमें शर्त यह है कि कोई भी किसान पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सुरक्षित किस्म के ब्रांड युक्त बीज की बिक्री नहीं कर सकता है।

अधिनियम 2001 की धारा 39(3) के अन्तर्गत किसी किस्म के निष्पादन न देने पर किसानों को क्षतिपूर्ति किये जाने का भी प्रावधान है। किसानों को प्राधिकरण, पंजीकरण, न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायालय में कोई भी मुकदमा दाखिल करने के लिये इस अधिनियम के तहत कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा। लाभ में भागीदारी कृषकों के अधिकारों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक है। धारा 26 में प्रावधान है कि भारत के नागरिकों या फर्मों अथवा गैर-सरकारी संगठनों अथवा भारत में स्थापित संगठनों द्वारा लाभ में भागीदारी के दावे प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

किसी किस्म के विकास में दावेदार के आनुवंशिक संसाधन के उपयोग की सीमा प्रगति के साथ-साथ उस किस्म की बाजार में माँग तथा उसके वाणिज्यिक उपयोग के अनुसार प्रजनक को जीन निधि में निर्धारित राशि जमा करानी होगी। जमा की गई यह राशि राष्ट्रीय जीन निधि से दावेदार को अदा की जाएगी।

ट्रिप्स समझौता

बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स-TRIPS) पर बना समझौता एक महत्वपूर्ण और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य देश स्वत: ही इस समझौते में शामिल समझे जाते हैं। यह समझौता बौद्धिक संपदा के अधिकांश प्रावधानों को कवर करता है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार गोपनीयता और पौधों की नई प्रजातियों पर अपवर्जन अधिकार भी शामिल हैं। यह 1 जनवरी 1995 से यह लागू हुआ और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी सदस्य देशों को इसे मानना अनिवार्य है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

- पौधों की किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्म के विकास को बढ़ावा देने के लिये एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना।
- पौधों की नई किस्मों के विकास के लिये पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उनके संरक्षण व सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के सन्दर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- देश में कृषि विकास में तेजी लाना, पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। पौधों की नई किस्मों के विकास के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में अनुसंधान और विकास के लिये निवेश को प्रोत्साहित करना।
- देश के बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। पौधों की नई किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण बना जो 2005 से अस्तित्व में आया।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

यह प्राधिकरण इस मायने में सबसे अलग है कि यह किसानों को उनके अधिकार प्रदान करता है जिसका प्रावधान विश्व के अन्य किसी देश में नहीं किया गया है। प्राधिकरण का मुख्य कार्य विभिन्न पादप किस्मों का पंजीकरण करना है। वैसे तो सभी किस्मों का लेकिन कृषक किस्मों (कृषकों द्वारा अपने खेतों में परम्परागत रूप से जोती जाती है और विकसित की जाती है) का संरक्षण उनके दुर्लभ गुणों के कारण अति आवश्यक है। कृषक किस्में स्थानीय रूप से अनुकूलित होती हैं और उनमें रोग, सूखा, लवण अवरोधी एवं औषधीय विशेष गुण होते हैं। कृषक किस्मों का प्रजनन हेतु आनुवंशिक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अधिनियम द्वारा कृषक किस्मों को बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा प्रदान की जाती है।

मॉडल अनुबंध फार्मिंग एक्ट-2018

- कृषि उत्पाद और पशुधन अनुबंध खेती एवं सेवाएँ (प्रोत्साहन एवं सहूलियत) अधिनियम 2018 नामक कानून के इस मसौदे में राज्यों के कृषि उत्पादन विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के दायरे से बाहर रखने को कहा गया है।
- इससे खरीदारों को उनकी लेन-देन तथा लागत पर पांच से 10 फीसदी की बचत करने में मदद मिलेगी।
- मॉडल अनुबंध कानून की अन्य प्रमुख विशेषताओं में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जिला/ब्लॉक/तालुका स्तर पर एक समिति या अधिकारी नियुक्त करना तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठेके का रिकॉर्ड रखना शामिल है।
- इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादन तथा उत्पादन के बाद की गतिविधियों में अर्थव्यवस्था की तमाम गतिविधियों से लाभ उठाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को बढ़ावा देना है।

विवादों को हल करने में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भूमिका

संविदा किसानों को पेप्सिको से एफसी-5 के बीज प्राप्त होते हैं। इन बीजों से उत्पादित आलू 20-25 रुपए प्रति किलो के भाव से पेप्सिको को किसानों द्वारा बेचा जाता है। पेप्सिको ने ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जिससे छोटे किसान आलू के उत्पादन के संबंध में सार्वजनिक और निजी कृषिविदों के साथ सूचनाओं को साझा कर सकें।

अनुबंध कृषि एक ऐसा समझौता है जिसमें इसके तहत किये जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है। इसमें कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए कुछ मानक स्थापित किये जाते हैं। वर्तमान में अनुबंध खेती को कुछ राज्यों में कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) के साथ पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि अनुबंध समझौतों को कृषि उत्पाद विपणन समिति के साथ दर्ज किया जाता है, जो इन अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का काम करती है। एपीएमसी अधिनियम,

2003 के तहत राज्यों को अनुबंध खेती से संबंधित कानूनों को लागू करने संबंधी अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

भारत के 20 राज्यों ने एपीएमसी अधिनियमों में अनुबंध खेती हेतु संशोधन किये हैं, लेकिन इसके उलट पंजाब में अनुबंध कृषि पर अलग से एक कानून का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा कृषि क्षेत्र में कीमतों से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 2018 जारी किया है। इस अधिनियम में किसानों के हितों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। इस एक्ट में इस बात का वर्णन है कि जब दो पार्टियाँ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं, तो किसान का पक्ष कमजोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम महत्वपूर्ण है।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभ

- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों और फर्मों के बीच एक प्रकार का अनुबंध होता है। इसमें कई छोटे-छोटे किसान मिल कर एक बड़े किसान के रूप में काम करते हैं। जाहिर है इसमें कई किसानों के खेत मिल जाने पर जोत का आकार बढ़ जाता है।
- फिर इन किसानों और निजी खरीददार कंपनियों के बीच उत्पादन की प्राप्ति, खरीद और विपणन की शर्तों को पहले से तय किया जाता है।
- लिहाजा संबंधित कंपनियाँ कृषकों को कृषि आगत, तकनीकी सलाह, परिवहन की सुविधा आदि उपलब्ध कराती हैं। इससे आधारभूत संरचना का विकास हो पाता है और किसान पूर्व निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पाद एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित कर पाता है।
- इसका एक बड़ा फायदा यह है कि चाहे कितना भी छोटा किसान हो, वह भूमिहीन नहीं हो पाएगा। अकसर ही किसान फसल उत्पादन के बाद कर्ज के बोझ से दब जाता है और भूमि बेचकर भूमिहीन हो जाता है, लेकिन इसमें कंपनियों के साथ निर्धारित समय के लिए अनुबंध होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता।
- संविदा कृषि निजीकरण को बढ़ावा देगा और कृषि में व्यावसायिकता लाएगा। फलतः यह कृषि को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बना देगा।
- सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि यह प्रतिस्पर्द्धा छोटे पैमाने पर भी संभव हो सकेगी, जिसकी हमेशा कमी दिखाई पड़ती है। इससे निश्चित ही खेतीबाड़ी में सुधार देखने को मिल सकेगा।
- इससे कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी से भी निजात मिल सकेगी। दरअसल देश में परंपरागत कृषि प्रणाली होने से काम कुछ महीने ही रह पाता है। बाकी महीने कृषक बेरोजगार ही होते हैं लेकिन, अनुबंध कृषि में वैज्ञानिक तरीके से कृषि होगी जिसमें किसानों को विभिन्न प्रकार के फसल को उगाने का मौका मिल सकेगा।
- अनुबंध कृषि उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक होगा। संबंधित कंपनियाँ किसानों को नई तकनीकें मुहैया कराएंगी, जिसमें अच्छी बीज से लेकर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होगी।
- फलस्वरूप, बंजर खेत भी उपजाऊ बन सकेंगे। इसके अलावा कंपनियाँ खाद्यान्नों की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए भी खर्च कर सकेंगी, जिससे अधिकतम उत्पाद को सुरक्षित किया जा सकेगा।

चुनौतियाँ

किसान की बदहाली के दो मुख्य वजह हैं। पहला, भारत में लगभग 80 फीसद किसान छोटे या सीमांत किसान हैं अर्थात उनके पास एक एकड़ से भी कम कृषि योग्य भूमि है। लिहाजा जोत का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाता है, लेकिन उसका मूल्य कम ही मिल पाता है और उन्हें घाटा सहना पड़ता है। दूसरा कारण है कि भारतीय कृषि मानसून आधारित कृषि है जिससे पानी की कमी की वजह से फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समक्ष कुछ अन्य चुनौतियाँ भी मौजूद हैं जिन्हे निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- यह कृषि क्रेता के एकाधिकार को बढ़ावा देता है, अतः वह कम कीमत का प्रस्ताव देकर किसानों का शोषण कर सकते हैं। संविदा की प्रक्रिया सामान्य किसान के लिए समझना कठिन है, अतः उसे असुविधा होगी।
- संविदा कृषि (Contract Farming) से उत्पन्न उत्पादों पर कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) द्वारा लगाये गये कर शोषणकारी होते हैं।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, जो समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रतिकूल है।
- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन की आशंका बनी रहती है।
- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समवर्ती सूची का विषय है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय। ऐसी स्थिति में राजस्व की हानि के भय से सभी राज्यों को इसके लिये सहमत कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है।
- विदेश स्थित बड़ी फर्मों के पारंपरिक ज्ञान पर नियंत्रण से भारतीय खेती और उस पर निर्भर लोगों को खतरा पहुँच सकता है।

कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC)

- अभी तक कुछ राज्यों में अनुबंध खेती के लिये कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) के द्वारा पंजीकरण किया जाना आवश्यक होता है।
- कृषि के लिए अनुबंध समझौतों को एपीएमसी के साथ पंजीकृत किया जाता है। एपीएमसी इन अनुबंधों के दौरान होने वाले विवादों को हल करने का काम करती हैं।
- यदि अनुबंध खेती की जा रही है तो उसके लिए एपीएमसी को बाजार के अनुसार तय शुल्क दिया जाता है।
- राज्यों को अनुबंध आधारित खेती के लिए एपीएमसी अधिनियम, 2003 के तहत अनुबंध खेती से संबंधित कानूनों को लागू करने के अधिकार दिए जाते हैं।

आगे की राह

किसानों को समय पर भुगतान की समस्या, कंपनियों और किसानों के बीच उत्पन्न विवाद, किसानों का शोषण आदि समस्याएँ आ सकती हैं। इसके लिए एक आदर्श कानून की जरूरत है। सरकार को इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है। अगर सरकार अनुबंध कृषि को बढ़ावा देने के बारे में सोच रही है तो यह किसान के लिए वरदान साबित हो सकता है। देश में गन्ने, बागवानी की फसलों, आलू और कुछ अन्य फसलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है और इस वजह से किसानों को मार्केट के उतार-चढ़ाव की मुश्किलों से बचाना जरूरी है।

देश में जो किसानी समस्या है, उसे हल करने के लिए सरकार को कोई ठोस पहल करनी होगी अन्यथा, कृषि का अस्तित्व खतरे में दिखाई

देगा। इसके अलावा वर्तमान में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की संरचना के साथ विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं, जिनके विषय में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को खेती की नई विधियों और एग्री इंजीनियरिंग से किसानों का काम आसान हो सकता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। चूँकि मिट्टी, जल, औजार, जलवायु और बीज कृषि के स्तंभ हैं, इसलिए सरकार को कृषि के संबंध में नए-नए अन्वेषण करने की आवश्यकता है। इसके लिए ऑर्गेनिक खेती पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को देश भर में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता (वर्तमान में 32 मिलियन टन) बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि किसानों की उपज बर्बाद न हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

5. अरब स्प्रिंग 2.0 : अरब क्रांति का पुनर्संस्करण

चर्चा का कारण

हाल ही में सूडान के राष्ट्रपति उमर-अल-बशीर को वहाँ की सेना ने उनके पद से हटा दिया और उन्हे हिरासत में ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त सूडान में आपातकाल तीन महीने तक के लिए लागू हो गया है। ज्ञातव्य है कि विगत कुछ महीनों से सूडान में सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे। इसके अलावा सूडान की तरह अफ्रीकी महाद्वीप के अन्य देश अल्जीरिया में वर्षो से सत्ता पर काबिज तानाशाह अब्दुल अजीज बूतेफ्लीका को जन आक्रोश के कारण सत्ता छोड़नी पड़ी है। बूतेफ्लीका पिछले बीस वर्षो से सत्ता पर काबिज थे और अगले पाँच वर्ष फिर राष्ट्रपति बने रहना चाहते थे। आजादी और जनवाद के नारों के बीच अल्जीरिया की जनता खासकर युवाओं के आक्रोश भरे प्रदर्शनों ने इस तानाशाह की इच्छा को पूरा नहीं होने दिया।

अरब स्प्रिंग क्या है?

मध्य पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में शृंखलाबद्ध विरोध-प्रदर्शन एवं धरना का दौर 2010 मे आरंभ हुआ, इसे अरब जागृति, अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह कहते हैं। अरब स्प्रिंग, क्रान्ति की एक ऐसी लहर थी जिसने धरना, विरोध-प्रदर्शन, दंगा तथा सशस्त्र संघर्ष की बदौलत पूरे अरब देशों के साथ ही पूरे विश्व को चिंतित कर दिया। इसकी शुरूआत ट्यूनीशिया में 18 दिसम्बर, 2010 को मोहम्मद बुआजीजी (Md. Bouazizi) के आत्मदाह के साथ हुई। इसकी आग की लपटें पहले-पहल अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन और यमन पहुँची जो शीघ्र ही पूरे अरब लीग एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में फैल गई। इन विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप कई देशों के शासकों को सत्ता की गद्दी से हटने पर मजबूर होना पड़ा। बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को तथा इजरायल में भारी जनविरोध हुए, तो वहीं मैरितानिया, ओमान, सऊदी अरब, पश्चिमी सहारा तथा फिलिस्तीन भी इससे अछूते न रहे। हालाँकि यह क्रान्ति अलग-अलग देशों में हो रही थी, परंतु इनके विरोध प्रदर्शनों के तौर-तरीके में कई समानताएँ थीं जैसे- हड़ताल, धरना, मार्च एवं रैली। विशेषज्ञों के मुताबिक अरब स्प्रिंग की मुख्य वजह आम जनता की वहाँ की सरकारों से असंतोष एवं आर्थिक असमानता थीं। इनके अलावा तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनैतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय कारण भी प्रमुख थे।

अरब स्प्रिंग 2.0

पिछले कई महीनों से सूडान की सत्ता संभाल रहे उमर-अल-बशीर के खिलाफ वहाँ की जनता प्रदर्शन कर रही थी तथा उनके इस्तीफे की भी मांग कर रही थी, क्योंकि सूडान सरकार ने ब्रेड की कीमतों में तीन गुना वृद्धि कर दी थी, जिसके बाद से सूडान के लोग महँगाई से जूझ रहे हैं। देश में लगभग सभी वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे वहाँ की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमर-अल-बशीर पर देश के नागरिकों पर नरसंहार कराने का भी आरोप है। उन पर सूडान के पश्चिमी इलाके दारफुर में युद्ध अपराध को संगठित करने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। बशीर के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी मामला चल रहा है। बशीर के नेतृत्व में सूडान का बुरा हाल हो गया तथा सूडान आर्थिक तंगी से जूझने लगा। रक्षा मंत्री अवाद मुहम्मद अहमद इब्न अऊफ ने कहा कि सेना दो साल तक सत्ता सँभालकर देश में ध्वस्त पड़ी व्यवस्था को बहाल करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। चुनाव होने तक सैन्य परिषद देश की सत्ता संभालेगी।

सूडान

सूडान, आधिकारिक तौर पर सूडान गणराज्य, उत्तर-पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है, इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का दसवाँ सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी खार्तूम है। सूडान दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जहाँ आज भी 3000 ई.पू. बसी बस्तियाँ अपना वजूद बचाए हुए हैं। प्राकृतिक संसाधन के रूप में पेट्रोलियम और कच्चे तेल से भरे-पूरे सूडान की अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जनवादी गणराज्य चीन और रूस सूडान के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं।

अल्जीरिया

अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक लोकतांत्रिक सुन्नी मुस्लिम देश है। अल्जीरिया की राजधानी अलजीयर्स (Algiers) सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। लगभग 23 लाख 81 हजार वर्गकिलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ अल्जीरिया दुनिया का दसवाँ सबसे बड़ा और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है।

अल्जीरिया एवं सूडान में घटनाक्रम

अल्जीरिया में वर्षो से सत्ता पर काबिज अब्दुल अजीज बूतेफ्लीका ने अप्रैल 1999 में सेना के समर्थन से राष्ट्रपति का चुनाव जीता था और 2019 तक वह इस पद पर बने रहे। बूतेफ्लीका के जीवन के शुरूआती वर्षों को छोड़ दिया जाये तो उन्होंने अल्जीरिया की मुक्ति की लड़ाई में सकारात्मक भूमिका निभायी थी, बाद का जीवन घोर भ्रष्टाचार, राजनीतिक तीन-तिकड़मों, चंद पूँजीवादी घरानों के साथ साँठ-गाँठ करने और सबसे बढ़कर सारी सत्ता अपने हाथ में केन्द्रित करने में बीता। यहाँ तक कि वह मीडिया-अखबारों को संचालित करने के लिए मुख्य सम्पादक भी बन गये। बूतेफ्लीका के शासन को एक बड़ी चुनौती वर्ष 2011 के अरब विद्रोह; जिसे अरब

बसंत आदि भी कहा गया, के समय मिली। पड़ोसी देशों ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र में हुए जनविद्रोह की तरह अल्जीरिया में भी आक्रोश फूटा था। इस आक्रोश से ट्यूनीशिया और मिस्र की तरह वर्षों से काबिज सत्ताधारियों को सत्ता से बेदखल करने में कामयाबी तो नहीं मिली पर बूतेफ्लीका को पीछे हटना पड़ा था। अल्जीरिया में 1992 से ही आपातकाल लगा हुआ था। सभा करने, प्रेस की स्वतंत्रता आदि पर तरह-तरह की पाबन्दियाँ थीं। आपातकाल खत्म करने की मांग एक प्रमुख राजनीतिक मांग के रूप में वर्ष 2011 में सामने आयी थी। बढ़ते अरब जनविद्रोह के बीच बूतेफ्लीका को आपातकाल के साथ-साथ टेलीविजन व रेडियो पर राज्य के एकाधिकार को समाप्त करना पड़ा। अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था तेल की गिरी कीमतों के बीच व्यापार घाटे से लेकर निम्न विकास दर की शिकार रही है। बढ़ती बेरोजगारी जो कि वर्ष 2011 के जनाक्रोश की एक प्रमुख वजह थी, इस बार भी एक बड़ी वजह बनकर उभरी। इस वक्त अल्जीरिया में बेरोजगारी की दर 11.7 फीसदी पहुँच गई है। युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यह दर 29 फीसदी तक जा पहुँच गई है।

सूडान और अल्जीरिया की जनता वर्तमान में युद्ध के मैदान में है। बड़े पैमाने पर उथल-पुथल के बीच निरंकुश शासक को उखाड़ फेंका गया है लेकिन यह क्रांतिकारी स्थिति लोकतांत्रिक परिवर्तन के रूप में कितनी दूर है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। जाहिर तौर पर ये बाधाएँ लोकतांत्रिक परिवर्तन के खिलाफ काफी जटिल हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उत्तरी क्षेत्र के विपरीत जहाँ दो प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियाँ तुर्की और ईरान ने लोकतांत्रिक परिवर्तन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है, ऐसे में दक्षिणी क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं है जो प्रतिनिधि संबंधी शासन में परिवर्तन को इच्छुक हो।

वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र के तीन सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राष्ट्र सऊदी अरब, यूएई और मिस्र सूडान में किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक परिवर्तन के विरोध में हैं। (इस बीच लीबिया में भी एक सशक्त व्यक्ति मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के समर्थन के साथ अपने प्रगति पथ पर है।) विडंबना यह है कि तुर्की और ईरान की स्थिति अस्पष्ट है।

इसके विपरीत सऊदी अरब ने सूडान में सेना के लिए खुल कर समर्थन किया है। मिस्र ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह सूडान में लोकतांत्रिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। इसका कारण यह है कि सऊदी अरब और यूएई इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक विद्रोह की लहर को बढ़ावा दे सकते हैं और सूडान में सत्ता में आ भी सकते हैं। जैसा कि मिस्र में कुछ समय पहले हुआ था और ऐसा ही मोरक्को में हुआ था।

अरब-स्प्रिंग 2.0 के कारण

गरीबी और बेरोजगारीः वर्षों से कई लोगों ने उच्च गरीबी और बेरोजगारी दर को कम करने में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की आलोचना की है। अरब के कई देश उच्च बेरोजगारी दर का सामना कर रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से शिक्षित युवा आबादी है।

मध्य-पूर्व में सत्तावादी शासनः मध्य-पूर्व के सभी देशों में दमनकारी अधिनायकवादी शासन था। ट्यूनीशिया में बीन अली, मिस्र में मुबारक, लीबिया में गद्दाफी तथा सीरिया में अल-असद जैसे लोगों का शासन था। सभी ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग किया तथा किसी भी विरोधी आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया। इसके अलावा अपने शासनकाल में इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मानव अधिकारों का भी हनन किया।

भ्रष्टाचार का बोलबालाः विश्लेषकों का मानना है कि इन देशों के सत्ताधारी शासकों के करीबी लोग व्यवसाय और अन्य राजनीतिक मामलों व सरकारी काम में दखल दे रहे हैं जिसके कारण वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुँच गया है। ट्यूनीशिया, लीबिया में स्थिति और खराब हो चुकी है जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।

सिविल सोसायटी व सेना की सक्रियताः सिविल सोसायटी ने लोगों के बीच जाकर उन्हें प्रदर्शनों के लिए उकसाया, ताकि जनता विरोध प्रदर्शनो में शामिल हो सके। अल्जीरिया में सेना का अपना एजेंडा है तथा उसके अपने व्यावसायिक हित हैं, इसलिए सेना विरोध प्रदर्शनों को रोकने में विशेष दिलचस्पी नहीं ले रही है।

अरब स्प्रिंग और विश्व

दुखद पहलू यह है कि सूडान को मध्य-पूर्व क्षेत्र में तीन निरंकुश सरकार की दया पर छोड़ दिया गया। कोई बड़ी शक्ति- अमेरिका, रूस या चीन सूडान के लोकतांत्रिक परिवर्तन का समर्थन नहीं करते हैं। वे या तो उदासीन हैं या गुप्त रूप से खार्तूम में फिर से सशक्त व्यक्तियों के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। वे शायद राजनीतिक इस्लाम के उत्थान से असहज हैं, यहाँ तक कि इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मामले में भी यही स्थिति है। फिर से सीरिया की तरह वे मुख्यतः भू-राजनीतिक प्रिज्म के माध्यम से इस उभरती हुई स्थिति को देखते हैं। तास न्यूज एजेंसी के अनुसार रूस नए सूडानी अधिकारियों को स्वीकारता है और उनके साथ संपर्क बनाए हुए है।

इस निराशाजनक परिदृश्य में अब तक की सबसे अच्छी बात यह है कि सूडान में लोक सम्मत क्रांति अहिंसक रही है। इतिहास से पता चलता है कि हिंसक विद्रोह नई तानाशाही को संगठित करने और प्रेरित करने के लिए प्रतिशोधात्मक ताकतों के हाथों से संचालित होते हैं। दूसरी ओर सविनय अवज्ञा, बहिष्कार, प्रदर्शन और गैर-हिंसक रणनीतियों के अन्य रूप तब तक सफल नहीं हो सकते, जब तक कि लोक सम्मत आंदोलन न हो, जो सूडान में हो रहा है।

विश्व की प्रमुख महाशक्ति जैसे- अमेरिका, इटली और फ्रांस का मानना है कि बूतेफ्लीका और अल-बशीर के सत्ता पतन से उत्तरी अफ्रीका में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। इटली का मानना है कि ऐसी स्थिति में यूरोप में प्रवासियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका (अदन की खाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित) जो पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है और अरब सागर में सैकड़ों किमी. तक फैला है, वहाँ मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और इजरायल के अपने-अपने हित हैं। रूस, अल्जीरिया और सूडान पर नजर रख रहा है क्योंकि उसके लिए सत्ता परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिससे वह उन देशों के साथ सैन्य और राजनीतिक संबंध विकसित कर सके। वर्ष 2016 में ब्लादिमिर पुतिन ने अल्जीरिया की यात्रा के दौरान बड़े हथियारों के सौदों पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए पहले तो रूस यह नहीं चाहता है कि वहाँ सत्ता में परिवर्तन हो और अगर सत्ता में बदलाव हो भी जाए तो कम से कम आने वाली सरकार का झुकाव रूस की तरफ हो। दूसरी तरफ रूस सूडान के साथ भी अपने आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंधों को भी मजबूत करना चाहता है।

अरब स्प्रिंग और भारत

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में भारत का हमेशा से प्रयास रहा है कि इसकी अवधारणा भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तथा मध्य-पूर्व एशिया तक पहुँचे। इन देशों में भारतीयों की संख्या 9 मिलियन से ज्यादा है और अधिकतर भारतीय प्रवासी समुदाय के रूप में विद्यमान हैं। प्रवासियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी योगदान दिया है, उन्होंने देश की भलाई और विकास के लिए

प्रतिवर्ष लगभग 35 बिलियन डॉलर की राशि अपने देश में भेजी है जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि हुई है।

मिस्र, ट्यूनीशिया, लीबिया, यमन, सीरिया में राजनीतिक उछाल देखा गया है जिससे वहाँ पर रह रहे भारतीयों के समक्ष कई चुनौतियाँ आ गई हैं। कई भारतीय श्रमिक इन देशों में अच्छी स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में भारत का लगातार प्रयास है कि वहाँ जल्दी से जल्दी शांति स्थापित किया जा सके। इसके लिए विदेश मंत्रालय विदेश में अपने दूतावासों से लगातार संपर्क में है।

आगे की राह

सूडान में हो रहे विद्रोह में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहाँ की राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप को देखते हुए देश के सभी लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया है। महिलाओं की भागीदारी देश के बदलते जनसांख्यिकीय को दर्शाती है। वास्तव में सूडान के प्रदर्शनकारी चाहे वे राजनीतिक समूहों से संबद्ध हों या नहीं वे उन्ही मूलभूत चीजों की मांग कर रहे थे जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। हालाँकि सूडान में बशीर के शासन से बेदखल होने के बाद अब सेना के काबिज होने से साफ है कि आने वाले समय में संघर्ष और बढ़ेगा।

अल्जीरिया की बात करें तो वहाँ के न्यायाधीशों ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और कहा है कि वे उनके खिलाफ मामलों को स्थगित करने से इंकार करेंगे। 2010 के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरब दुनिया में इस प्रकार के हलचल दिखाई दे रही है। इस विद्रोह ने कई शासकों को शीर्ष से जमीन पर ला दिया है। एक तेल समृद्ध देश अल्जीरिया वर्तमान में लोकतंत्र की दिशा में संभवतः तेजी से बढ़ रहा है। हालाँकि विश्लेषकों को संदेह है कि तानाशाह शासकों के बेदखल होने के बाद सेना हावी हो जाएगी और लोकतांत्रिक प्रणाली बहाल करने की माग गर्त में चली जाएगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

6. छोटे बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाकलाप की अनिवार्यता

चर्चा का कारण

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक रिपोर्ट जारी कर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि बच्चों का सही और सम्पूर्ण विकास हो इसके लिए बेहद जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स को उनके जीवन का हिस्सा न बनने दिया जाय।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भले ही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन जहाँ तक संभव हो बच्चों को इससे दूर ही रखा जाये, खासतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश

- एक साल या इससे कम उम्र के नवजात शिशुओं को तो स्क्रीन के सामने बिल्कुल नहीं लाना चाहिए।
- एक वर्ष तक के शिशुओं को दिर भर में 1 घंटे से ज्यादा स्ट्रॉलर्स, हाई-चेयर या स्ट्रैप ऑन कैरियर्स में भी नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही 1 साल तक के बच्चे दिनभर जितने एक्टिव रहें उतना ही अच्छा है।
- 1 से 2 साल तक के बच्चों के लिए कुछ मिनटों का ही स्क्रीन टाइम काफी है। साथ ही कम से कम 3 घंटे की शारीरिक गतिविधि ऐसे बच्चों के लिए बेहद जरूरी है।
- 3 से 4 साल तक के बच्चों को दिनभर में 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन के सामने नहीं रखना चाहिए, फिर चाहे वह टीवी हो, स्मार्टफोन हो या फिर कोई और उपकरण। इस उम्र के बच्चों को दिनभर में कम से कम 3 से 4 घंटे की शारीरिक व्यायाम भी करवानी चाहिए अर्थात उनके फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए।
- डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार दुनियाभर में लगभग 4 करोड़ बच्चों का वजन सामान्य से अधिक है, जो कुल वजन का लगभग 6 प्रतिशत है। इनमें से आधे अफ्रीका और एशिया के हैं।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार बचपन के प्रारंभिक दौर में बच्चों का विकास तेजी से होता है और यह ऐसा समय है जब स्वस्थ रहने के लिए परिवार की जीवनशैली को उसके अनुकूल ढाला जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देश अनायास ही नहीं आये हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस बात पर चिंता जताई है कि दो साल की उम्र से छोटे बच्चे मोबाइल और टैब जैसे डिजिटल डिवाइस पर बहुत ज्यादा समय बिताने लगे हैं। साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताया जाने वाला इन बच्चों का समय पिछले 17 वर्ष में पहले से दोगुना हो गया है। बाल चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को सुझाव दिया है कि वे बच्चों के सोने के समय से एक घंटा पहले से ही एक किस्म का डिजिटल कर्फ्यू लगा दें अर्थात मोबाइल और टैब जैसी चीजों से उन्हें दूर रखें।

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन द्वारा JAMA Pediatrics नाम के साइंस जर्नल द्वारा जारी रिपोर्ट में उस समय की तुलना की गई है, जब मोबाइल इतने सुलभ/आम प्रचलन में नहीं थे। इसके लिए 1997 का वर्ष चुना गया और इसकी तुलना 2014 से की गई। 1997 में अमेरिका में दो साल से छोटे बच्चे हर दिन लगभग मोबाइल स्क्रीन पर औसतन 1.32 घंटे बिता रहे थे। वहीं 2014 में यह औसत बढ़कर लगभग दोगुने से भी ज्यादा यानी 3.05 घंटे हो गया। वहीं जब तीन से पाँच साल के बच्चों के बीच तुलना की गई तो पता चला कि 17 वर्षों में वृद्धि तो हुई है लेकिन कम वृद्धि हुई है। 1997 में इस आयु वर्ग के बच्चे हर दिन लगभग 2.3 घंटे मोबाइल देख रहे थे, 2014 में यह समय बढ़कर 3 घंटे के आस-पास हो गया। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि यह हाल सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरे विश्व की कमोवेश यही स्थिति है। जागरूकता के मामले में एशिया और अफ्रीका की स्थिति ज्यादा खराब है।

इंटरनेट मैटर्स, यूथवर्क्स और यूनिवर्सिटी ऑफ किंग्सटन की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और ये जिस माहौल में बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिना पर्याप्त इंटरनेट सुरक्षा की जानकारी के इनके "डिजिटल स्पेस में खो जाने" का खतरा है। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया

है कि ऐसे बच्चों को, जिन्हें स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है या जिनमें मानसिक, शारीरिक या दूसरी दिक्कतें हैं उनकी समस्याओं को इंटरनेट की दुनिया और बढ़ा देती है।

इन दिशा-निर्देशों का महत्त्व

डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी दिशा-निर्देश वर्तमान समय की मांग है क्योंकि वर्तमान में विश्व के सभी देशों में छोटे बच्चों का बचपन खोता जा रहा है, इससे न सिर्फ उनकी वर्तमान बल्कि भविष्य की राह भी कठिन होती जा रही है। बल्कि ये कहें कि बच्चो का भविष्य शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशानियों की तरफ बढ़ रहा है। इन दिशा-निर्देशों की महत्ता को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है-

शारीरिकः वैश्वीकरण के दौर में विश्व के सभी देश जैसे-जैसे एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं वैसे-वैसे लोगों की कार्यपद्धति व रहन-सहन बदलती जा रही है। चूँकि मानव के विकास के कई चरण होते हैं और बाल्यावस्था भी उनमें शुरूआती और एक महत्वपूर्ण चरण है। एक व्यक्ति के बचपन की शारीरिक विकास उसके भविष्य की सीढ़ियाँ बनती हैं। पहले के समय में बच्चों को खेलकूद व शारीरिक व्यायाम के लिए स्वतंत्रता ज्यादा थी। चूंकि उनके लिए मनोरंजन का साधन भी समाज में गढ़े गये परंपरागत खेल सामग्री ही थी जिससे कि वे दो-चार होते थे और उसी के द्वारा वे मनोरंजन करते थे। परिणामस्वरूप उनका शारीरिक विकास भी होता था।

लेकिन वर्तमान समय में देखें तो दुनिया डिजिटल हो गयी है और विश्व के सभी देश डिजिटल की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस युग में यदि बच्चों के शारीरिक विकास की बात की जाय तो कई सर्वे और रिपोर्ट यह बताते हैं कि बच्चों में शारीरिक गतिविधियाँ कम हो रही हैं तथा बच्चे शारीरिक श्रम की अपेक्षा डिजिटल डिवाइस की तरफ अपने को व्यस्त रख रहे हैं जिसका दुष्परिणाम मोटापा के रूप में सामने आ रहा है। बच्चे विडियो गेम से लेकर ऑनलाइन चैटिंग को ज्यादा महत्त्व दे रहे हैं न कि खेल के मैदान में जाकर खेलने को।

भारत में एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही 'स्वस्थ मस्तिष्क का विकास' होता है लेकिन वर्तमान समय में अभिभावक इस उक्ति पर ध्यान दे रहे हैं। अभिभावकों को लगता है कि स्कूल के बाद बच्चों को कम समय मिलता है इसलिए डिजिटल डिवाइस के प्रयोग से वे बच्चों को मना नहीं कर पाते हैं। यदि 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों की बात की जाय तो उनके मामले में भी अभिभावकों की खुली छूट है क्योंकि इससे बच्चे अभिभावक को परेशान नहीं करते हैं, परिणामस्वरूप अभिभावक अपने कार्यों में लीन रहते हैं।

स्कूली स्तर पर भी देखा जाय तो जितनी अहमियत पढ़ाई को दी जाती है उतनी शारीरिक व्यायाम को नहीं। व्यायाम या खेलकूद के लिए बमुश्किल आधा या एक घंटा दिया जाता है वह भी नियमित रूप से नहीं। इससे बच्चों के मन में खेल या शारीरिक व्यायाम के प्रति रूचि कम होने लगती है। इधर जब से कम्प्यूटर का युग आया है तब से स्कूल में भी बच्चे खेल के समय को लाइब्रेरी में बिताते हैं तथा ऑनलाइन गेम खेलते हैं।

मानसिकः जैसे-जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है वैसे-वैसे देश समाज और व्यक्ति का विकास तो हो रहा है लेकिन उसके सामने चुनौतियाँ भी तेज गति से बढ़ रही हैं। खासतौर पर बच्चों को लेकर समस्या और भी बढ़ गई है। रिपोर्टस बताते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास के बीच असंतुलन बढ़ रहा है। बच्चे अपने समय से आगे चल रहे हैं और इसके लिए डिजिटल डिवाइस बहुत हद तक जिम्मेदार है। बच्चों के सामने कई मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं और वे परंपरागत किताबों, कहानियों, चुटकूलों के बजाय इंटरनेट पर अपना समय बिता रहे हैं।

आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ बड़े बच्चे ही नहीं बल्कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी इंटरनेट पर गेम खेल रहे हैं। परिणामस्वरूप उनका मानसिक विकास व्यावहारिक स्तर पर कम होता जा रहा है। अभी हाल ही में कई घातक गेम जैसे कि ब्ल्यूव्हेल आदि के कारण बच्चों के आत्महत्या के मामले सामने आये हैं।

वर्तमान में चाहे गाँव हो या फिर शहर एक नई बात यह देखने को मिली है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दूध पिलाने या खाना खिलाने के लिए उनके हाथों में मोबाइल दे दिया जाता है जिससे कि वे इसे देखते रहें और अभिभावक उन्हें दूध पिला सकें या फिर खाना खिला सकें। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे बच्चों की रूचि बनती जा रही है और वे इसे अपनी आदत में बना लेते हैं। इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास प्रभावित हो रहा है। यही नहीं बच्चे यदि थोड़ा भी रोते या जिद करते हैं जो उनके जीवन का एक हिस्सा है तो भी उनको डिजिटल डिवाइस के द्वारा मनाने की कोशिश की जा रही है, जो बच्चों के लिए घातक है।

सामाजिकः संयुक्त परिवार का टूटना और एकल परिवार का बढ़ना बच्चों के सामाजिक विलगाव के लिए एक बड़ा कारक है। खासतौर पर छोटे बच्चे जो पैदा होने के कुछ समय बाद दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची आदि के बांहों में झुलते थे वे अब इनसे दूर हो चुके हैं और वे अब इंटरनेट की दुनिया में झूल रहे हैं। अभिभावकों के पास समय की कमी तथा अकेले रहने की चाह बच्चों के बचपन को बर्बाद कर रही है। बच्चे पारिवारिक संबंधों से परे होते जा रहे हैं क्योंकि उनके चारों-तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का जाल बिछता जा रहा है। आज के समय में न सिर्फ बड़ों को एकांकीपन सता रहा है बल्कि बच्चों को भी एकांत में रहने पर विवश होना पड़ रहा है। इससे बच्चों का न सिर्फ मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है बल्कि सामाजिक जुड़ाव भी खत्म होते जा रहा है। खोते बचपन पर लगातार हो रहे अध्ययन को ध्यान में रखकर ही डब्ल्यूएचओ ने अपना दिशा-निर्देश जारी किया है जिससे कि बच्चों के बचपन के साथ-साथ उनके भविष्य को भी बचाया जा सके।

महत्त्व

- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य वैसे अधिकारियों की सहायता करना है जो शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाते हैं। ये प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल को सुचारू बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करते हैं।
- ये दिशा-निर्देश बच्चों के विकास के लिए व्यापक पोषण देखभाल के लिए आवश्यक हैं। पोषण देखभाल में स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा की जरूरतों के साथ-साथ सीखने के शुरूआती अवसर शामिल हैं।
- ये दिशा-निर्देश बच्चों को पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि तथा मोटापा की समस्या से निपटने में सहायक होगा।
- विश्व के कई देश पहले से ही बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने की नीति बनाये हुए हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा न्यूजीलैण्ड आदि।

डिजिटलीकरण से बच्चों पर प्रभाव

परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन के लिए प्रयोग आवश्यक है। डिजिटलीकरण को भी इसी संदर्भ में समझना चाहिए जिसमें कि सरकार बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है लेकिन सरकार के

इस प्रगतिवादी कार्य से बच्चों का बचपन कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है।

हम ई-बस्ता, विद्यांजलि, स्वयंप्रभा आदि कार्यक्रमों के माध्यमों से डिजिटल भारत के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं। स्किल इंडिया, कैम्पस कनेक्ट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई-लर्निंग, मोबाइल बेस्ड लर्निंग एप्रोच, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स आदि की मदद से भारत में ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। सरकार के इस तरह के बहुत से प्रयास किये गये जिससे कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आसानी हो। सरकार भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर जोड़ना चाहती है और इसके लिए नये-नये तकनीकी सुविधाओं का प्रसार कर रही है। इन्हीं तकनीकी प्रसार से बच्चे इंटरनेट से अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं और वे इसके जाल में भी फस रहे हैं। सरकार तो उनके हित में ही ये कार्य कर रही है लेकिन कहीं न कहीं इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि 1 से 5 साल तक के बच्चों पर इस तरह की योजनाओं का बहुत असर नहीं पड़ता है लेकिन इससे उपर के उम्र के बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं।

चुनौतियाँ

- वर्तमान में हर कोई शहर की तरफ भाग रहा है क्योंकि रोजगार सबसे अधिक शहरों में है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अभिभावकों के पास समय की कमी है इसलिए वे बच्चों को प्लेइंग स्कूल में डाल देते हैं जिससे बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में बच्चे बहुत छोटी-सी उम्र से ही अपने माता-पिता दूर हो जाते हैं।
- खेलकूद के मामले में सरकारी स्कूलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी खेलों पर ध्यान नहीं दिया जाता जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है।
- वर्तमान में लोगों की जीवनशैली जिस तरीके से बदली है अर्थात देर रात तक जागना। इससे बच्चों की भी दिनचर्या में बदलाव आया है जिससे कि बच्चे भी अब अभिभावकों के साथ ही मोबाइल डिवाइस के साथ अपना समय बिता रहे हैं।
- अभी भी जागरूकता की कमी है जिससे कि बच्चों में इन डिवाइसों से होने वाले नुकसान का अनुभव अभिभावक नहीं कर पा रहे हैं।
- अभिभावकों का बच्चों के साथ टेलीविजन पर अधिक से अधिक समय देना भी बच्चों को इन डिवाइसों के प्रति आकर्षित कर रहा है। बच्चे इन डिवाइसों के आदि होते जा रहे हैं।

आगे की राह

बच्चे (खासकर 1 से 5 वर्ष तक) इंटरनेट की दुनिया से दूर रहें इसके लिए कई कार्य किये जा सकते हैं-

- अभिभावकों को किसी भी हालत में बच्चों के सामने मोबाइल, टैब आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नहीं चलाना चाहिए। यदि अतिआवश्यक हो तो बच्चों को इनसे दूर रखकर इसका प्रयोग करें।
- बच्चों के खेल सामग्री से इंटरनेट को दूर रखें।
- बच्चों के नियमित दिनचर्या को बनाये रखना चाहिए जैसे उनके सोने, जागने, खेलने आदि।
- अभिभावक को जागरूक होना होगा और यह समझना होगा कि बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं। अतः उन्हें अच्छे परिवेश में ही रखना चाहिए।
- सरकार को सरकारी व प्राइवेट दोनों स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देना चाहिए।
- अभिभावकों को अपने छोटे बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताना चाहिए जिससे कि वे एकांकीपन से दूर हो सकें।
- बच्चों को खेलकूद व शारीरिक व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व उन्हें इसके पर्याप्त समय देना चाहिए।
- छोटे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनके जैसे बच्चों के बीच रखना चाहिए जिससे कि वे एक-दूसरे के साथ खेल सकें।
- शहरों में अच्छे और स्वच्छ प्लेइंग स्कूल का विकास करना चाहिए। जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

7. माउंट एवरेस्ट पर अपशिष्ट पदार्थों का बढ़ता जाल

चर्चा का कारण

हाल ही में नेपाल में सफाई अभियान के तहत माउंट एवरेस्ट से करीब 3,000 किलोग्राम ठोस कचरा हटाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य विश्व की सबसे ऊँची चोटी से कचरे को हटाना है जो कूड़ेदान में बदलती जा रही है। नेपाल सरकार द्वारा 45 दिन के इस अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल को नेपाली नववर्ष के दिन हुई। इसका मुख्य लक्ष्य माउंट एवरेस्ट से करीब 10,000 किलोग्राम कचरा हटाना है। इस अभियान में नागरिक उड्डयन, पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय, नेपाल की सेना, पर्यावरण मंत्रालय, नेपाल पर्वतारोहण एसोसिएशन, सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति और नेपाल पर्यटन बोर्ड का सहयोग लिया जा रहा है।

परिचय

माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण के दौरान फेंके गए उपकरणों, भोजन के खाली डिब्बों, दवाइयाँ, सिरिंज, प्लास्टिक डिब्बे, कपड़े, कागज, ऑक्सीजन की बोतलें, बिजली के संयंत्र और यहाँ तक कि मानव शवों का अच्छा खासा भंडार है। किसी भी सफल अभियान के अंतर्गत कोई भी पर्वतारोही टीम अनुमानतः 500 किलोग्राम कचरा छोड़ आती है जिसका बहुत थोड़ा-सा भाग ही सड़-गल पाता है।

इस विषय में माउंट एवरेस्ट ही अपवाद नहीं है बल्कि अन्य पर्वतों की भी यही समस्या है। उदाहरण के रूप में जापान में प्रतिवर्ष लगभग 2,00,000 लोग माउंट फ्यूजी पर कचरे का ढेर छोड़ आते हैं। पर्वतारोही, ट्रैकर आदि मुख्य रूप से इस कचरे के लिए लगभग पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पर्वतीय पर्यटन को ही केवल पर्वतों की पारिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव का कारण नहीं माना जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में पर्वतों की पारिस्थितिकी में जो विघटन हुआ है उसके लिए मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियाँ व अंधाधुंध विकास भी उत्तरदायी हैं। विश्व में अनेक राष्ट्रों की सरकारें

पर्वतीय पर्यटन से होने वाली आय पर विचार करके पर्वतों के सीमित संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं। एक ओर वनों को काट कर होटल आदि बन रहे हैं तो दूसरी ओर वन सम्पदा (लकड़ी आदि) का पर्यटकों की सुविधा हेतु ईंधन के रूप में उपयोग करने से पर्वतों का वातावरण दूषित हो रहा है।

माउंट एवरेस्ट पर कचरे की समाप्ति का प्रयास

माउंट एवरेस्ट को सुरक्षित रखने से हिमालयी क्षेत्रों में स्थित देशों के आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसको देखते हुए सर्वप्रथम नेपाल द्वारा 1920 के दशक में प्रयास किया गया और एक परियोजना बनाई गई। इस परियोजना का समग्र उद्देश्य नेपाल के एवरेस्ट नेशनल पार्क की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण तथा प्रबंधन करना है। इसके लिए यह परियोजना रीसाइक्लिंग सुविधाओं को स्थापित करने, भविष्य की सभी ट्रैकिंग और चढ़ाई गतिविधियों के लिए नियम और आचार संहिता बनाने पर तथा स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने आदि पर बल देता है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के द्वारा 2011 तक तेजी से कचरा हटाया गया और लगभग 29 शेरपारोहियों की एक टीम को ठोस कचरे के संग्रहण छँटाई और उपचार का प्रशिक्षण दिया गया।

नेपाल में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और आचार संहिता पर नई राष्ट्रीय नीतियों के तहत मई 2011 में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं राष्ट्रीय उद्यान एवं बफरजोन में अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता, ज्ञान और व्यवहार पर एक अध्ययन किया गया। इसमें एक स्थायी अवधारणा भी विकसित की गई है तथा हिमालयी क्षेत्र में कचरा प्रबंधन पर जागरूकता बढ़ाने के लिये उचित दस्तावेज विकसित किए गये हैं। साथ ही स्थानीय आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाला रेडियों अभियान भी चलाया गया है।

सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति (SPCC-Sagarmatha Pollution Control Committee): एक अधिकृत स्थानीय संगठन है जो MOCTCA और NMA के तहत पहाड़ों में कचरे की निगरानी करता है। एसपीसीसी अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं पर पर्वतारोहियों द्वारा उत्पन्न किए गए अर्थात् जले हुए कूड़े-कचरे को सम्मिलित करता है, जबकि रीसाइक्लिंग केन्दों पर उपचार के लिए सभी गैर-ज्वलनशील कचरों को काठमांडू ले जाता है। सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार साल 2017 में भी पर्वतारोही करीब 25 टन कचरा और 15 टन मानवीय अपशिष्ट नीचे लेकर आये थे।

नेपाल सरकार द्वारा एक नया नियम 2015 में बनाया गया। यह नियम मुख्य रूप से माउंट एवरेस्ट तथा माउंट अमा दाबलम (Ama Dablam) के कचरे को नियंत्रित करने हेतु बनाया गया। नियमानुसार एवरेस्ट के बेस कैंप से आगे बढ़ने वाले प्रत्येक पर्वतारोही को कम से कम 8 किलो कचरा वापस लाना होगा। उल्लेखनीय है कि अमा दाबलम बेस कैम्प के ऊपर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को 3 किलो कचरा वापस लाना होता है।

हाल ही में कोका-कोला ने माउंट एवरेस्ट से कूड़ा हटाने की संयुक्त पहल में नेपाल सेना, केन्द्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार, नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन और एसपीसीसी से गठबंधन किया है। इस पहल की थीम है 'क्लीन ऑवर प्राइड' और इसका लक्ष्य है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की शुचिता और मौलिकता को बनाए रखना।

वहीं भारतीय थलसेना की एक टीम माउंट एवरेस्ट की स्वच्छता के तहत कार्य कर रही है। टीम वहाँ जमा करीब 4000 किलो कचरे को साफ करने के लिए प्रयासरत है।

ध्यान देने योग्य बात है कि बेस कैम्पों में कचरा फेंकना या दफनाना वर्जित कर दिया गया है। चट्टानों पर कुछ भी बनाने जैसे पेन्टिंग इत्यादि की भी अनुमति नहीं है।

माउंट एवरेस्ट पर बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए चीन ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। माउंट एवरेस्ट के नजदीक तिब्बत बेस कैम्प के आस-पास अब चीन प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाएगा।

माउंट एवरेस्ट को साफ-सुथरा रखने और प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक प्रोफेशनल क्लीनिंग कम्पनी लगाने की योजना चल रही है। यह आने वाले हर विजिटर या टूरिस्ट को ट्रेस (Trace) बैग्स देगी।

माउंट एवरेस्ट का महत्त्व

माउंट एवरेस्ट के महत्त्व को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- पर्वतों का पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धरती के कुल क्षेत्रफल का औसतन पांचवाँ भाग पर्वतों से घिरा है। एशिया का 54 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका का 36 प्रतिशत, यूरोप का 25 प्रतिशत, दक्षिणी अमेरिका का 22 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया का 17 प्रतिशत तथा अफ्रीका का 3 प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है। कुल मिला कर पृथ्वी का लगभग 24 प्रतिशत भाग पर्वतीय है।

पर्वतों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर प्रयास

पर्वतों के समेकित विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (International Centre for integrated mountain development): यह केन्द्र पर्वतीय क्षेत्र की विस्तृत जानकारी, ज्ञानवर्धन तथा हिमालय की पर्वतीय जनजातियों की जीविका के अस्तित्व को बनाए रखने के लिये बना है। यह अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र हिन्दूकुश-हिमालय क्षेत्र के 8 विभिन्न राष्ट्रों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान तथा विश्व के समस्त पर्वतीय जातियों के हित में कार्य करता है। सन् 1983 में स्थापित इस केन्द्र का संचालन अपने राष्ट्र मित्रों के सहयोग से नेपाल के काठमांडू शहर से होता है। यह केन्द्र अपने क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र, संगठनों तथा आर्थिक सहायता देने वाले संस्थानों के सहयोग से पर्वत के लोगों तथा वहाँ के पर्यावरण को सुखद भविष्य देने के लिये कटिबद्ध है।

पर्वतीय अनुसंधान पहल (Mountain Research Initiative): इसकी स्थापना जुलाई 2001 में वैश्विक तथा पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के आवश्यक अनुसंधान हेतु की गई। इसका आशय वैश्विक परिवर्तन विशेष रूप से पर्वतीय पारिस्थितिकी, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र पर होने वाले प्रभावों का बहुमुखी आकलन तथा अनुसंधान करना है।

पर्वतीय मेघ-वन पहल: पर्वतों के मेघ वनों में अद्वितीय पेड़-पौधे तथा अनेक दुर्लभ पशुओं की प्रजातियाँ मिलती हैं। इन वनों के संरक्षण हेतु अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने आईयूसीएन तथा उसके विश्व संरक्षण निगरानी केन्द्र तथा यूनेस्को की साझेदारी में पर्वतीय मेघ-वनों को संरक्षण देने के लिये एक पहल की है, जिससे पर्वत तथा निचले भागों में रहने वाले स्थानीय लोग मेघ वन, दुर्लभ पौधों तथा जन्तुओं की विशेष प्रजातियों को संरक्षण देने तथा जल की आपूर्ति को भली-भाँति समझ सकें। यह पर्यावरणीय बदलाव के अति संवेदनशील सूचक हैं।

पर्वतीय मुद्दे और टिकाऊ खेती व ग्रामीण विकास: यह परियोजना खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा गठित है तथा इसका उद्देश्य टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ पर्वतीय विकास के अस्तित्व की रक्षा करना है। इस परियोजना द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के कृषि तथा ग्रामीण विकास की अनेक समस्याओं का निवारण सुसंगठित नीतियों, अनेक यंत्रों तथा योजनाओं द्वारा करना निर्वाचित हुआ है। टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास और पर्वतीय मुद्दों पर कार्य कर रही संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी संस्था खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ने स्विट्जरलैंड सरकार के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बहुवर्षीय बहु-दाता योजना (सार्ड-एम) तैयार की है।

पर्वतीय संस्थान: इस संस्थान की स्थापना सन् 1972 में अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी. में हुई थी। इसके पर्वतीय जातियों के हितों से सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु विभिन्न कार्यशालाएं हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किये गए हैं। यह संस्थान स्थानीय पर्वतों के जनजातियों के सहयोग से उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनकी विशिष्ट पहचान व उनके प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षण देने एवं सुदृढ़ बनाने के लिये कार्य करता है।

पर्वतों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष: संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने सन् 2002 को पर्वतों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इसके अन्तर्गत पर्वत तथा उसके निचले क्षेत्रों की जनजातियों को पर्वतों की धरोहर के महत्त्व को समझाना, वहाँ के विकास को गति देना तथा संसाधनों को संरक्षण देना सम्मिलित है। साथ ही साथ पर्वतों के पारिस्थितिकी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण जानकारी देना भी सम्मिलित है।

- जहाँ तक माउंट एवरेस्ट का सवाल है तो यहाँ विभिन्न ऊँचाईयों पर पारिस्थितिकी विविधता के साथ ही अनेक दुर्लभ पशु-प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं।
- माउंट एवरेस्ट केवल पर्वतीय लोगों और वहाँ रहने वाले विविध जीवों की शरणस्थली ही नहीं है अपितु वे अपने आप में अमूल्य प्राकृतिक संपदा समेटे हुए हैं। उनसे मिलने वाले अनेक खनिज पदार्थ, लकड़ी तथा जल नीचे के मैदानों में भी जीवन की आवश्यकता पूरी करते हैं। हाल में हुए अनुसंधानों के अनुसार लगभग 1.48 अरब लोग (संसार की जनसंख्या का लगभग 26 प्रतिशत भाग) पर्वतों पर अथवा उनसे बहुत निकट रहते हैं।
- माउंट एवरेस्ट स्थानीय निवासियों के साथ ही निचले मैदानी क्षेत्रों के लिए भी अपार ऊर्जा के भंडार हैं। माउंट एवरेस्ट में मुख्य रूप से जल ऊर्जा, ईंधन हेतु लकड़ी, सौर तथा पवन ऊर्जा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
- माउंट एवरेस्ट से अनेक नदियाँ निकलती हैं। पर्वतीय जल संपदा केवल वहां के स्थानीय निवासियों के लिए ही नहीं, अपितु अधिकांश जनसंख्या को भी जल उपलब्ध कराती है।
- माउंट एवरेस्ट अपने गर्भ में संसार के मुख्य भंडार के रूप में अनेक खनिज तथा धातुएं जैसे- स्वर्ण, तांबा, लोहा, चांदी, जस्ता आदि को समेटे हुए है।
- माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वत विश्व स्तर पर भी जलवायु में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी के निरन्तर घूमने तथा कोरिऑलिस बल के कारण अधिकतर वायु पूर्व से पश्चिम के बीच बहती है। परिणामस्वरूप उत्तर-दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाएँ वायु का मार्ग बदलने में सक्षम होती हैं।
- माउंट एवरेस्ट की विशेष भूस्थिति ने सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया है। इसके फलस्वरूप पर्वतों पर मैदानी क्षेत्रों से अलग ही एक सभ्यता दिखाई देती है। पर्वतीय जनजातियों ने अपनी पौराणिक संस्कृति को सुरक्षित रखा है, साथ ही स्थानीय लोगों को वहाँ की पारिस्थितिकी का अद्भुत ज्ञान होता है।
- पर्वतीय पर्यटन किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका रखता है। वैश्विक पर्यटन उद्योग का 15-20 प्रतिशत (70-90 अरब अमेरिकी डालर) पर्वतीय पर्यटन से संबधित होता है। ऐसे में माउंट एवरेस्ट का महत्त्व काफी बढ़ जाता है।

चुनौतियाँ

- पर्वतरोहियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ने के कारण कचरे निपटान की समस्या विकराल रूप ले रही है।
- नियम लागू होने के बाद भी पर्वतारोही वापस लौटते समय अपने साथ 8 किलोग्राम कचरा लाने में असफल रहे हैं।
- विभिन्न प्रकार के कचरे (प्लास्टिक, सिलेन्डर) और मलत्याग की समस्या के कारण माउंट एवरेस्ट पर बीमारियाँ फैल रही हैं।

- ज्यादातर सरकारी प्रतिनिधि जो नियुक्त किए जाते हैं वे अधिकारी के रूप में एवरेस्ट क्षेत्र की यात्रा करते हैं लेकिन कभी बेस कैम्प में नहीं जाते हैं, जिससे लागू नीतियों का पता नहीं चल पाता है।
- पर्वतारोहियों द्वारा चढ़ाई के दौरान किये गये कार्यों (आग जलाना) के कारण तापमान में वृद्धि के साथ ग्लेशियरों के पिघलने की दर में भी वृद्धि हुई है।
- पर्वतों में स्वयं निवारक होने की अपार क्षमता होती है लेकिन पर्वतों के पर्यावरण में बदलाव के चलते अनेक पर्वतीय प्रजातियाँ अपने आप को उस पर्यावास के तहत समायोजित नही कर पाती हैं, नतीजन प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं, ठीक ऐसे ही हालत माउंट एवरेस्ट पर भी पाए गए हैं।

आगे की राह

पर्वत के पारिस्थितिकी में जो बदलाव आ रहे हैं उनकी कीमत केवल पर्वतवासियों को ही नहीं अपितु हम सबको भी चुकानी पड़ेगी। हममें से अनेक लोग जो पर्वतों पर नहीं रहते, फिर भी कहीं न कहीं पर्वत के स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। पर्वतों की वन सम्पदा, चारागाह, अथवा जलस्रोत जो हमारी नदियों, झीलों आदि को जल की पूर्ति करते हैं, हमें निश्चय ही पर्वतों से जोड़ते हैं। पर्वतों के ग्लेशियर हमारी नदियों के जल के स्रोत हैं तथा हमारी पेयजल आपूर्ति और कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा हम सब का नैतिक दायित्व हो जाता है। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है जैसे-

- यदि हम पर्वतारोहियों की सुरक्षा और उच्च गुणवत्ता वाले वातावरण को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो डंपिंग ग्राउंड कचरा प्रबंधन पर सावधानी से सोचने की आवश्यकता है।
- बेस कैम्पों में उत्पादित मानव अपशिष्ट (टॉयलेट) को पोर्टेबल प्लास्टिक ड्रम या बैरल में एकत्र किया जाना चाहिए और इसे एसपीसी द्वारा नामित निपटान स्थल पर लाया जाना चाहिए।
- पर्वतारोहियों के लिए परमिट शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पर्वतारोहियों की संख्या सीमित हो सके।
- पर्यावरण सम्पर्क अधिकारी को उच्च पर्वतीय

वातावरण से परिचित होना चाहिए। साथ ही समुदाय को आवधिक पर्यावरणीय सफाई के लिए एक साथ लाने हेतु बेस कैम्प से ऊपर और नीचे दोनों के लिए प्रेरित करना चाहिए।

- परमिट शुल्क के एक हिस्से को विशेष रूप से सफाई के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है, जो मौसमी स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा दे सके।
- पर्यावरण की रक्षा में शेरपा लोगों को भी शामिल किया जाए।
- पहाड़ पर उच्च पर्यावरण प्रथाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत टीम की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें प्रशिक्षित और स्थानीय मार्गदर्शकों को शामिल किया जाना चाहिए।
- अगर कोई पर्वतारोही मर जाता है तो गाइड या अभियान दल को इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को देना चाहिए।
- पेशेवर रूप से प्रशिक्षित स्थानीय खोज और बचाव दल को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए साथ ही जो लोग स्थापित नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें कुछ वर्षों के लिए परमिट से वंचित किया जाना चाहिए।
- पर्यावरण एनजीओ, सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर्यटन से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन प्रथाओं में सक्रिय हैं लेकिन वे संसाधनों की कमी से जुझ रहे है, ऐसे में संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- नीतियों को लागू करने के लिये अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये हैं, अतः उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

स्नातक विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

भारत में मेडिकल टूरिज़्म : विकास का नया वाहक

प्र. मेडिकल टूरिज़्म से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मेडिकल टूरिज़्म भारत में नए रोजगार सृजनों के साथ चुनौतियाँ भी पैदा कर सकता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- प्रमुख व्यापारिक संगठन एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में वैश्विक चिकित्सा बाजार में भारत का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा है जो 2020 तक 20% अर्थात् 9 बिलियन डॉलर की राशि तक हो सकता है।

मेडिकल टूरिज़्म क्या है?

- जब व्यक्ति अपने चिकित्सा या उपचार के लिये अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करता है तो यह चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज़्म) कहलाता है। वर्तमान में चिकित्सा पर्यटन, पर्यटन की एक नवीन और सबसे अधिक विकसित होती शाखा मानी जा रही है।

मेडिकल टूरिज़्म क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार में भारत का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि भारत का चिकित्सा पर्यटन कारोबार 2017 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के पास पहुँच गया था। पर्यटन मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 के जून माह तक 96856 विदेशियों ने भारत की यात्रा की। 2013 में मेडिकल वीजा पर 56129 विदेशी भारत आये थे। 2014 में इनकी संख्या 75671 रही, जबकि 2015 में यह बढ़कर 134344 हो गई। इनमें से सबसे अधिक संख्या बांग्लादेश से आने वाले मरीजों की थी।

भारत में मेडिकल टूरिज़्म बढ़ने के कारण

- चिकित्सा पर्यटन के लिए आज भारत को सही जगह माना जा रहा है, जहाँ स्वास्थ्य लाभ के अलावा खूबसूरत जगहों का भ्रमण भी किया जा सकता है।
- भारत में चिकित्सा सेवा की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम है जो दक्षिण-पूर्व एशिया से भी सस्ता है।

मेडिकल टूरिज़्म के लाभ

- चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से भारत सरकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर अपना व्यापार घाटा नियंत्रित कर सकती है।
- इसके अलावा चिकित्सा पर्यटन से नये रोजगारों का सृजन भी किया जा सकता है।
- इस प्रक्रिया में एक नई संस्कृति का अनुभव करने की संभावना है
- आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, तिब्बती चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध आदि जैसे समग्र उपचार की उपलब्धता का मिलना संभव होता है।

भारत में मेडिकल टूरिज़्म की चुनौतियाँ

- भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई मजबूत सरकारी सहायता पहल नहीं की गई है जिस कारण चिकित्सा पर्यटकों को काफी समस्या झेलनी पड़ती है।
- भारत के संदर्भ में सार्वजनिक स्वच्छता/ स्वच्छता मानकों या संक्रामक रोगों के प्रसार को लेकर अन्य देशों में नकारात्मक धारणाएँ हैं जो चिकित्सा पर्यटन को प्रभावित कर रही है।

मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के प्रयास

- देश में हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विस्तार, सड़क संपर्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार के प्रयास किए गए। भारत सरकार ने अपने पर्यटन विवरणिका में 45 निजी अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बढ़ावा दिया।

आगे की राह

- विशेषज्ञों के मुताबिक चिकित्सा पर्यटन को तेजी से विकसित करने की जरूरत है। विदेशी मरीजों की बढ़ती संख्या भारतीय मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में सरकार को समय रहते इस उद्योग को विकसित करना चाहिए। ■

खालिस्तान विवाद और भारत-कनाडा संबंध

प्र. खालिस्तान विवाद के संदर्भ में भारत-कनाडा संबंधों पर प्रकाश डालिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में कनाडा ने अपनी ताजा रिपोर्ट 'रिपोर्ट ऑन टेररिज्म थ्रेट टू कनाडा' में सिख चरमपंथ और खालिस्तान से जुड़े संदर्भों को हटा दिया है। इसके पहले कनाडा सरकार ने देश के शीर्ष पाँच आतंकवादी खतरों में से एक के तौर पर सिख चरमपंथ का उल्लेख किया था।

खालिस्तान विवाद क्या है?

- पंजाब में क्षेत्रवादी आंदोलन पंजाबी सूबा आंदोलन के रूप में सामने

आया। पंजाबी सूबा आंदोलन मूलत: अकाली दल द्वारा चलाया गया था।

- पंजाब के पुनर्गठन के बाद शिरोमणी अकाली दल ने 1967 और 1977 में अपनी सरकार बनाई, लेकिन अकाली दल की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी।
- 1984 के जून महीने में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस सैन्य अभियान में सरकार ने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी।

भारत के लिए कनाडा महत्वपूर्ण क्यों है?

- भारत और कनाडा के बीच मई मुद्दों पर तमाम मंत्रिस्तरीय वार्ता के जरिए रणनीतिक साझेदारी कायम की गई है। साथ ही दोनों देशों के बीच आतंकवाद सुरक्षा, क्षेत्र में भी सहयोग कायम किया जा रहा है।
- दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित कार्यक्रम के लिए इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है।

व्यापार और अर्थव्यवस्था

- कनाडा के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा अभी महज 1.95 फीसदी है। भारत से कनाडा को हीरे-जवाहरात, बहूमूल्य रत्न, दवाओं, रेडीमेड कपड़ों, ऑर्गेनिक रसायन, हल्के इंजीनियरिंग सामान, लोहा एवं स्टील आदि का निर्यात किया जाता है।
- भारत और कनाडा के बीच साल 2016 में सिर्फ 6.05 अरब डॉलर का ही व्यापार हुआ, लेकिन यह साल 2010 के 3.21 अरब डॉलर के करीब दोगुने के बराबर है।

ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग

- कनाडा विश्व के लिए ऊर्जा का सुरक्षित, विश्वसनीय उत्पादक और आपूर्तिकर्त्ता देश है जो भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की अपेक्षित संसाधन और विशेषज्ञता रखता है।
- हाल ही में भारत और कनाडा कौशल विकास बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर सहमत हुए हैं।

शिक्षा क्षेत्र

- IC-IMPACTS (भारत-कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनर्स टू एक्सेलेरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी), कनाडा-भारत रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सिलेंस है जो कनाडा और भारत के बीच शोध सहयोग के विकास के लिए समर्पित है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष में सहयोग

- भारत और कनाडा अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष अभियानों के लिए 1990 के दशक से ही मिलकर कार्य कर रहे हैं।
- इसरो और सीएसए (कैनेडियन स्पेस एजेंसी) ने बाह्य अंतरिक्ष की खोज में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो विशेष रूप से उपग्रह ट्रैकिंग और अंतरिक्ष खगोल विज्ञान को संबोधित करने से जुड़ा हुआ है।

आगे की राह

- इस प्रकार निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि कनाडा भारत का एक प्रमुख सहयोगी देश है। ■

बीएस-VI मानक : हरित परिवहन की ओर बढ़ता कदम

प्र. परिवहन क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन भारत में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या का प्रमुख कारण है। इस समस्या से निजात पाने के लिए बीएस-VI मानक की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि वह अगले साल 1 अप्रैल से डीजल गाड़ियाँ बनाना बंद कर देगी।

परिचय

- बीएस-VI लागू करने की अधिसूचना 2017 में ही जारी कर दी गई थी। इसके मुताबिक 1 अप्रैल, 2020 से सिर्फ बीएस-VI उत्सर्जन मानक के वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। वाहन निर्माता कंपनियों को बीएस-IV वाहनों को इस तिथि से पहले बेचने होंगे।

क्या होता है बीएस?

- भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्स (बीएस-VI) को भारत स्टेज (BS) के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्सर्जन मानक होते हैं, जिनके जरिये इंजन और मोटर व्हीकल्स से निकलने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।

बीएस-VI, बीएस-IV के मुकाबले कैसे अलग

- बीएस-IV के मुकाबले बीएस-VI में प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ काफी कम होंगे। बीएस-IV और बीएस-III ईंधन में सल्फर की मात्रा 50 पीपीएम होती है।

बीएस-VI के लाभ

- बीएस-VI, बीएस मानक का नवीनतम चरण है। इसके लागू होने पर प्रदूषण नियंत्रण के मानक कड़े हो जाएंगे।
- बीएस-VI ईंधन वाले वाहनों को नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन 68 फीसदी से कम करना होगा। उन्हें पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) के उत्सर्जन को भी मौजूदा मानक से 5 गुना ज्यादा कम करना होगा।
- बीएस-VI वाहनों में खास फिल्टर लगेंगे, जिससे 80-90% पीएम 2.5 जैसे कण रोके जा सकेंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

हरित परिवहन ईंधन की महत्ता

- ऐसा ईंधन जिससे कम-से-कम प्रदूषण हो और पर्यावरण के अनुकूल, हो। हरित परिवहन ईंधन की श्रेणी में रखा जा सकता है। उसमें ये सारी विशेषताएँ हों, यथा- इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन, पूरी तरह बिजली से चलने वाली गाड़ी तथा प्राकृतिक गैस या बायो ईंधन आदि।
- बीएस-VI मानक लागू होने से वैकल्पिक ईंधन को प्राथमिकता हासिल हो सकेगी, साथ ही इससे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ज्ञातव्य है कि विश्व के कई विकसित देश जैसे-

फ्रांस, स्पेन ने 2025 तक डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुके हैं।

चुनौतियाँ

- उच्च प्रगति दर के परिणामस्वरूप, नए वाहन पंजीकरण में वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत ने दो दशकों में वाहन उत्सर्जन को कम करने में बहुत ही लम्बा सफर तय किया है फिर भी वायु की खराब गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या कायम है।
- परिवहन क्षेत्र की प्रगति आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकती है, पर इसने भारत की वायु प्रदूषण की समस्या में वृद्धि की है। कई भारतीय शहरों को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया है। अधिकतर वाहन हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोक्साइड (सीओ) के उत्सर्जन के लिये जिम्मेदार हैं।
- बीएस-VI मानक के लागू करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढेगा क्योंकि भारत में तकनीकी एवं अनुसंधान की कमी है। तेल कंपनियों को कम सल्फर वाली मोटर वाहन ईंधनों का उत्पादन करना चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए कंपनी को विदेशों से महंगे तकनीक को आयात करना होगा।

आगे की राह

- परिवहन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यह जीवाश्म ईंधन के दहन से विश्व भर में होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 23 प्रतिशत है और यह दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। अत: इस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में बीएस-VI मानक कारगर सिद्ध होगा।
- परिवहन व्यवस्था का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल और जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर करना चाहिए। ■

पेप्सिको बनाम किसान : एक विश्लेषण

प्र. ''भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है, इस संबंध में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग आय का बेहतर विकल्प हो सकता है''। विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में फूड एंड बेवरेज दिग्गज कंपनी पेप्सिको इंडिया ने घोषणा की है कि वह गुजरात के 11 किसानों के खिलाफ दायर मुकदमे वापस लेगी।

क्या था मामला?

- पेप्सिको ने अप्रैल में कुछ किसानों पर आलू की उस किस्म की खेती करने को लेकर मुकदमा दायर किया जिसे विशेष रूप से कंपनी के लेज (Lays) आलू चिप्स के लिए उगाया जाता है।

परिचय

- आलू के इस किस्म को अमेरिका में 2003 में विकसित किया गया था। भारत में इसे एफसी-5 के नाम से जाना जाता है। पेप्सिको कंपनी किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग करती है, जिसके तहत वो किसानों को खास प्रकार के बीज देती है और उनसे 40 से 45 मिलीमीटर के व्यास वाला आलू लेती है।

कृषि में बौद्धिक संपदा कानून की उत्पत्ति

- पेरिस समझौता 1883, जो कि आईपी कानून के लिए प्रथम बहुपक्षीय समझौता है, इसने औद्योगिक संपत्ति को संरक्षण प्रदान किया। यूरोप के कई देशों ने बौद्धिक संपदा कानून को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया है।
- भारत में कृषि से संबंधित बौद्धिक संपदा के कई मुद्दे हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा बीजों तक पहुँच से जुड़ा है। ट्रिप्स समझौते के तहत देशों को पौधों और पशुओं के पेटेन्ट की अनुमति नहीं दी गई है, किन्तु पौधे की किस्म (पौधे की श्रेणियाँ, आमतौर पर कोई भी संकर किस्म का बीज) के पेटेंट की इजाजत है।

भारत मे कृषकों के अधिकार

- जिस किसान ने कोई नई किस्म खोजी या विकसित की हो, उसे उसी प्रकार अपनी किस्म को सुरक्षा प्रदान करने और पंजीकृत करने का अधिकार है जिस प्रकार प्रजनक अपनी किस्म को पंजीकृत कराकर सुरक्षा प्रदान करता है।
- कृषक किस्म को विद्यमान किस्म के रूप में भी पंजीकृत करा सकता है। कोई भी किसान पीपीवी एंड एफआर (Plant Protection and Farmer Rights) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत संरक्षित किस्म के बीज सहित अपने उत्पाद को उसी प्रकार बचाकर रख सकता है।

विवादों को हल करने में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भूमिका

- अनुबंध कृषि एक ऐसा समझौता है जिसमें इसके तहत किये जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है। इसमें कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए कुछ मानक स्थापित किये जाते हैं। वर्तमान में अनुबंध खेती को कुछ राज्यों में कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) के साथ पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि अनुबंध समझौतों को कृषि उत्पाद विपणन समिति के साथ दर्ज किया जाता है, जो इन अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का काम करती है।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभ

- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों और फर्मो के बीच एक प्रकार का अनुबंध होता है। इसमें कई छोटे-छोटे किसान मिल कर एक बड़े किसान के रूप में काम करते हैं। जाहिर है इसमें कई किसानों के खेत मिल जाने पर जोत का आकार बढ़ जाता है।
- फिर इन किसानों और निजी खरीददार कंपनियों के बीच उत्पादन की प्राप्ति, खरीद और विपणन की शर्तों को पहले से तय किया जाता है।

चुनौतियाँ

- यह कृषि क्रेता के एकाधिकार को बढ़ावा देता है, अत: वह कम कीमत का प्रस्ताव देकर किसानों का शोषण कर सकते हैं। संविदा की प्रक्रिया सामान्य किसान के लिए समझना कठिन है, अत: उसे असुविधा होगी।
- संविदा कृषि (Contract Farming) से उत्पन्न उत्पादों पर कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) द्वारा लगाये गये कर शोषणकारी होते हैं।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, जो समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रतिकूल है।

आगे की राह

- भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को खेती की नई विधियों और एग्री इंजीनियरिंग से किसानों का काम आसान हो सकता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। चूँकि मिट्टी, जल, औजार, जलवायु और बीज कृषि के स्तंभ हैं, इसलिए सरकार को कृषि के संबंध में नए-नए अन्वेषण करने की आवश्यकता है। इसके लिए ऑर्गेनिक खेती पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को देश भर में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता (वर्तमान में 32 मिलियन टन) बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि किसानों की उपज बर्बाद न हो सके। ■

अरब स्प्रिंग 2.0 : अरब क्रांति का पुनर्संस्करण

प्र. अरब स्प्रिंग 2.0 से आप क्या समझते हैं? अरब स्प्रिंग के दूसरे संस्करण के उभरने के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में सूडान के राष्ट्रपति उमर-अल-बशीर को वहाँ की सेना ने उनके पद से हटा दिया और उन्हे हिरासत में ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त सूडान में आपातकाल तीन महीने तक के लिए लागू हो गया है।

अरब स्प्रिंग क्या है?

- मध्य पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका मेंशृंखलाबद्ध विरोध-प्रदर्शन एवं धरना का दौर 2010 मे आरंभ हुआ, इसे अरब जागृति, अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह कहते हैं।
- इसकी आग की लपटें पहले-पहल अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन और यमन पहुँची जो शीघ्र ही पूरे अरब लीग एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में फैल गई।

अरब स्प्रिंग 2.0

- पिछले कई महीनों से सूडान की सत्ता संभाल रहे उमर-अल-बशीर के खिलाफ वहाँ की जनता प्रदर्शन कर रही थी तथा उनके इस्तीफे की भी मांग कर रही थी, क्योंकि सूडान सरकार ने ब्रेड की कीमतों में तीन गुना वृद्धि कर दी थी, जिसके बाद से सूडान के लोग महँगाई से जूझ रहे हैं।
- बशीर के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी मामला चल रहा है। बशीर के नेतृत्व में सूडान का बुरा हाल हो गया तथा सूडान आर्थिक तंगी से जूझने लगा।

अरब-स्प्रिंग 2.0 के कारण

- **गरीबी और बेरोजगारी:** वर्षों से कई लोगों ने उच्च गरीबी और बेरोजगारी दर को कम करने में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की आलोचना की है।
- **मध्य-पूर्व में सत्तावादी शासन:** मध्य-पूर्व के सभी देशों में दमनकारी अधिनायकवादी शासन था। ट्यूनीशिया में बीन अली, मिस्र में मुबारक, लीबिया में गद्दाफी तथा सीरिया में अल-असद जैसे लोगों का शासन था।
- **भ्रष्टाचार का बोलबाला:** विश्लेषकों का मानना है कि इन देशों के सत्ताधारी शासकों के करीबी लोग व्यवसाय और अन्य राजनीतिक मामलों व सरकारी काम में दखल दे रहे हैं जिसके कारण वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुँच गया है।
- **सिविल सोसायटी व सेना की सक्रियता:** सिविल सोसायटी ने लोगों के बीच जाकर उन्हें प्रदर्शनों के लिए उकसाया, ताकि जनता विरोध प्रदर्शनो में शामिल हो सके।

अरब स्प्रिंग और विश्व

- दुखद पहलू यह है कि सूडान को मध्य-पूर्व क्षेत्र में तीन निरंकुश सरकार की दया पर छोड़ दिया गया। कोई बड़ी शक्ति- अमेरिका, रूस या चीन सूडान के लोकतांत्रिक परिवर्तन का समर्थन नहीं करते हैं।
- विश्व की प्रमुख महाशक्ति जैसे- अमेरिका, इटली और फ्रांस का मानना है कि बूतेफ्लीका और अल-बशीर के सत्ता पतन से उत्तरी अफ्रीका में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है।

आगे की राह

- सूडान में हो रहे विद्रोह में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहाँ की राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप को देखते हुए देश के सभी लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया है। महिलाओं की भागीदारी देश के बदलते जनसांख्यिकीय को दर्शाती है।
- अल्जीरिया की बात करें तो वहाँ के न्यायाधीशों ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और कहा है कि वे उनके खिलाफ मामलों को स्थगित करने से इंकार करेंगे। 2010 के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरब दुनिया में इस प्रकार के हलचल दिखाई दे रही है। ■

छोटे बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाकलाप की अनिवार्यता

प्र. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित गाइडलाइंस जारी की है। वर्तमान में खोते बचपन की समस्या के संदर्भ में इस गाइडलाइंस की महत्ता का उल्लेख करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक रिपोर्ट जारी कर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि बच्चों का सही और सम्पूर्ण विकास हो इसके लिए बेहद जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स को उनके जीवन का हिस्सा न बनने दिया जाय।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश

- एक साल या इससे कम उम्र के नवजात शिशुओं को तो स्क्रीन के सामने बिल्कुल नहीं लाना चाहिए।
- एक वर्ष तक के शिशुओं को दिर भर में 1 घंटे से ज्यादा स्ट्रॉलर्स, हाई-चेयर या स्ट्रैप ऑन कैरियर्स में भी नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही 1 साल तक के बच्चे दिनभर जितने एक्टिव रहें उतना ही अच्छा है।
- 1 से 2 साल तक के बच्चों के लिए कुछ मिनटों का ही स्क्रीन टाइम काफी है। साथ ही कम से कम 3 घंटे की शारीरिक गतिविधि ऐसे बच्चों के लिए बेहद जरूरी है।

महत्त्व

- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य वैसे अधिकारियों की सहायता करना है जो शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाते हैं। ये प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल को सुचारू बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करते हैं।
- ये दिशा-निर्देश बच्चों के विकास के लिए व्यापक पोषण देखभाल के लिए आवश्यक हैं। पोषण देखभाल में स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा की जरूरतों के साथ-साथ सीखने के शुरूआती अवसर शामिल हैं।

चुनौतियाँ

- अभी भी जागरूकता की कमी है जिससे कि बच्चों में इन डिवाइसों से होने वाले नुकसान का अनुभव अभिभावक नहीं कर पा रहे हैं।
- अभिभावकों का बच्चों के साथ टेलीविजन पर अधिक से अधिक समय देना भी बच्चों को इन डिवाइसों के प्रति आकर्षित कर रहा है। बच्चे इन डिवाइसों के आदि होते जा रहे हैं।

आगे की राह

- अभिभावकों को किसी भी हालत में बच्चों के सामने मोबाइल, टैब आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नहीं चलाना चाहिए। यदि अतिआवश्यक हो तो बच्चों को इनसे दूर रखकर इसका प्रयोग करें।
- बच्चों के खेल सामग्री से इंटरनेट को दूर रखें। ■

माउंट एवरेस्ट पर अपशिष्ट पदार्थों का बढ़ता जाल

प्र. माउंट एवरेस्ट पर अपशिष्ट पदार्थों के बढ़ने के कारणों का वर्णन करते हुए बताएँ कि इसे निपटाने के लिए किस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में नेपाल में सफाई अभियान के तहत माउंट एवरेस्ट से करीब 3,000 किलोग्राम ठोस कचरा हटाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य विश्व की सबसे ऊँची चोटी से कचरे को हटाना है जो कूड़ेदान में बदलती जा रही है। नेपाल सरकार द्वारा 45 दिन के इस अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल को नेपाली नववर्ष के दिन हुई।

परिचय

- माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण के दौरान फेंके गए उपकरणों, भोजन के खाली डिब्बों, दवाइयाँ, सिरिंज, प्लास्टिक डिब्बे, कपड़े, कागज, ऑक्सीजन की बोतलें, बिजली के संयंत्र और यहाँ तक कि मानव शवों का अच्छा खासा भंडार है। किसी भी सफल अभियान के अंतर्गत कोई भी पर्वतारोही टीम अनुमानतः 500 किलोग्राम कचरा छोड़ आती है जिसका बहुत थोड़ा-सा भाग ही सड़-गल पाता है।

माउंट एवरेस्ट पर कचरे की समाप्ति का प्रयास

- माउंट एवरेस्ट को सुरक्षित रखने से हिमालयी क्षेत्रों में स्थित देशों के आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसको देखते हुए सर्वप्रथम नेपाल द्वारा 1920 के दशक में प्रयास किया गया।
- नेपाल में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और आचार संहिता पर नई राष्ट्रीय नीतियों के तहत मई 2011 में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति (SPCC- Sagarmatha Pollution Control Committee): एक अधिकृत स्थानीय संगठन है जो MOCTCA और NMA के तहत पहाड़ों में कचरे की निगरानी करता है।

माउंट एवरेस्ट का महत्त्व

- पर्वतों का पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धरती के कुल क्षेत्रफल का औसतन पांचवाँ भाग पर्वतों से घिरा है। एशिया का 54 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका का 36 प्रतिशत, यूरोप का 25 प्रतिशत, दक्षिणी अमेरिका का 22 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया का 17 प्रतिशत तथा अफ्रीका का 3 प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है। कुल मिला कर पृथ्वी का लगभग 24 प्रतिशत भाग पर्वतीय है।

चुनौतियाँ

- नियम लागू होने के बाद भी पर्वतारोही वापस लौटते समय अपने साथ 8 किलोग्राम कचरा लाने में असफल रहे हैं।
- विभिन्न प्रकार के कचरे (प्लास्टिक, सिलेन्डर) और मलत्याग की समस्या के कारण माउंट एवरेस्ट पर बीमारियाँ फैल रही हैं।
- ज्यादातर सरकारी प्रतिनिधि जो नियुक्त किए जाते हैं वे अधिकारी के रूप में एवरेस्ट क्षेत्र की यात्रा करते हैं लेकिन कभी बेस कैम्प में नहीं जाते हैं, जिससे लागू नीतियों का पता नहीं चल पाता है।

आगे की राह

- बेस कैम्पों में उत्पादित मानव अपशिष्ट (टॉयलेट) को पोर्टेबल प्लास्टिक ड्रम या बैरल में एकत्र किया जाना चाहिए और इसे एसपीसी द्वारा नामित निपटान स्थल पर लाया जाना चाहिए।
- पर्वतारोहियों के लिए परमिट शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पर्वतारोहियों की संख्या सीमित हो सके।
- पर्यावरण सम्पर्क अधिकारी को उच्च पर्वतीय वातावरण से परिचित होना चाहिए। साथ ही समुदाय को आवधिक पर्यावरणीय सफाई के लिए एक साथ लाने हेतु बेस कैम्प से ऊपर और नीचे दोनों के लिए प्रेरित करना चाहिए। ■

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

विश्व भर में 3 मई, 2019 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय मीडिया फॉर डेमोक्रेसी (Media for Democracy) है। यह दिवस मीडिया की आजादी की वकालत करता है, साथ ही हमलों से मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य भी करता है।

विएना में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने हाल ही में अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि मई, 2018 के बाद से 55 पत्रकारों की हत्या की गयी है। विश्व भर में प्रेस की स्वतंत्रता पर काफी अधिक दबाव है। विश्व भर में सरकारों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए कानून पारित किये जा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान

अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान एक वैश्विक संस्था है, इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना अक्टूबर, 1950 में की गयी थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना में स्थित है। इस संस्थान के विश्व भर में 120 से अधिक सदस्य हैं।

उद्देश्य

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्त्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रेस की आजादी और समाचारों को लोगों तक पहुँचाकर, सशक्त हो रहे मीडियाकर्मियों का व्यापक विकास करना इसका उद्देश्य है।
- मीडिया की आजादी का मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है।

भारत में प्रेस की स्थिति

भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया पर जातिवाद और सम्प्रदायवाद जैसे संकुचित विचारों के खिलाफ संघर्ष करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा और अनभिज्ञ है, इसलिये यह और भी जरूरी है कि आधुनिक विचार उन तक पहुँचाए जाएँ और उनका पिछड़ापन दूर किया जाए, ताकि वे सजग भारत का हिस्सा बन सकें।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

यूनेस्को द्वारा वर्ष 1997 से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर गिलेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। ■

2. वर्ष 2018 में भारत का सैन्य खर्च 3.1% बढ़ा

सीपरी ने वैश्विक स्तर पर होने वाले सैन्य खर्च के आँकड़े प्रस्तुत किये हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा सैन्य खर्च रिपोर्ट पेश करने का उद्देश्य एक ऐसे शांतिपूर्वक विश्व का निर्माण करना है, जहां असुरक्षा के स्रोतों को पहचाना और समझा जाए, संघर्षो को रोका या हल किया जाए और शांति बनाए रखी जा सके।

भारत से संबंधित तथ्य

- सीपरी द्वारा पेश किये गये आँकड़ों के अनुसार, सेना पर खर्च के मामले में भारत वर्ष 2018 में दुनिया में चौथे स्थान पर रहा। जबकि वर्ष वर्ष 2017 में भारत इस सूची में पाँचवे स्थान पर था।
- वर्ष 2018 में भारत ने अपने सैन्य खर्च को 3.1 प्रतिशत बढ़ाकर 66.5 बिलियन डॉलर कर दिया। वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर कुल सैन्य खर्च में भारत का हिस्सा 3.7% था।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत नए लड़ाकू विमानों, जेट, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, तोपखाने और पैदल सेना के हथियारों के साथ अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश कर रहा है।

वैश्विक तथ्य

- सीपरी के आँकड़ों के अनुसार, चीन वर्ष 2018 में सैन्य खर्च करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था।
- अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर है। विश्व भर में सैन्य साजो-सामान पर होने वाले खर्च का 60% पाँच देशों द्वारा किया जाता है।
- इस सूची में शामिल टॉप पाँच देश हैं-

अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, भारत और फ्रांस।

- रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने वर्ष 2013 के बाद से हर साल अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत सैन्य खर्च के लिये आवंटित किया है।
- इस सूची में 11.4 बिलियन डॉलर के सैन्य खर्च के साथ पाकिस्तान वर्ष 2018 में 20वें स्थान पर था। ■

3. स्पेस एक्स ने ISS के लिए NASA का कार्गो मिशन लॉन्च किया

हाल ही में अमेरिकी निजी अन्तरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष स्टेशन के लिए ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में कार्गो मिशन लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु

- इस स्पेस एक्स का इस वर्ष का पाचवाँ मिशन है। आईएसएस में विद्युत समस्या के कारण इस मिशन में परिवर्तन किया गया था।
- इस मिशन को फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से फाल्कन-9 राकेट की सहायता से लॉन्च किया गया।
- इसमें 2500 किलोग्राम का आपूर्ति सामान, अनुसंधान तथा हार्डवेयर उपकरण इत्यादि हैं।
- यह लगभग चार सप्ताह तक ISS में रहेगा। बाद में यह अपने साथ 1900 किलोग्राम का सामान वापस ले कर आएगा।

अंतर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष स्टेशन (ISS)

- यह पृथ्वी की कक्षा में घूमती हुई एक किस्म की प्रयोगशाला है, इसमें क्रू मेंबर्स जीव विज्ञान, मानवीय जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र इत्यादि से सम्बंधित प्रयोग करते हैं।
- इस स्पेस स्टेशन में अन्तरिक्ष यात्री रहते हैं, यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में परिक्रमा करता है।
- इस प्रोजेक्ट के प्रमुख पार्टनर्स नासा (अमेरिका), रोसकॉसमॉस (रूस), यूरोपीय स्पेस एजेंसी (यूरोपीय संघ), कैनेडियन अन्तरिक्ष एजेंसी (कनाडा) तथा जाक्सा (जापान) हैं। ■

4. सनौली में 4,000 वर्ष पुरानी कब्रगाह के अवशेष मिले

भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित सनौली में पुरातात्त्विक उत्खनन के दौरान 4,000 वर्ष पुरानी कब्रगाह और अन्य अवशेष खोजे हैं। विशेषज्ञों द्वारा इस उत्खनन के दौरान चार हजार वर्ष पुराने चावल, कोठरियाँ तथा बर्तन भी खोज निकाले गये हैं।

इस स्थान पर पुरातत्व विभाग को मृत शरीर के साथ ताबूत, चावल एवं दाल से भरे बर्तन और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। गौरतलब है कि सनौली में पुरातात्त्विक स्थल का उत्खनन पहली बार 2018 में शुरू हुआ था। इसे जनवरी 2019 में फिर से आरंभ किया गया है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है। इस क्षेत्र में हड़प्पाकाल का सबसे बड़ा रथ पाया गया है। वर्ष 2018 की खुदाई में यहां तीन रथ प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त यहां पुरातात्विक महत्त्व की तलवारें, हथियार तथा भोज्य पदार्थ आदि मिले हैं।

मुख्य बिंदु

- पुरातत्व विभाग को यहाँ तीन रथ, ताबूत, ढाल, तलवार और हेलमेट जैसे कृति भी मिले हैं जो उस समय के योद्धा वर्ग के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- यह कब्रगाह परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण के समकालीन हैं। उस कालखंड के दौरान ऊपरी गंगा-यमुना दोआब की संस्कृति के पैटर्न को समझने के लिये इस उत्खनन से ज्ञात निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हैं।
- इसके अतिरिक्त खोजकर्त्ताओं को शवों के अवशेष के साथ मवेशियों की हड्डियाँ, चावल और उड़द की दालें भी मिली हैं।
- खोजी गई इन कब्रों में से एक कब्र में दफनाये गये व्यक्ति के सिर के पास अर्द्ध-शिला, मिट्टी के बर्तन और तलवार भी रखी गई थी।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक सरकारी एजेंसी है, जो कि पुरातत्व अध्ययन और सांस्कृतिक स्मारकों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के स्थलों और स्मारकों की खोज, खुदाई, संरक्षण, सुरक्षा इत्यादि आते हैं। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रख-रखाव करना है। इसके अतिरिक्त यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को विनियमित भी करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ■

5. मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने हाल ही में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। भारत लंबे समय से मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की मांग कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा उसे 'ब्लैक लिस्ट में डालने के एक प्रस्ताव पर चीन द्वारा अपनी रोक हटा लेने के बाद यह कदम उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मसूद अजहर को आतंकी घोषित किए जाने के बाद अब उसकी संपत्ति जब्त हो सकेगी और उस पर यात्रा प्रतिबंध तथा हथियार संबंधी प्रतिबंध लग सकेगा।

गौरतलब है कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की पिछले 10 साल में चार बार कोशिश की गई थी।

भारत द्वारा किये गये प्रयास

भारत सरकार द्वारा सबसे पहले वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद वर्ष 2016 में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति के समक्ष दूसरी बार प्रस्ताव रखा। इन्हीं देशों के समर्थन के साथ भारत ने 2017 में तीसरी बार यह प्रस्ताव रखा। इन सभी मौकों पर चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर ऐसा होने से रोक दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से जैश सरगना अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर चीन ने मार्च में भी वीटो लगा दिया था।

संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध समिति क्या है?

- संयुक्त राष्ट्रा सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति में किसी आतंकी संगठन या आतंकी के सूचीबद्ध किए जाने के लिए स्पष्ट नियम तय किये गये हैं।
- यह समिति संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिबंधों के मानकों की देखरेख करती है। इसी समिति द्वारा आईएसआईएस तथा अल-कायदा को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया था।
- यह समिति सुरक्षा परिषद को प्रतिबंधों के मानकों की वार्षिक रिपोर्ट भी भेजती है।
- हथियारों के आयात, विदेश में यात्राएँ और संपत्तियों की जब्ती जैसे फैसले भी यही समिति लेती है। ■

6. गुजरात शॉप्स एंड एस्टेब्लिश्मेंट्स एक्ट, 2019

1 मई से गुजरात शॉप्स एंड एस्टेब्लिश्मेंट्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 2019 लागू हो गया। इस कानून के मुताबिक दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा बिजनेस राज्य में 24×7 खुले रह सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य विधान सभा ने इस अधि नियम को फरवरी, 2019 में पारित किया था। इसकी अधिसूचना 1 मई को गुजरात के स्थापना दिवस के अवसर पर जारी की गयी थी।

मुख्य बिंदु

- गुजरात शॉप्स एंड एस्टेब्लिश्मेंट्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 2019 ने गुजरात शॉप्स एंड एस्टेब्लिश्मेंट्स एक्ट, 1948 का स्थान लिया है, पुराने अधिनियम के तहत दुकानें सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रह सकती थीं।
- अब 10 अथवा इससे कम कर्मचारियों वाली दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24×7 खुले रह सकते हैं, इसके लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। 10 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को केवल एक बार पंजीकरण करवाना होगा, इसे बाद में पुर्नपंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
- हालाँकि महिला कर्मचारियों के कार्य करने का समय सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही होगा, सुरक्षा के मामले को मद्देनजर रखते हुए तथा लिखित आवेदन के बाद इस समय सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है।

लाभ

इससे रोजगार में वृद्धि होगी। गुजरात में 7 लाख दुकानें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान 10 से कम कर्मचारियों को काम पर रखते हैं। अधिक समय तक दुकाने खुली रखने के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इससे 10-12 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। कर्मचारियों को अतिरिक्त समय तक कार्य करने के लिए अधिक वेतन भी मिलेगा। इस कानून का सर्वाधिक लाभ दुकानों, मॉल्स, फूट आउटलेट, रिटेलर्स को होगा, त्यौहार के दौरान इससे दुकानों व माल्स को विशेष लाभ होगा। ■

7. जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट

जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट दिल्ली उच्च न्यायालय का एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसका क्रियान्वयन दिल्ली के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में किया जा रहा है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए समय-सीमा तथा न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने में सहायता मिलेगी।

मुख्य बिंदु

- दिल्ली में सभी लंबित पड़े मामलों को एक वर्ष में निपटान करने के लिए 43 अन्य न्यायाधीशों की आवश्यकता है, मौजूदा समय में दिल्ली में न्यायाधीशों की संख्या 143 है।
- लगातार देरी के कारण न्याय प्रणाली पर

लोगों का विश्वास कम हो गया है, इससे लोगों को न्याय के लिए कई दशकों तक इंतजार करना पड़ रहा है।
- पिछले वर्षों में मामले दायर किये जाने में काफी वृद्धि हुई है, जिससे लंबित पड़े मामलों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसके समाधान के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।
- न्यायिक मामलों में देरी के कारण भारत को प्रतिवर्ष सकल घरेलु उत्पाद (GDP) के 1.5% का नुकसान होता है।
- रिपोर्ट के मुताबिक गवाहों की गैर-हाजिरी, वकीलों द्वारा अनावश्यक स्थगन की मांग, न्यायाधीशों की कम संख्या, समन देने में देरी इत्यादि के कारण मामलों के निपटान में देरी होती है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

फोनी चक्रवाती तूफान

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में ओडिशा के पुरी में चक्रवाती तूफान 'फोनी' ने दस्तक दे दी है। जिस वक्त तूफान ने ओडिशा के तट को छुआ उस समय हवा की रफ्तार 200 किमी. प्रति घंटा थी।

1.2 फोनी तूफान को इसलिए भीषण माना जाता है क्योंकि उच्च ज्वार के वक्त समुद्र का स्तर आमतौर पर 7 मीटर तक ऊपर चला जाता है।

टाइमिंग ने चौंकाया

2.1 मौसम विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मियों में ऐसे चक्रवाती तूफान बेहद कम आते हैं, आम तौर पर मॉनसून के बाद सितंबर-नवंबर में ऐसे तूफान आते हैं।

2.2 एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1965 से 2017 तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 46 भयानक चक्रवात दर्ज किए गए हैं।

2.3 इनमें से अक्टूबर से दिसंबर के बीच 28 चक्रवात आए, 7 चक्रवात मई में और महज दो चक्रवात अप्रैल (1966, 1976) में आए। 1976 के बाद फोनी पहला ऐसा तूफान है, जिसका निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ।

चौथा सबसे खतरनाक चक्रवात

3.1 पिछले तीन दशकों में पूर्वी तटों से टकराने वाला यह चौथा सबसे खतरनाक चक्रवात है। ओडिशा ने इससे पहले जिन भयानक चक्रवाती तूफानों का सामना किया है, वे साल 1893, 1914, 1917, 1982 और 1989 में आए थे।

3.2 ये तूफान या तो वहां खत्म हो गए थे या फिर पश्चिम बंगाल के तटों की तरफ चले गए थे। जानकारों का कहना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण हमें भविष्य में भी इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

जितनी धीमी शुरुआत, उतना खतरनाक चक्रवात

4.1 जानकारों का कहना है कि चक्रवात की शुरुआत जितनी धीमी होती है, उसका प्रभाव उतना ही खतरनाक होता है।

4.2 इसके पीछे कारण यह है कि धीमा होने के कारण चक्रवात को नमी और ऊर्जा को एकत्रित करने का समय मिल जाता है और तीव्रगति के साथ यह और भी खतरनाक हो जाता है।

क्या कहता है इतिहास

5.1 अब तक आए सबसे खतरनाक 35 चक्रवाती तूफान में से 26 बंगाल की खाड़ी से शुरू हुए हैं।

5.2 1999 में आए सुपर सायक्लोन, जो ओडिशा में 30 घंटे तक रहा था, में 10 हजार लोग मारे गए थे।

5.3 इससे पहले 1971 में ऐसे ही चक्रवात में करीब 10 हजार लोग मारे गए थे।

5.4 अक्टूबर 2013 में चक्रवात फेलिन और पिछले साल चक्रवात तितली के प्रकोप से बड़ी संख्या में लोगों को बचाने के लिए उन्हें पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। हालांकि उसके बाद भी इन दोनों तूफानों में 77 लोग मारे गए थे।

5.5 अक्टूबर 2014 में हुदहुद नाम के एक चक्रवात में 124 लोग मारे गए थे। फोनी चक्रवात की तीव्रता भी लगभग उतनी ही बताई जा रही है। 2017 में चक्रवात ओखी की वजह से तमिलनाडु और केरल में 250 लोग मारे गए थे।

आपदा से निपटने की तैयारी

6.1 तूफान की गंभीरता को देखते हुए पहले ही 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाया जा चुका है।

6.2 सरकार के मुताबिक, करीब 10 हजार गांव और 52 शहर इस भयानक तूफान के रास्ते में आए।

6.3 20 साल में पहली बार इतना भयानक तूफान आया है, एनडीआरएफ की 28, ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट रैपिड एक्शन फोर्स की 20 यूनिट और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के 525 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार थे।

6.4 इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की 302 रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स टीम तैनात की गई थी।

वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट-2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute) ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट-2019 जारी की है।

प्रमुख बिंदु

2.1 रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक आर्थिक विकास बीते साल तेजी से आगे बढ़ा लेकिन यह खाद्य संकट की समस्या को कम करने में मददगार साबित नहीं हुआ।

2.2 रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी और कुपोषण, गरीबी, सीमित आर्थिक अवसर तथा पर्यावरण क्षरण के कारण विश्व के कई हिस्सों में ग्रामीण क्षेत्र संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं।

2.3 रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व की कुल आबादी में 45.3 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है और विश्व की कम-से-कम 70 प्रतिशत आबादी बहुत ही गरीब है।

2.4 विश्व भर में साल 2012 से साल 2017 के बीच कुपोषण के कारण बच्चों के कद न बढ़ने के मामलों में नौ प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी लेकिन इसके बावजूद ऐसे बच्चों की संख्या 15 करोड़ है, जो बहुत अधिक है।

2.5 बच्चों के कद न बढ़ने के मामले और पोषण के अन्य संकेतकों से पता चलता है कि सतत विकास लक्ष्य की पूर्ति का रास्ता बेहद दुर्गम है।

2.6 ग्रामीण आबादी तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, अपर्याप्त रोजगार और उद्यम निर्माण, खराब बुनियादी ढाँचा तथा अपर्याप्त वित्तीय सेवाओं के कारण पीड़ित है।

2.7 विश्व भर में लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण युवाओं के पास कोई औपचारिक रोजगार नहीं है, वे या तो बेरोजगार हैं या अस्थायी रोजगार में लगे हैं।

2.8 रिपोर्ट के अनुसार, नव-प्रवर्तनशील और समग्र पुनरुद्धार के बिना नए अवसरों का लाभ उठाने और बढ़ती चुनौतियों का सामना करने हेतु साल 2030 तक सभी के लिये खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना मुश्किल होगा।

2.9 रिपोर्ट में भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसका लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दोबारा सशक्त करके ढाँचागत बदलाव लाना है।

2.10 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बदलते उपभोग पैटर्न ने शहरीकरण, जनसांख्यिकीय बदलाव, आय में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा खाद्य प्रणालियों के बढ़ते एकीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर प्रदान किये हैं।

भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास

3.1 भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने एवं बुनियादी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के साथ-साथ कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाकर ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने के कई उपाय किये गए हैं।

3.2 कुछ वर्षों से देश में प्रमुख फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना अधिक कीमत किया गया है।

3.3 भारत में 22,000 ग्रामीण बाजार को ग्रामीण कृषि बाजार से जोड़ने तथा कृषि विपणन बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने की योजना बनाई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान

4.1 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ऐसे नीतिगत अनुसंधान को प्रेरित करता है जिससे विकासशील देशों में गरीबी, भुखमरी और कुपोषण को कम किया जा सके।

4.2 इस अनुसंधान की स्थापना 1975 में की गई थी।

विश्व पासवर्ड दिवस

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में गूगल द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश लोगों के पासवर्ड 123456789 या उनके नामों पर दर्ज हैं।

आसान पासवर्ड रखने के नुकसान

2.1 पासवर्ड आसान होने से साइबर अपराधी आसानी से आपके डिजिटल जीवन पर दखल दे सकते हैं।

2.2 आसान पासवर्ड होने से इंटरनेट उपयोगकर्ता आसानी से फिशिंग अटैक का शिकार हो सकता है।

फिशिंग अटैक क्या है?

3.1 जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिये काँटे में चारा लगाकर डाला जाता है और चारा खाने के लालच या धोखे में आकर मछली काँटे में फँस जाती है, उसी प्रकार फिशिंग साइट से हैकर्स इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गयी धोखेबाजी करते हैं, जिसमें वह आपकी निजी जानकारी को धोखेबाजी के माध्यम से चुरा लेते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं।

3.2 इलेक्ट्रॉनिक संचार में फिशिंग या इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी विश्वसनीय इकाई का मुखौटा धारण कर उपयोगकर्ता नाम (प्रयोक्ता नाम), पासवर्ड (कूटशब्द) और क्रेडिट कार्ड का विवरण (और कभी-कभी, परोक्ष रूप से, पैसा) जैसी विभिन्न जानकारियाँ हासिल करने का प्रयास किया जाता है।

3.3 आशंकित जनता को लुभाने के लिए यह संचार आमतौर पर लोकप्रिय सामाजिक वेबसाइटों, नीलामी साइटों, बैंकों, ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर या आईटी प्रशासकों के नाम पर किया जाता है।

3.4 आमतौर पर फिशिंग ईमेल स्पूफिंग या त्वरित संदेश द्वारा किया जाता है और अकसर उपयोगकर्ताओं को एक नकली वेबसाइट जिसका रूप और अनुभव बिल्कुल असली वेबसाइट (वैध वेबसाइट) के समान होता है पर, अपने विवरण दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

3.5 फिशिंग ईमेलों में मैलवेयर से संक्रमित वेबसाइटों की कड़ियाँ हो सकती हैं। फिशिंग सामाजिक इंजीनियरिंग तकनीक का एक उदाहरण है जिसका इस्तेमाल कर वर्तमान वेब सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के घटिया प्रयोज्य का लाभ उठाते हुए उपयोगकर्ताओं को धोखा दिया जाता है।

फिशिंग अटैक से बचाव

4.1 पासवर्ड का पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत-से लोग हर जगह एक ही पासवर्ड का उपयोग करते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें पासवर्ड याद रहता है। किन्तु अगर कोई साइबर अपराधी आपके निजी पासवर्ड में से एक भी पासवर्ड प्राप्त कर लेता है तो ऐसे स्थिति में सभी खाते हैक किये जा सकते हैं।

4.2 यदि आपको लगता है कि आपके लिए इतने सारे पासवर्ड याद रखना कठिन होगा, तो आप एक पासवर्ड ऐप का उपयोग करें, जो आपके ईमेल पते और पासवर्ड स्वचालित रूप से जहाँ भी आपको आवश्यकता हो, अपने जीवन को सरल बना देगा।

4.3 जहाँ भी संभव हो, द्वि-कारक प्रमाणीकरण (Utilise two-factor authentication) का उपयोग करें, क्योंकि यह ऑनलाइन खातों को अधिकांश हमलावरों से सुरक्षित रखता है क्योंकि खाते तक पहुँचने के लिए एक दूसरे प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।

4.4 पहले उपयोगकर्ताओं को यह देखना चाहिए कि क्या उनके पासवर्ड उजागर हुए हैं। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए hasibeenpwned.com जैसी साइटें उपयोगी होती हैं।

4.5 पासवर्ड के भीतर सरल व्यक्तिगत विवरण अर्थात जन्मदिन, परिवार के सदस्यों के नाम या पालतू जानवर के नाम, जिसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसे पासवर्ड नहीं रखना चाहिए।

4.6 पासवर्ड में हमेशा विभिन्न प्रकार के विशेष शब्द जैसे अक्षर, संख्या और प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए।

पुदुच्चेरी सरकार बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने गृह मंत्रालय से मिले उन निर्देशों को खारिज कर दिया है जिसमे पुदुच्चेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरन बेदी को वहां की सरकार के कामकाज में दखल देने एवं सरकार से जुड़ी फाइलें देखने का अधिकार मिला था।

पृष्ठभूमि

2.1 विधायक लक्ष्मीनारायणन ने अपनी अर्जी में कहा था कि गृह मंत्रालय ने 2017 में एक आदेश जारी किया था। इन आदेशों के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं जिससे एक चुनी गई सरकार को अपना काम करने में मुश्किलें आती हैं।

मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय

3.1 कोर्ट ने कहा कि किरन बेदी को कोई अधिकार नहीं है, कि वह सरकारी फाइलों को अपने पास मंगवाएँ और अफसरों को दिशा-निर्देश जारी करें।

3.2 कोर्ट का कहना है कि प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार केवल राज्य सरकार के पास हैं।

3.3 सरकारी सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हैं।

3.4 सचिवों को स्वयं से या प्रशासक द्वारा जारी निर्देशों पर आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

3.5 एलजी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया समूहों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वे केवल अधिकृत माध्यम से ही संचार का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं।

पुदुच्चेरी का प्रशासन

4.1 पुदुच्चेरी ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जहाँ अनुच्छेद 239क के तहत संसदीय विधि द्वारा सृजित विधान सभा तथा मंत्रिपरिषद् हैं। विधान सभा सदस्यों की संख्या 30 है जो भारतीय संघ में सबसे छोटी विधान सभा है। पुदुच्चेरी तीन राज्यों में बसा हुआ है-(i) आन्ध्र प्रदेश, (ii) केरल, (iii) तमिलनाडु।

4.2 पुदुच्चेरी विधान सभा की शक्तियाँ अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में कुछ कम हैं। पुदुच्चेरी के प्रशासनिक अधिकारी को उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) कहा जाता है।

4.3 इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है।

4.4 पुदुच्चेरी में एक मंत्रिपरिषद् है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद् उपराज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में सहायता और परामर्श प्रदान करती है तथा सामूहिक रूप में विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

4.5 उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद् में किसी विषय पर मतभेद की दशा में वह विषय विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इस विषय में राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम होता है।

4.6 दिल्ली के समान ही पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उल्लेखनीय है कि पुदुच्चेरी विधान सभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

पुदुच्चेरी के एलजी की शक्तियाँ

5.1 अनुच्छेद 239ख के तहत पुदुच्चेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासकों (उपराज्यपालों) को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है।

5.2 यदि विधान सभा सत्र में न हो तथा प्रशासक की राय में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जिसके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है।

5.3 प्रत्येक अध्यादेश को विधानमंडल के समक्ष इसके पुनः समवेत (Reasemble) होने के 6 सप्ताह के भीतर रखना आवश्यक है। विधानमंडल अध्यादेश को अनुमोदित या निरस्त कर सकती है। अध्यादेश अनुमोदित हो जाने पर अधिनियम (Act) बन जाता है, किन्तु विधानमंडल द्वारा निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है।

5.4 उल्लेखनीय है कि प्रशासक राष्ट्रपति से अनुदेश (Instructions) प्राप्त करने के पश्चात किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है।

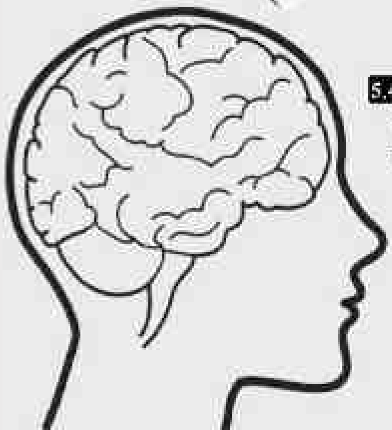

कतर ने खत्म किया कफाला प्रणाली

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में खाड़ी देश कतर ने घोषणा की है कि वह अपने विवादास्पद 'कफाला प्रणाली' को 2019 के अंत तक समाप्त कर देगा और इसकी जगह कतर में काम करने वाले 21 लाख विदेशी श्रमिकों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाली व्यवस्था लायी जाएगी।

1.2 2022 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले कतर में इसे सबसे बड़ा श्रम सुधार बताया जा रहा है।

कफाला क्या है

2.1 कफाला के तहत कतर में काम करने वाले सभी विदेशी कामगारों को एक स्थानीय प्रायोजक की जरूरत होती है। यह कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई कंपनी भी।

2.2 अगर कामगार को नौकरी बदलनी है तो उसे प्रायोजक से अनुमति लेनी पड़ती है।

2.3 आलोचकों के अनुसार कफाला में कामगारों के अधिकारों को कोई संरक्षण नहीं था तथा उनका उत्पीड़न बहुत होता था।

कॉन्ट्रैक्ट वाली व्यवस्था

3.1 इस नए कानून के जरिए कतर में काम करने वाले विदेशी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।

3.2 इसमें आधुनिक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लाया जाएगा जिससे श्रमिकों को नौकरी बदलने में भी आसानी होगी।

3.3 नए कानून से देश के भीतर आने-जाने की आजादी होगी। कतर सरकार के मुताबिक अगर किसी श्रमिक को लगता है कि उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है तो वह नौकरी बदल सकता है।

3.4 हालाँकि श्रमिकों को अपने देश जाने के लिए अब भी कंपनी या मालिक की अनुमति लेनी होगी। जो लोग या कंपनियाँ श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, उन पर अब 25 हजार रियाल (6,800 डॉलर) का जुर्माना होगा, जबकि कफाला के तहत जुर्माना 15 हजार रियाल था।

श्रमिकों की समस्याएं

4.1 बहुत-से श्रमिकों की यह भी शिकायत होती है कि उन्हें कतर अधिक वेतन देने का वादा करके लाया गया था लेकिन यहां उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है।

4.2 आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि पिछले साल नियोक्ताओं के खिलाफ छह हजार शिकायतें दर्ज की गईं।

मानवाधिकार संगठनों का आरोप

5.1 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ (फीफा) ने विवादों के बावजूद कतर को 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि कतर में स्टेडियम और होटल आदि बनाने पहुंचे विदेशी मजदूरों की हालत काफी खराब है।

5.2 एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कतर पर विदेशी मजदूरों के शोषण का आरोप लगा चुका है। वे अमानवीय हालत में काम कर रहे हैं। एमनेस्टी के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए निर्माण कार्य के दौरान अब तक कतर में सैकड़ों विदेशी मजदूरों की मौत हो चुकी है।

5.3 मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक कतर ने विदेशी मजदूरों की हालत में सुधार का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया है। वर्ल्ड कप के लिए व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। उनमें काम करने वाले विदेशी मजदूरों को इस तरह के कमरों में रखा जाता है जहाँ उन्हें काफी परेशानी होती है।

5.4 स्पॉन्सर कानून के तहत मालिक की अनुमति के बाद ही विदेशी मजदूर नौकरी छोड़ या बदल सकते हैं। कई मालिक मजदूरों का पासपोर्ट रख लेते हैं।

5.5 ब्रिटेन के 'द गार्डियन' अखबार के मुताबिक कतर की कंपनियाँ खास तौर से नेपाली मजदूरों का शोषण कर रही हैं। अखबार ने इसे 'आधुनिक दौर की गुलामी' करार दिया।

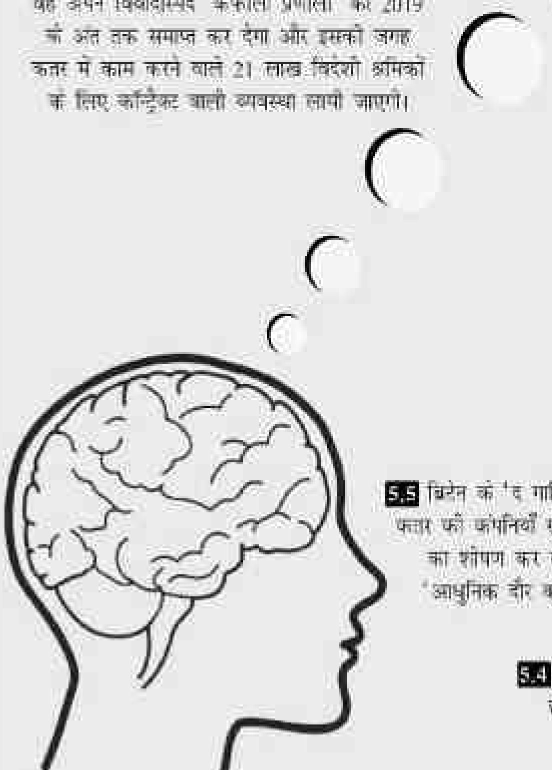

संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि और अमेरिका

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को शस्त्र व्यापार संधि से अमेरिका के हटने के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि यह संधि अमेरिका के आंतरिक कानूनों में दखल देती है। इसके अलावा यह संधि सेकेंड अमेंडमेंट बिल में मिले अधिकारों का भी हनन करती है।

सेकेंड अमेंडमेंट बिल

2.1 अमेरिका में सेकेंड अमेंडमेंट बिल के तहत प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने का अधिकार मिला हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि

3.1 संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि 24 दिसंबर, 2014 को लागू की गई थी। इस संधि की 101 देशों ने पुष्टि कर रखी है और 34 देशों ने केवल हस्ताक्षर किए हुए हैं।

3.2 इसका मुख्य उद्देश्य हथियारों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है। संधि का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच होने वाले हथियारों के आयात और निर्यात पर निगरानी रखना और उनके लिए नियम बनाना होता है।

3.3 इस संधि के तहत राइफल, बंदूकों पर मुख्य ध्यान दिया गया है। इसमें शामिल देशों को संयुक्त राष्ट्र को यह रिकॉर्ड देना होता है कि उनके देश में कितने लोगों के पास कितने हथियार हैं।

3.4 इस संधि के तहत छोटे हथियारों, युद्धक टैंकों, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों जैसे पारंपरिक हथियारों का अरबों डॉलर का वैश्विक व्यापार किया जाता है।

कौन हैं सदस्य देश

4.1 अमेरिका इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए है। हस्ताक्षर करने का मतलब संधि के नियमों को मानना नहीं होता, यह तभी होता है जब आप उसकी पुष्टि कर दें। इसका मतलब उस संधि में अपनी रुचि दिखाना होता है। इसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल लेकर पुष्टि की जाती है।

4.2 अमेरिका समेत लैटिन अमेरिका के लगभग सभी देश, यूरोपीय संघ, अफ्रीका के कई देश, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के देश, मंगोलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ अन्य देशों ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं।

इस संधि पर भारत का कदम

5.1 भारत ने संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि में हस्ताक्षर नहीं किए थे।

5.2 भारत के साथ ही रूस, चीन, ईरान और बांग्लादेश जैसे कई देशों ने भी इस संधि में हस्ताक्षर नहीं किए थे।

5.3 भारत ने यह कहते हुए संधि का समर्थन करने से इंकार कर दिया कि यह शस्त्र निर्यातक देशों के हित में आयातक देशों के ऊपर थोपा गया कानून है, जिसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

5.4 इसके अलावा यह परंपरागत हथियारों के अवैध व्यापार एवं इनके दुरुपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में भी असमर्थ प्रतीत होती है।

5.5 भारत का कहना है कि संधि के प्रस्ताव में संतुलन नहीं है। हथियार निर्यात करने वाले देशों और आयातक देशों की एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

5.6 भारत का कहना है कि आतंकवादियों और नॉन स्टेट एक्टर्स पर नियंत्रण के लिए कोई कड़े नियम नहीं हैं। साथ ही ऐसे लोगों के हाथ में घातक हथियार ना पहुँचे, इसके लिए कोई खास प्रतिबंध का प्रस्ताव भी इस संधि में नहीं किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

6.1 दुनिया भर में होने वाले हथियारों के गैर-कानूनी व्यापार और तस्करी से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर वर्ष 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र संघ से एक विनियंत्रण प्रणाली गठित करने की मांग की थी।

6.2 उनके ही प्रयासस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2006 में प्रस्ताव संख्या 61/89 द्वारा एक शस्त्र व्यापार संधि स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

6.3 जब इस संधि प्रस्ताव को अपनाने के लिए 2 अप्रैल, 2013 को संयुक्त महासभा में मतदान हुआ था, तब 154 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में और 3 देशों-ईरान, सीरिया व उत्तर कोरिया ने इसके विरोध में मतदान किया था, जबकि भारत सहित 23 देशों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था।

ब्रिटेन में जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर आपातकाल घोषित कर दिया है। इसके साथ ही ब्रिटेन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।

पृष्ठभूमि

2.1 यूनाइटेड नेशन ने पेरिस समझौता साल 2016 में पारित किया था। इस प्रस्ताव पर 197 देशों ने हस्ताक्षर किये थे। सभी देश इस बात पर राजी हो गये थे कि वैश्विक तापमान को कम करने के लिए कार्बन का उत्सर्जन भी कम करना पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन को लेकर आपातकाल घोषित क्यों

3.1 संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाली बरबादी से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ बारह साल रह गए हैं। यदि इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं किया गया तो धरती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे।

जलवायु आपातकाल क्या है

4.1 जलवायु आपातकाल की कोई सटीक परिभाषा नहीं है लेकिन इस कदम को जलवायु और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण उपायों के साथ जोड़ा गया है। ब्रिटेन सरकार ने कानूनी तौर पर निर्णय लिया है कि साल 2050 तक वो 80 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन को कम कर देगा।

4.2 ब्रिटेन उन 18 विकसित देशों में एकमात्र ऐसा देश है, जिसने पिछले एक दशक में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन किया है। ब्रिटेन की संसद द्वारा जलवायु आपात स्थिति घोषित करने से पहले ही ब्रिटेन के दर्जनों कस्बों और शहरों ने जलवायु आपात स्थिति घोषित कर दी थी।

4.3 लोगों का कहना है कि वे साल 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं अर्थात् उतना ही कार्बन उत्सर्जित हो जिसे प्राकृतिक रूप से समायोजित किया जा सके।

जलवायु परिवर्तन क्या है

5.1 औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी का औसत तापमान साल दर साल बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइपीसीसी) की रिपोर्ट ने पहली बार इस तथ्य को उजागर किया था।

5.2 जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। गर्मियाँ लंबी होती जा रही हैं और सर्दियाँ छोटी। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और प्रवृत्ति बढ़ चुकी है। ऐसा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से हो रहा है।

5.3 जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में वैज्ञानिक लगातार आगाह करते आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, मानवजनित गतिविधियाँ जो कि जलवायु को प्रभावित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य कई प्रकार के स्रोतों से उपलब्ध होते हैं जिन्हें पुराकालीन जलवायवीय दशाओं के विवेचन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइपीसीसी)

6.1 आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा साल 1988 में की गई थी।

6.2 इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में विश्व के 195 देश इसके सदस्य हैं। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के समूह कार्य करते हैं तथा ये जलवायु परिवर्तन का नियमित आकलन करते हैं। प्रत्येक 5-6 वर्ष उपरांत आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. फोनी चक्रवाती तूफान

प्र. फोनी चक्रवाती तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. फोनी तूफान को इसलिए भीषण माना जाता है क्योंकि उच्च ज्वार के वक्त समुद्र का स्तर पूर्वी तट के लिए आमतौर पर 7 मीटर तक ऊपर चढ़ जाता है।
2. 1976 के बाद फोनी पहला ऐसा तूफान है, जिसका निर्माण दिसंबर में शुरू हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में ओडिशा के पुरी में चक्रवाती तूफान 'फोनी' ने दस्तक दे दी है, जिस वक्त तूफान ने ओडिशा के तट को छुआ उस समय हवा की रफ्तार 200 किमी. प्रति घंटा थी। फोनी तूफान को इसलिए भीषण माना जाता है क्योंकि उच्च ज्वार के वक्त समुद्र का स्तर आमतौर पर 7 मीटर तक ऊपर चढ़ जाता है। 1976 के बाद फोनी पहला ऐसा तूफान है जिसका निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

2. वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट–2019

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान की स्थापना 1985 में की गई थी।
2. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ऐसे नीतिगत अनुसंधान को प्रेरित करता है जिससे विकासशील देशों में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण को कम किया जा सके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः इस अनुसंधान की स्थापना 1975 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ऐसे नीतिगत अनुसंधान को प्रेरित करता है जिससे विकासशील देशों में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण को कम किया जा सके। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट-2019 के अनुसार भूख और कुपोषण, गरीबी, सीमित आर्थिक अवसर तथा पर्यावरण क्षरण के कारण विश्व के कई हिस्सों में ग्रामीण क्षेत्र संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। ■

3. विश्व पासवर्ड दिवस

प्र. विश्व पासवर्ड दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. फिशिंग ईमेलों में मैलवेयर से संक्रमित वेबसाइटों की कड़ियाँ हो सकती हैं।
2. आसान पासवर्ड होने से इंटरनेट उपयोगकर्त्ता आसानी से फिशिंग अटैक का शिकार हो सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः इलेक्ट्रॉनिक संचार में फिशिंग या इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी विश्वसनीय इकाई का मुखौटा धारण कर उपयोगकर्त्ता नाम (प्रयोक्ता नाम), पासवर्ड (कूटशब्द) और क्रेडिट कार्ड का विवरण (और कभी-कभी, परोक्ष रूप से, पैसा) जैसी विभिन्न जानकारियाँ हासिल करने का प्रयास किया जाता है। अशंकित जनता को लुभाने के लिए यह संचार आमतौर पर लोकप्रिय सामाजिक वेबसाइटों, नीलामी साइटों, बैंकों, ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर या आईटी प्रशासकों के नाम पर किया जाता है। इस प्रकार दिये गए दोनों कथन सही हैं। ■

4. पुदुच्चेरी सरकार बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पुदुच्चेरी के प्रशासनिक अधिकारी को उपराज्यपाल कहा जाता है।
2. पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करता है।
3. उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद् में किसी विषय पर मतभेद की दशा में वह विषय विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इस विषय में राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः पुदुच्चेरी में एक मंत्रिपरिषद् है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता

है। मंत्रिपरिषद् उपराज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में सहायता और परामर्श प्रदान करती हैं तथा सामूहिक रूप में विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है। दिल्ली के समान ही पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उल्लेखनीय है कि पुदुच्चेरी विधान सभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं जबकि कथन 2 गलत है। ■

5. कतर ने खत्म किया कफाला प्रणाली

प्र. कफाला प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कफाला के तहत कतर में काम करने वाले सभी विदेशी कामगारों को एक स्थानीय प्रायोजक की जरूरत होती है। यह कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई कंपनी भी।
2. ब्रिटेन के द गार्डियन अखबार ने कफाला को आधुनिक दौर की गुलामी करार दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में खाड़ी देश कतर ने घोषणा की है कि वह अपने विवादास्पद 'कफाला प्रणाली' को 2019 के अंत तक समाप्त कर देगा और इसकी जगह कतर में काम करने वाले 21 लाख विदेशी श्रमिकों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाली व्यवस्था लायी जाएगी। 2022 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले कतर में इसे सबसे बड़ा श्रम सुधार बताया जा रहा है। कफाला के तहत कतर में काम करने वाले सभी विदेशी कामगारों को एक स्थानीय प्रायोजक की जरूरत होती है। यह कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई कंपनी भी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ (फीफा) ने विवादों के बावजूद कतर को 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि कतर में स्टेडियम और होटल आदि बनाने पहुंचे विदेशी मजदूरों की हालत काफी खराब है। इस प्रकार दिए गए सभी कथन सही हैं।■

6. संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि और अमेरिका

प्र. संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि 24 दिसम्बर 2014 को लागू की गई थी।
2. इस संधि में शामिल देशों को संयुक्त राष्ट्र को यह रिकार्ड देना होता है कि उनके देशों में कितने लोगों के पास हथियार हैं।
3. भारत संयुक्त राष्ट्र के शस्त्र व्यापार संधि के हस्ताक्षरकर्त्ता देशों में शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि की 101 देशों ने पृष्टि की है तथा केवल 34 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। विदित हो कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है चूँकि भारत का मानना है कि यह संधि शस्त्र निर्यातक देशों के हित में आयातक देशों के ऊपर थोपा गया कानून है, जिसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि कथन 1 और 2 सही हैं। ■

7. ब्रिटेन में जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल

प्र. ब्रिटेन में जलवायु परिवर्तन पर हुए आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ब्रिटेन सरकार ने कानूनी तौर पर निर्णय लिया है कि साल 2050 तक वो 80% तक कार्बन उत्सर्जन को कम कर देगा।
2. ब्रिटेन उन 18 विकसित देशों में एकमात्र ऐसा देश है, जिसने पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है।
3. यूनाइटेड नेशन ने पेरिस समझौता साल 2016 में पारित किया था। इस प्रस्ताव पर 197 देशों ने हस्ताक्षर किये थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) उपयुक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: ब्रिटेन उन 18 विकसित देशों में एकमात्र देश है जिसने पहले एक दशक में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन किया है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की संसद द्वारा जलवायु आपात स्थिति घोषित करने से पहले ही ब्रिटेन के दर्जनों कस्बों और शहरों ने जलवायु आपात स्थिति घोषित कर दी थी। इस प्रकार कथन 2 गलत है जबकि अन्य दो कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. वह राज्य जहां बोधिसत्व की 1700 वर्ष पुरानी मूर्ति की खोज की गई है।

-तेलंगाना

2. वह देश जो 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता देश रहा है।

-इराक

3. वह लेखक जिन्हें हाल ही में रवींद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार-2019 दिया गया है।

-राणा दासगुप्ता

4. वह बैंक जिसने हाल ही में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कार लोन की शुरुआत की है।

-एसबीआई

5. वह देश जिसने भारत को बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है, जिनकी वह इस मामले में प्राथमिकता के साथ निगरानी करेगा।

-अमेरिका

6. वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक-2019 के अनुसार भारत का स्थान है।

-80वाँ

7. हाल ही में इंडोनेशिया में चर्चा में रहे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है।

-माउंटअगुंग

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. आइसीएटी – एक विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण केन्द्र

- ऑटोमोबाइल उद्योग भारत का तेजी से प्रगति कर रहा उद्योग है जो देश के जीडीपी में 7.5 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है। भारत सरकार इस उद्योग को सुविधाजनक बनाने और विकसित करने के लिए इस पर काफी ध्यान दे रही है।
- आईसीएटी (अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र) मोटर वाहन क्षेत्र के लिए काफी महत्त्व रखता है। अपने विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और उद्योग विशेषज्ञता के साथ यह विकास, परीक्षण, सत्यापन और होमोलॉगेशन में अपनी सेवाएँ प्रदान करता है।
- ऑटोमोबाइल उद्योग के हब मानेसर में स्थापित आइसीएटी भारत सरकार का मोटर वाहन परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करने वाला एक विश्वस्तरीय केन्द्र है।
- भारत ने 2030 तक देश में आटो परिवहन सेवाओं को पूरी तरह से विद्युत संचालित बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में आईसीएटी की प्रयोगशालाओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी परीक्षण और अन्य सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीएटी) की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और यह राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढाँचा प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपी) के तहत स्थापित किया गया पहला नया विश्वस्तरीय केंद्र है।

ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स प्रयोगशाला (एईईएल)

- इलेक्ट्रिक वाहनों तथा वाहनों में इलेक्ट्रिक उपकरणों के बढ़ते चलन को देखते हुए एईईएल काफी महत्वपूर्ण हो गई है। यह प्रयोगशाला सिस्टम, ई-मोटर्स, बैटरियों और इलेक्ट्रिक वाहनों के विभिन्न घटकों के लिए प्रमाणीकरण और सत्यापन की सेवाएँ प्रदान करती है। यह उत्पाद विकास और सुधार के लिए ग्राहकों को परामर्श सेवाएँ भी प्रदान करती हैं।

टायर जाँच प्रयोगशाला (टीटीएल)

- आईसीएटी के पास विश्वस्तरीय टायर परीक्षण सुविधाएँ हैं, जो ग्राहकों को गुणवत्ता और तेज सेवाएँ देने के लिए अत्यधिक कुशल और अनुभवी टीम द्वारा संचालित और प्रबंधित हैं। टायर जांच प्रयोगशाला टायर उद्योग,वाहन निर्माता और भारतीय मानक ब्यूरो को सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

दुर्घटना सुरक्षा प्रयोशाला (पीएसएल)

- यह प्रयोगशाला आटो उद्योग को वाहनों के लिए दुर्घटना सुरक्षा परीक्षण तथा स्लेज और एयरबैग परीक्षण तथा सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित परीक्षणों के लिए सुविधाएं देती हैं। पीएसएल के पास वाहनों के टक्कर होने की स्थिति में होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार परीक्षण की सभी सक्षम तकनीक मौजूद हैं।

2. चंद्रयान–2 का प्रक्षेपण

- भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान-2 के आर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) तीन माड्यूल हैं।
- ऑर्बिटर और लैंडर मॉड्यूल को यंत्रवत् रूप से मिलाकर एक एकीकृत मॉड्यूल के रूप में साथ जोड़ा जाएगा और इसके बाद जीएसएलवी एमके-3 (GSLV MK-3) प्रेक्षपण यान के अंदर समायोजित कर दिया जाएगा।
- रोवर को लैंडर के अंदर रखा गया है। चंद्रयान-2 जीएसएलवी एमके-3 प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाने के बाद एकीकृत प्रणोदक मॉड्यूल की मदद से चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद लैंडर आर्बिटर से अलग

होकर चंद्रमा के दक्षिणी सिरे में पूर्व निर्धारित स्थल पर धीरे से उतर जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद रोवर वहां वैज्ञानिक प्रयोग शुरू कर देगा। इसके लिए लैंडर और आर्बिटर में सभी तरह के वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं।

- 9 से 16 जुलाई, 2019 के बीच चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण के लिए उसके सभी मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। चंद्रयान-2 के 6 सितंबर, 2019 को चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है।

3. सार्वजनिक जीवन में लोगों को एक-दूसरे की आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए

- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने जन-प्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि वे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें और प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं की गरिमा बनाए रखें।
- जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करें और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सांसद, विधायक और स्थानीय निकाय के सदस्य अपने कार्यकाल का इष्टतम उपयोग करें।
- विदित हो कि सत्यनारायण जैसे लोगों ने अपने वाक-कौशल और लोगों के प्रति समपर्ण की अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से विचार-विमर्श के स्तर को उच्च बनाया।
- सभी लोगों के सहयोग से सार्वजनिक जीवन में उपयोगी महत्त्व के विषयों जैसे- कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
- राजनीतिक दलों, संसद सदस्यों और विधायकों से रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। विधानसभाओं में बहस के स्तर को उच्च बनाने की जरूरत है। संसद और राज्य विधानसभाओं जैसे संस्थानों की पवित्रता को बनाए रखना जनप्रतिनिधियों का प्रथम कर्त्तव्य है।
- संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही में बढ़ते व्यवधान चिंता का विषय है। सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यों के लिए एक आचार संहिता तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विधानसभाओं में सार्थक बहस हो।
- मीडिया भी लोगों, खासकर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक बहस प्रसारित करे।

4. श्री वेदांत देशिक की 750वीं जयंती

- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में श्री वेदांत देशिक की 750वीं जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी पाठ्यपुस्तकों को महान संतों तथा आध्यात्मिक विभूतियों के जीवन पर प्रकाश डालना चाहिए ताकि हमारे बच्चे मानवता, शांति और सद्भाव के आदर्शों को आत्मसात कर सकें।
- श्री वेदांत देशिक श्रीवैष्णव परंपरा के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक थे। उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी करना उनके योगदान के प्रति एक श्रद्धांजलि है। इससे युवा पीढ़ी को उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलेगी।श्री वेदांत देशिक को उच्च कोटि के विद्वान थे उन्होंने संस्कृत, तमिल, प्राकृत और मणिप्रवलम भाषाओं में कविता, गद्य, नाटक, टिप्पणी, विज्ञान संबंधी लेख और दर्शन के सिद्धांतों की रचना की थी।
- श्री वेदांत देशिक केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि वे एक वैज्ञानिक, गणितज्ञ, साहित्यकार, भाषाविद, सैन्य रणनीतिज्ञ भी थे।
- समावेश की भावना श्री वेदांत देशिक के दर्शन की प्रमुख विशेषता है। किसी भी जाति और नस्ल का व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में शामिल हो सकता है। यह वास्तव में लोकतांत्रिक आंदोलन है जिसमें जाति विभेद को समाप्त किया।
- श्री वेदांत देशिक मणिपादुका इंद्रप्रस्थ ट्रस्ट जैसे संगठन उनके संदेशों को युवाओं तक पहुंचाते हैं।

5. 'वेस्ट टू वेल्थ' 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश में कूड़े के प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ प्रयोगों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और आईआईटी दिल्ली संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।
- गौरतलब है कि हाल ही में केन्द्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन और आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. वी. रामगोपाल राव ने नई दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कूड़ा प्रबंधन के लिए विभिन्न उपलब्ध प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करेगा।
- इस क्षेत्र को इंस्टीट्यूट के फोकस क्षेत्र में रखा गया है और विभिन्न विभागों में काम करने वाले शिक्षक कूड़ा प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। हम सभी को वेस्ट टू वेल्थ प्रौद्योगिकी का एक साथ प्रयोग कर और दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का अध्ययन कर इसको भारतीय शहरों में क्रियान्वित करना चाहिए।

- आईआईटी, दिल्ली कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत है और कूड़ा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली प्रशासन के साथ काम कर रहा है।
- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना है। साथ ही कूड़े से विभिन्न तरह की ऊर्जा उत्पन्न कर भारत को कूड़ा मुक्त राष्ट्र बनाना है। इसके फलस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों का शून्य उत्सर्जन होगा और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणाम नहीं होंगे। इस कार्यक्रम के तहत आईआईटी दिल्ली में वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

प्रधानमंत्री विज्ञान तकनीक तथा नवोन्मेष सलाहकार परिषद् (PM-STIAC)

- वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रोजेक्ट को हाल ही में गठित प्रधानमंत्री की विज्ञान तकनीक तथा नवोन्मेष सलाहकार परिषद् (PM-STIAC) ने मंजूरी दी है।
- यह संस्था देश में वैज्ञानिक व तकनीकी समाधान के मूल्यांकन व क्रियान्वयन के लिए कार्य करती है।
- इस संस्था ने प्रमुख वैज्ञानिक चुनौतियों के लिए नौ राष्ट्रीय मिशन को चिन्हित किया है।
- इन नौ मिशनों के द्वारा जटिल समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा धारित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- "वेस्ट टू वेल्थ" भी इन्ही नौ मिशनों में से एक है।

6. वाणिज्य मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए पहल की

- हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय और 11 अफ्रीकी देशों के भारतीय उच्चायोगों तथा दूतावासों ने अफ्रीका के भारतीय कारोबारी समुदाय के साथ डिजिटल वीडियो कांफ्रेंस (डीवीसी) के जरिए संवाद किया। भारतीय समुदाय के साथ संवादों का आयोजन तंजानिया, युगांडा, केन्या, जाम्बिया, मॉरीशस, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, घाना, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मेडागास्कर में किया गया। इस पहल का उद्देश्य अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ प्रभावशाली सहभागिता सुनिश्चित करना है, ताकि भारत एवं अफ्रीका के बीच व्यापार संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ तथा सुदृढ़ किया जा सके।
- वर्ष 2017-18 के दौरान अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार 62.69 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ, जो पूरी दुनिया के साथ भारत के कुल व्यापार का 8.15 प्रतिशत है।
- दुनिया के सबसे बड़े भू-क्षेत्र, 54 देशों, भारत के लगभग समतुल्य आबादी, विशाल खनिज संसाधन, तेल संपदा, युवा आबादी, घटती गरीबी और वस्तुओं की बढ़ती खपत वाले अफ्रीकी क्षेत्र में भारत के लिए मौजूदा समय में व्यापक अवसर है।
- अत: अफ्रीका में उद्यमिता, परिवहन, दूरसंचार, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) एवं निर्माण क्षेत्रों में निवेश से जुड़े नये बिजनेस मॉडलों की भारी मांग है।
- वाणिज्य मंत्रालय की इस पहल के तहत दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति बनाने की जरूरत पर विशेष बल दिया गया है। प्रभावशाली या कारगर निर्यात रणनीति तैयार करने के लिए अफ्रीका में रह रहे भारतीय कारोबारी समुदाय के साथ सहभागिता अत्यंत जरूरी है, ताकि दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ हो सके।
- अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय सभी क्षेत्रों जैसे- राजनीति, व्यवसाय और शिक्षा में अहम भूमिका निभा रहा हैं। नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार अफ्रीकी देशों में भारतीय समुदाय की मौजूदा संख्या 2.8 मिलियन है, जिनमें से 2.5 मिलियन पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) हैं, जबकि शेष 220967 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं (प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय, 2016)। दुनिया भर में रह रहे अनिवासी भारतीयों में से 9.11 प्रतिशत अफ्रीका में रहते हैं।
- अफ्रीका में रह रहा संपन्न एवं विशाल भारतीय समुदाय ही इस महाद्वीप में भारत की अंतर्निहित ताकत है। भारतीय समुदाय ने अफ्रीकी महाद्वीप की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हस्तियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर रखे हैं।
- इन 11 देशों में भारतीय कारोबारी समुदाय ने जिन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला, वे निम्नलिखित हैं-
    - ऋण रेखा प्रणाली को बेहतर बनाने के साथ-साथ किफायती एवं प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण के लिए एक उपयुक्त सुविधा विकसित करें।
    - अफ्रीका में भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों की स्थापना करें।
    - दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्रेता ऋण सुविधा बढ़ाएँ।
    - दोनों ही पक्ष वीजा नीतियों की समीक्षा करें एवं इन्हें उदार बनाएँ।
    - भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सीधी उड़ानों की जरूरत है।

- क्षेत्र में डॉलर की किल्लत की समस्या सुलझाने के लिए रुपये में व्यापार की संभावनाएँ तलाशें।
- द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए आवश्यक मिलान सुनिश्चित करने हेतु दोनों क्षेत्रों में क्रेता-आपूर्तिकर्ताओं का साझा डेटाबेस बनाएँ।
- सुदृढ़ व्यापार विवाद निपटान प्रणाली विकसित करें।

7. सेवामुक्त हुआ आईएनएस रंजीत

- हाल ही में राजपूत श्रेणी का विध्वंसक आईएनएस रंजीत अपने गौरवशाली युग का समापन करते हुए विशाखापत्तनम के नौसेना यार्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में सेवामुक्त हो गया।
- आईएनएस रंजीत का जलावतरण 15 सितंबर, 1983 को कैप्टन विष्णु भागवत द्वारा पूर्व सोवियत संघ में किया गया था। इसने 36 वर्ष तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा की।
- इस पोत ने कई प्रमुख नौसैनिक अभियानों के दौरान अग्रणी भूमिका निभाई है और यह पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तट दोनों स्थानों पर विशिष्ट सेवाएण प्रदान कर चुका है।
- ऑपरेशन तलवार जैसे विविध नौसैनिक अभियानों और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेने के अलावा यह पोत 2004 में सुनामी और 2014 में हुदहुद चक्रवात के बाद चलाए गए राहत अभियानों के दौरान भारतीय नौसेना की हितकारी भूमिका का ध्वाजावाहक रहा है।
- भारतीय नौसेना में आईएनएस रंजीत का युग भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन इसकी भावना, इस पर तैनात रह चुके प्रत्येक अधिकारी और नाविक के हृदय में सदैव जीवित रहेगी और उसके ध्येय वाक्य "सदा रणे जयते'' अथवा ''युद्ध में सदैव विजयी'' समुद्री योद्धाओं की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. चाय एवं कॉफी

महत्वपूर्ण तथ्य

- चाय देश की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यून्नार पठार का मूल पौधा है। भारत में इसकी व्यावसायिक खेती की शुरुआत सन् 1838 ई. में की गई।
- चीन से मँगाये गये बीजों से दार्जिलिंग (1841), कछार (1856) एवं नीलगिरि क्षेत्रों में चाय के बागान लगाये गये।
- चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए 24°C से 30°C का तापमान (जाड़े का 15°C से कम का तापमान एवं पाला हानिकारक), 150 सेमी. से 250 सेमी. की वार्षिक वर्षा (उच्च आर्द्रता, ओस एवं सुबह का कुहरा नयी पत्तियों के विकास में सहायक), सुवाहित गहरी भुरभुरी, जैव तत्त्वों से संपन्न अम्लीय दोमट मिट्टी और प्रचूर मात्रा में सस्ते श्रमिकों की जरूरत होती है।
- भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- देश की चाय का लगभग 75% क्षेत्र एवं 73.5% उत्पादन भाग केवल असम और पश्चिम बंगाल द्वारा प्रदान किया जाता है।
- असम हमारे देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है।

- कहवा के पौधों के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। इसके लिए 16°C से 28°C का तापमान, 150 सेमी. से 250 सेमी. की वर्षा, सुवाहित भुरभुरी, ह्यूमस, लोहा और चूनायुक्त दोमट या लावा मिट्टी और ढलवा ऊँची भूमि (650-1500 मी.) सर्वोपयुक्त है।
- कम तापमान, पाला, हिम वर्षा, तेज धूप एवं लम्बा सूखा इसके लिए हानिकारक होता है। मृदा उर्वरता में वृद्धि हेतु गोबर की खाद, खली, अस्थिचूर्ण (bone meal) एवं उर्वरक लाभदायक होते हैं।
- कहवे के पौधों के रोपण, देखरेख, फलों को तोड़ने, सुखाने और संसाधित करने में बड़ी मात्रा में सस्ते श्रम की जरूरत होती है।
- कहवा की दो प्रमुख किस्में होती हैं- अरेबिक (Arabica) एवं रोबस्टा (Robusta)।

2. चावल

महत्वपूर्ण तथ्य

- चावल एक देशज फसल है, जिसकी कृषि देश के समूचे भाग में की जाती है परन्तु इसका सर्वाधिक सान्द्रण उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखा जाता है।
- यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 24°C के औसत तापमान (बोते समय 20°C एवं पकते समय 27°C) एवं 150 सेमी. की वार्षिक वर्षा (12 सेमी./माह), एवं गहरी उपजाऊ चीका या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में सस्ते एवं प्रचुर मात्रा में श्रमिक तथा पूँजी की जरूरत पड़ती है।
- भारत में चावल मुख्यत: खरीफ या जाड़े की फसल है जिसे जून से अगस्त के बीच बोया जाता है एवं जिसकी कटाई नवम्बर से जनवरी के मध्य की जाती है।
- भारत में चावल की 3000 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ बहुत कम समय में केवल 60 से 75 दिनों में ही तैयार हो जाती हैं। अधिक उपज देने वाली नई किस्मों की लोकप्रियता से ये देशी प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। इन नई प्रजातियों में IR-8, IR-5, IR-20, IR-22, पद्मा, हंसा, अन्नपूर्णा पंकज आदि शामिल हैं।
- भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल (15.75 मि. टन) है। इसके पश्चात क्रमश: उत्तर प्रदेश (12.5 मि. टन) तथा पंजाब (11.82 मि. टन) का स्थान आता है।

3. गेहूँ

महत्वपूर्ण तथ्य

- गेहूँ चावल के उपरान्त क्षेत्रफल और उत्पादक में देश का दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। विश्व के गेहूँ उत्पादक देशों में भारत का स्थान दूसरा है।
- गेहूँ के लिए सामान्यतया 10°C से 25°C तापमान (बोते समय 10°C, वर्द्धन के समय 15°C और पकते समय 20-25°C) की आवश्यकता होती है।
- गेहूँ की खेती के लिए 75 सेमी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेमी. से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूँ की खेती नहीं की जाती। सिंचाई की सहायता से गेहूँ 20 सेमी. वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है।
- गेहूँ की खेती के लिए हल्की दोमट, बलुई दोमट एवं चीका दोमट मिट्टियाँ उपयुक्त हैं। भारत में अधिकांश गेहूँ विशाल मैदान के जलोढ़ मिट्टियों के क्षेत्र में उगाया जाता है।
- यह भारत में रबी (शीतकालीन) फसल है जो शीत ऋतु के आरंभ होने पर बोई जाती है और शीत ऋतु के समाप्त होने पर काट ली जाती है।
- भारत का तीन-चौथाई से भी अधिक गेहूँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा से प्राप्त होता है।
- पुरातात्विक उत्खनन में इसके दाने सिन्धु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त किए गए हैं जिससे इसकी खेती की पुरातनता का आभास मिलता है।

4. बाजरा

महत्वपूर्ण तथ्य

- बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। यह प्रायः गरीब लोगों का प्रमुख भोजन है। इसका डंठल पशुओं के चारे और झोपड़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बाजरा मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों की फसल है।
- बाजरा की कृषि उष्ण और शुष्क जलवायु दशाओं वाले भागों में की जाती है। इसके लिए 25°C से 31°C के बीच का तापमान (बोते समय 10°-20°C) और 40-50 सेमी. की वार्षिक वर्षा (100 सेमी. से अधिक वर्षा हानिप्रद) उपयुक्त मानी जाती है।
- इसके लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टियाँ अच्छी मानी जाती हैं। इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती है।
- उत्तरी भारत में इसे खरीफ एवं दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों में उगाया जाता है। इसे कपास, ज्वार या रागी के साथ मिलाकर बोया जाता है।
- बाजरा के क्षेत्र में 1970-71 के बाद ह्रास हुआ है, जबकि इसके उत्पादन में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी है।
- देश में बाजरे का 93 प्रतिशत कृषि क्षेत्र एवं उत्पादन केवल पाँच राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात हरियाणा एवं महाराष्ट्र) से प्राप्त होता है।

5. मक्का एवं जौ

महत्वपूर्ण तथ्य

- मक्का मूल रूप से अमेरिका का पौधा है, जहाँ से यह सत्रहवीं सदी में ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा भारत लाया गया। यह उत्तरी मैदान और उत्तर के पहाड़ी और उप-पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है।
- मक्का के लिए 21°C से 27°C के औसत तापमान की जरूरत होती है (10°C से कम, 35°C से अधिक का तापमान एवं पाला हानिकारक)। इसके लिए 50 से 75 सेमी. की वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है।
- मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है परन्तु कुछ क्षेत्रों में इसे रबी में भी उगाया जाता है।
- भारत में मक्का के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः राजस्थान एवं मध्य प्रदेश हैं।
- भारत में सिन्धु घाटी सभ्यता के समय से ही जौ एक प्रमुख अनाज रहा है। जौ का उपयोग खाने के अलावा बियर एवं ह्विस्की बनाने में किया जाता है।
- जौ शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। इसके लिए 10° से 18°C के तापमान तथा 70 से 90 सेमी. की वार्षिक वर्षा एवं हल्की मटियार मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है।
- राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश देश के दो प्रमुख राज्य हैं जिनमें जौ का 70 प्रतिशत क्षेत्र और 78 प्रतिशत उत्पादन होता है।

6. ज्वार एवं रागी

महत्वपूर्ण तथ्य

- क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूँ के बाद ज्वार देश में तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। इसे प्रतिकूल जलवायु दशाओं में भी उगाया जा सकता है।
- इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज और विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है जिसके कारण इसका प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है।
- ज्वार एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए सामान्यत: 27°C से 32°C तापमान (16°C से कम तापमान हानिकारक) एवं 30 से 65 सेमी. की वर्षा (100 सेमी. से अधिक वर्षा एवं सूखा हानिकारक) की आवश्यकता होती है। इसे भारी एवं हल्की जलोढ़ से लेकर लाल, भूरी, पीली, दोमट एवं बलुई मिट्टियों में उगाया जा सकता है।
- रागी एक मोटा अनाज है जिसका पोषणिक महत्त्व है (कार्बोहाइड्रेट 73%, प्रोटीन 9.2%)। दक्षिण भारत में यह लोगों का मुख्य भोजन है। यह मूल रूप से भारत का पौधा है। बाबरनामा में इसका उल्लेख शराब बनाने के लिए किया गया है।
- रागी खरीफ की फसल है जिसे मई-अगस्त में बोया और सितम्बर-जनवरी में काटा जाता है।
- रागी के क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देश में कर्नाटक राज्य का प्रथम स्थान है।

7. दालें

महत्वपूर्ण तथ्य

- दालों के अन्तर्गत कई खाद्यान्नों को शामिल करते हैं जो फलीदार और शाक प्रोटीन से सम्पन्न होते हैं। इसके अन्तर्गत चना, अरहर, उड़द, मूँग, मसूर, मटर, लोबिया, मोठ आदि कई खाद्यान्न आते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। दालें नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मृदा उर्वरता को बनाये रखने में सहायक होती हैं।
- दालों का उत्पादन विविध तापक्रम, आर्द्रता और मृदा दशाओं में किया जाता है। अकसर इन्हें खरीफ एवं रबी फसलों के साथ मिश्रित रूप में उगाया जाता है। देश में दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमश: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश का स्थान आता है।
- बहुधा दालों को विभिन्न फसलों के साथ शस्यावर्तन (Corp Rotation) करके भी उगाया जाता है। चना तथा अरहर दो महत्वपूर्ण दालें हैं।
- चना रबी की फसल है और इसे शीत और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे सितम्बर से नवम्बर तक बोया जाता है और फरवरी से अप्रैल तक काटा जाता है।
- अरहर मुख्यत: खरीफ की फसल है, परन्तु कम ठण्डे इलाकों में इसे रबी के मौसम में भी बोया जाता है। यह शुष्क जलवायु की फसल है जिसके लिए 20-25°C तापमान तथा 40-50 सेमी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITIONS

A unit of

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Comprehensive UPPCS Prelims Test Series Programme 2019

[ONLINE MODE]

Date	Test
19 MAY	Test-1- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
2 JUNE	Test-2 - (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
16 JUNE	Test-3- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
30 JUNE	Test-4 - (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
14 JULY	Test-5- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I Test-6- (12:00 noon to 2:00 am) सामान्य अध्ययन-II/General Studies-II
21 JULY	Test-7- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
28 JULY	Test-8- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
4 AUG.	Test-9 - (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
11 AUG.	Test-10- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
18 AUG.	Test-11- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I Test-12- (12:00 noon to 2:00 am) सामान्य अध्ययन-II/General Studies-II
25 AUG.	Test-13- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
01 SEP.	Test-14- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
08 SEP.	Test-15 - (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
15 SEP.	Test-16- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
22 SEP.	Test-17- (9:30 am to 11:30 am) सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I Test-18- (12:00 noon to 2:00 am) सामान्य अध्ययन-II/General Studies-II

Starts from- **19 MAY 2019**

Ph.: 01149274400

Registration Open

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeyaofficial

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400